खण्ड-355, अंक-1
बुधवार, 28 माघ, शक संवत् 1903
(17 फरवरी, 1982 ई0)

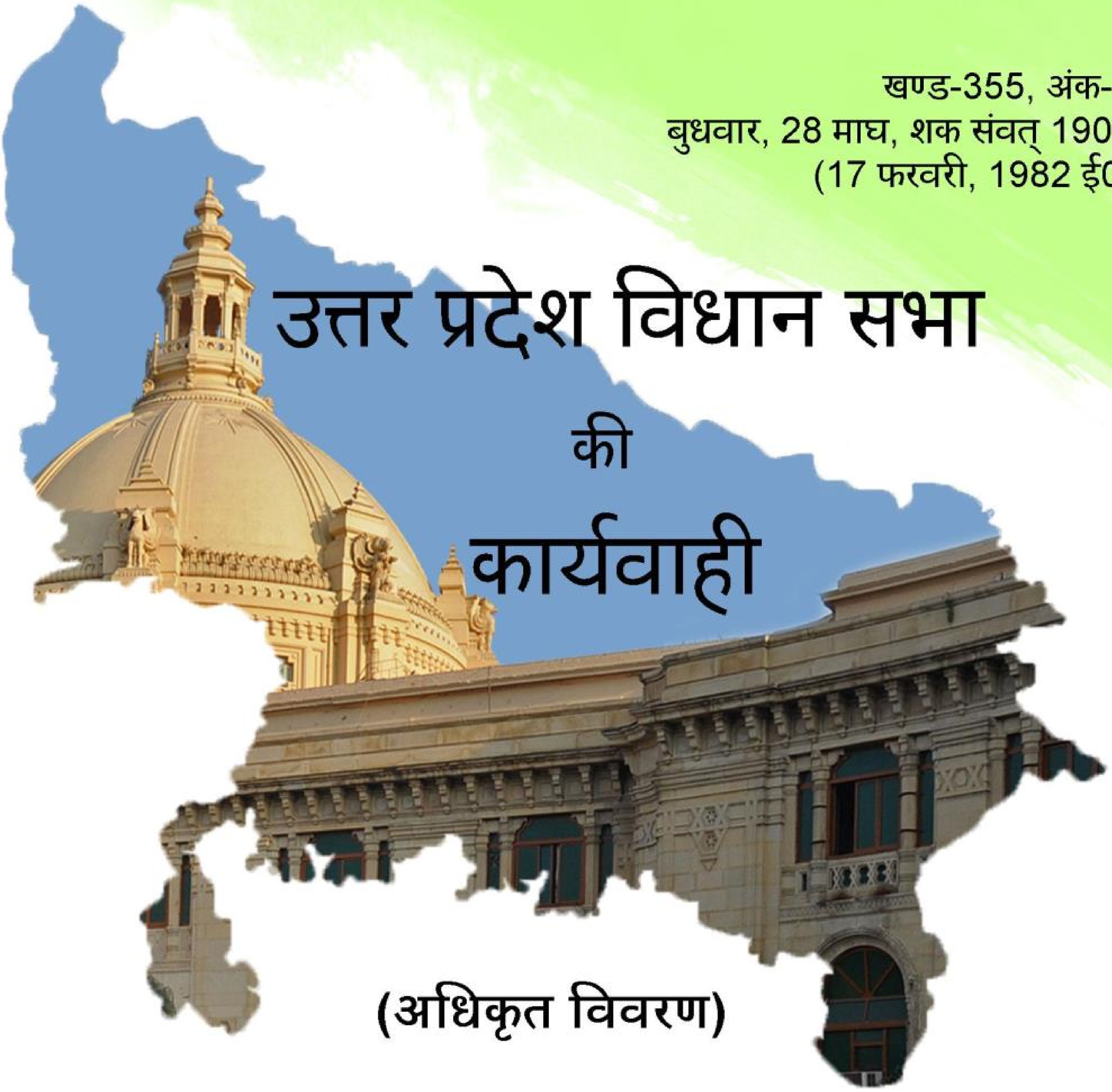

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 355 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—4
प्रश्नोत्तर	5—40
जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के खादर में गंगा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध म नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	41
गोरखपुर-वाराणसी रोड पर जा रही यात्री बस म चोलापुर की पुलिस द्वारा परिचालक श्री हरिशंकर प्रसाद की पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	41—42
मथुरा के पत्रकार श्री माता प्रसाद शर्मा पर लोअर-डिवीजन आगरा नहर के इंजीनियर व ठेकेदार द्वारा कातिलाना हमला के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	42
प्रदेश में बाढ़ व सूखे के कारण लगान में छूट का इन्द्राज न होना तथा राजस्व वसूली में किसानों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43
पंतनगर जांच आयोग की आख्या (रिपोर्ट) (सदन के पटल पर रखी गयी)	44
सुल्तानपुर जांच आयोग की आख्या (रिपोर्ट) (सदन के पटल पर रखी गयी)।	43
उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का (तृतीय प्रतिवेदन) (सदन के पटल पर रखा गया)	44
कतिपय विषय	44
दस्यु सरगना छविराम का खुलेआम मैनपुरी के ग्राम हरनागपुर में घूमना तथा पुलिस के न पकड़ने के संबंध में वक्तव्य	44—55
कार्य—स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं—	55—56
1982—83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग, (जिला प्रशासन) अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग, (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) अनुदान संख्या 42 राजस्व विभाग—(राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 65—सहायता एवं पुनर्वासन विभाग (स्वीकृत)	56—100
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	100—101
ग्राम काशीपुर, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में पांच व्यक्ति यों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	101—105
उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव (स्वीकृत)	105—113
नत्थियां	114—122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--330

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री — गोंडा
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अनवार खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री — कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री — बरेली
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री — कानपुर
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला देवी, श्रीमती — हरदोई
रमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम, श्री — मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री — बलिया

किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री — हमीरपुर
कुवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती — हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री — देवरिया
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री — टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गया सिंह, श्री — उन्नाव
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाम नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपी नाथ दीक्षित, श्री — उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा

गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्दन सिंह, श्री — मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री — पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री — बरेली
छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदालाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
जमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री — फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री — मुरादाबाद
झिलमिट राम, श्री — गाजीपुर
तपेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेज बहादुर गंगवार, श्री — पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
त्रिवेनी, श्री — आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री — जालौन
दल सिंगार, श्री — आजमगढ़
दीना नाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री — गोंडा
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री — आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री — इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री — बहराइच

धर्मपाल, डाक्टर — अलीगढ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
ध्रुप राय, श्री — देवरिया
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
निर्मल खत्री, श्री — फैजाबाद
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फखरे आलम, श्री — बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर राव, श्री — खीरी
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री — बलिया
बलवीर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तर काशी
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दौहरे, श्री — फर्रूखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा0 — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री — लखनऊ

13524 H U.P.L.A. Vol. 355 1982

बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर
भागीरथ, श्री झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री देवरिया
भूधर नारायण मिश्रा, श्री कानपुर
भूपसिंह केन, श्री गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री बलिया
मंगलदेव, श्री गोंडा
मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
मालिक मो0 जमीर अहमद, श्री एटा
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा आगरा
महेश प्रसाद, श्री देवरिया
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री बस्ती
माधव प्रसाद, श्री फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मान बहादुर, श्री गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
मित्रसेन, श्री फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री बदायूं
मुईद अहमद, श्री सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
मेंहदी असगर, श्री मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री कानपुर
मोहन लाल, श्री हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री मिर्जापुर
यशपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री सहारनपुर

यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन) गोरखपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर फर्रुखाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री मैनपुरी
रती राम, श्री बिजनौर
रमा कान्त मिश्रा, श्री इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री रायबरेली
राज किशोर राव, श्री बहराइच
राज कुमार राय, श्री आजमगढ़
राजपति देवी श्रीमती सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री इलाहाबाद
राधे श्याम वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री हरदोई
राम करन, श्री वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0 जौनपुर
राम गोविन्द, श्री बलिया
राम चन्द्र, श्री वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री वाराणसी
रामजी राम, श्री फैजाबाद
राम धनी, श्री गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री कानपुर
राम प्यारे पाण्डेय, श्री फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री जालौन
राम प्रसाद, श्री मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री खीरी
रामयश सिंह, श्री सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री सीतापुर
राम लाल, श्री सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री हरदोई
राम शिरोमणि, श्री जौनपुर
राम समुझावन, श्री जौनपुर
राम सागर, श्री बाराबंकी
राम सिंह खन्ना, श्री बरेली

राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रुल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लटूरी सिंह, श्री — एटा
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विद्या भूषण, श्री — मुजफ्फरनगर
विनोद कुमार तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री — बांदा
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवपाल सिंह, श्री — उन्नाव
शिवमंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी गढ़वाल
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सन्त बक्स रावत, श्री — लखनऊ
संतोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दर अली खां, श्री — शाहजहांपुर
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुजान सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमनलता दीक्षित, कुमारी — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हरदेव, श्री — बलिया
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री — उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री — दवरिया
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरीशंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री — मुरादाबाद
हुकम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
हेमचन्द निमेष, श्री — मेरठ

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 17 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बद्रीनाथ यात्रा पर गयी बस के नदी में गिर जाने से व्यक्तियों की मृत्यु

*1—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 व 24 मई, 1981 को बद्रीनाथ यात्रा पर गयी एक बस के नदी में गिर जाने से 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो वे यात्री कहां के थे ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उक्त रोड के किनारे दीवार बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

दिनांक 24-5-1981 को बस संख्या यू0पी0एस0 7737 अलकनन्दा नदी में गिर गई थी जिससे चालक परिचालक सहित 38 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 34 यात्री मध्य प्रदेश के तथा 2 यात्री राजस्थान के थे। चालक परिचालक टेहरी जिले के थे। परिवहन विभाग द्वारा जांच कराई गई। उक्त सड़क डी0जी0सी0आर0 केन्द्रीय सरकार की है। अतएव सड़क पर दीवाल बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार को लिखा जायेगा।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो बस गिरी थी वह प्राइवेट बस थी या परिवहन विभाग की थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वह प्राइवेट बस थी।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जैसे उन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि उस सड़क पर दीवाल बनाने के सम्बन्ध में वे केन्द्रीय सरकार को लिख रहे हैं, उसी तरह से जो चालक, परिचालक और तीर्थ यात्री मर गये हैं उनके सम्बन्ध में भी वे लिखेंगे कि उनको भी मुआबजा दिया जाय ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मुआवजा तो हमारी सरकार देती ही है और वह केवल यात्रियों के लिये ही है क्योंकि उनसे 5 पैसा इंश्योरन्स के रूप में चार्ज किया जाता है इसलिये उनको मुआबजा देने की व्यवस्था है। बाकी के लिये मुआबजा देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह 24-5-81 की घटना है, काफी दिन हो गये और इतने लोग मर गये, कब तक मुआबजा देने के प्रश्न पर सरकार निर्णय ले लेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, और लोगो को तो मुआबजा दे दिया गया है और हम 3,78,936 रुपये मुआबजे के रूप में दे चुके हैं यात्रियों को, जो कि मर गये हैं।

जनपद रामपुर में बिलासपुर स्थित भाकड़ा डाम से निकलने वाली माया भाकड़ा नहर को पक्का कराने की मांग

*2—श्री जयदीप सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार की जानकारी है कि जनपद रामपुर में बिलासपुर स्थित भाकड़ा डाम से निकलने वाली माया भकड़ा नहर के ऊपरी तीन किलोमीटर में प्रत्येक वर्ष जगह-जगह भूस्खलन होकर नहर बन्द सी हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नहर के उपरोक्त भाग को पक्का कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

नहर पक्का कराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यशाला में अल्मुनियम की नीलामी तथा डिलीवरी के घोटाले में कार्यवाही

*3—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगें कि राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्रीय कर्मशाला में अल्मुनियम के नीलामी तथा डिलीवरी के घोटाले में निगम के सहायक परिवहन अभियन्ता तथा तत्कालीन स्टोर अधीक्षक को दिसम्बर, 81 को जेल में भेजा गया था ? यदि हां, तो उनके ऊपर आरोप क्या थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह सही है कि राज्य सड़क परिवहन निगम के वाराणसी क्षेत्रीय कार्यशाला में अल्मुनियम के नीलामी तथा डिलीवरी के घोटाले में निगम के सहायक परिवहन अभियंता श्री बी0 सी0 मिश्र को सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों द्वारा दिनांक 2-12-81 को वाराणसी में व तत्कालीन स्टोर अधीक्षक के पद पर नियुक्त, श्री ए0 के0 पान्डे को इस समय उसी पद पर कानपुर में नियुक्त हैं, को दिनांक 2-12-81 को कानपुर में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था ।

इन अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप था कि इन्होंने वर्ष 1977 में अल्मुनियम के टुकड़ों की नीलामी के मामले में अपने पद का दुरुपयोग करके, अल्मुनियम की डिलीवरी में खाली ट्रकों का वजन ज्यादा दिखाकर नीलाम लेने वाली पार्टी को 1465 किलोग्राम अल्मुनियम जिसका मुल्य रु0 11,543.62 होता है, अधिक देकर पार्टी को लाभान्वित किया ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये जो सहायक अभियन्ता और स्टोर अधीक्षक है, उनको कब निलम्बित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जब जांच की गई तो यह पाया गया कि उन्होंने गड़बड़ी की है, उनके ऊपर कार्यवाही की गई ।

श्री हरिवंश सहाय—

उनका निलम्बन किया गया, या नहीं ? यदि हां, तो किस तारीख को किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि इनको अभीतक निलम्बित नहीं किया गया है, उनको निलम्बित करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, निलम्बित तो ये अधिकारी हो गये हैं। दो तो अरेस्ट हो गये और तीन ने कोर्ट में सरेंन्डर कर दिया। उनके ऊपर अभियोग चलाने की कार्यवाही हो गई है जो कि कोर्ट में चल रही है।

सिंचाई कार्यशाला, झांसी में लाखों रुपयों की लूट के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*4---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्यशाला झांसी में लाखों रुपए की लूट के सम्बन्ध में 21 दिसम्बर, 1979 को राष्ट्रीय श्रमिक संघ सिंचाई उद्योगशाला, झांसी के पदाधिकारियों द्वारा आपके पास शिकायती पत्र भेजा गया था ? उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां।

राष्ट्रीय श्रमिक संघ सिंचाई कार्यशाला, झांसी के पदाधिकारी श्री मकरन्द प्रसाद का दिनांक रहित एक शिकायती पत्र 14-1-80 को प्राप्त हुआ था कि जिस पर जांच के समय शिकायत कर्ता ने सूचित किया है कि उक्त पत्र उनके द्वारा नहीं दिया गया है तथा शिकायतें भी सही नहीं पाई गई।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो श्री मकरंद प्रसाद का पत्र 14-1-80 को प्राप्त हुआ उसकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या-क्या है और उनकी जांच किस अधिकारी के द्वारा आपने कराई है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं 1---वर्कशाप में लगभग एक हजार लोहे का स्क्रेप पड़ा हुआ है जिसकी कीमत 45 लाख रुपये की होती है, वर्क मैनेजर श्री त्रिवेणी प्रसाद मेहता और उनके विश्वासपात्र श्री रामस्वरूप लिपिक ने मिलकर इसका टेंडर झांसी के ही किसी आदमी के नाम करा लेना चाहते हैं, 2---अब आपका ध्यान पुनः आकर्षित कराना चाहता हूं कि यहां पर जो जनरेटर हैं उनकी रिपेयरिंग राजधानी मोटर से कराई गयी है और उसमें एक लाख रुपये खर्च हुआ है लेकिन यह जनरेटर एक दिन भी नहीं चले हैं, 3---यहां स्टोर में 20 लेबर कार्य करते हैं किन्तु खेद है कि अपनी निजी फायदे के लिए स्टोर में जो भी सामान तथा प्लेटों के चट्टा ठेकेदार से ही लगवाये जाते हैं, 4---सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि श्री त्रिवेणी प्रसाद मेहता जी को स्वयं एपाइंटिंग आथेरिटी हैं और उनके ऊपर जो विजलैंस की जांच हो रही है, उस अधिकारी के कुछ आदमी इन्होंने कारखाने में रख लिये हैं इस कारण इनकी जांच बिजिलैंस अधिकारी सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। हर भ्रष्टाचार को यह अधिकारी इस प्रकार की रिश्वत लेकर दबा रहे हैं अतः इस मामले को सी0 बी0 आई0 के द्वारा जांच कराई जायं। इसकी जांच हरिहर सहाय कार्यप्रबंधक से कराई गयी लेकिन उनकी शिकायतें सहीं नहीं पायी गयी दूसरी बात यह कि इन्होंने स्वयं कहा कि यह शिकायती पत्र मेरे दस्तखत से नहीं गया है किसी दूसरे आदमी ने दे दिया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मंत्री जी ने मुख्य-मुख्य शिकायतें बताई। मेरी जानकारी को सही आधार मानकर कि यह जनरेटर जिस पर हजारों रुपया मरम्मत पर व्यय हुआ आज भी ठीक हालत में नहीं है और जो स्टोर का समान है वह बाजार में चला आता है तो इन तथ्यों को सही मान कर पुनः किसी दूसरे अधिकारी से जांच कराने का आश्वासन मंत्री जी देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें यह सही नहीं पाये गये लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं इसलिए इनकी पुनः जांच करा लूंगा।

जिला चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत झूला पुलों का निर्माण

*5—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978–79 और 1979–80 में जिला चमौली तथा जिला पौड़ी गढ़वाल में किन-किन स्थानों पर झूला पुल स्वीकृत हुए हैं? दिनांक 30 नवम्बर, 1981 तक प्रत्येक झूला पुल पर कितना प्रतिशत कार्य हुआ है और कब तक झूला पुल बन कर तैयार हो जायेंगे तथा इनके देरी से पूरा होने का क्या कारण रहा है ?

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने 9–12–81 को यह प्रश्न किया था और शासन की ओर से इसको 3–2–82 को स्थगित किया गया था। यदि प्रश्न को पढ़े तो इसमें यह लिखा है कि 1978–79 और 1979–80 में चमोली तथा पौढ़ी गढ़वाल में किन किन स्थानों पर झूला पुल स्वीकृत हुए हैं ? मान्यवर, यह चार साल पहले की बात है, इसमें सूचना एकत्रित करने का प्रश्न कहां है। यह सूचना तो पहले ही से यहां पर एकत्रित है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस चीज की सूचना वह एकत्रित कर रहे हैं ? मैंने तो यह भी पूछा था कि कौन-कौन पुल स्वीकृत किये गये हैं उनके नाम बता दें उसके लिए तो सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। तो माननीय मंत्री जी बता दें कि वह कौन कौन पुल स्वीकृत हुए हैं ? और बाकी सूचना कब तक मंगा लेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, एक बात नहीं पढ़ी यह भी पूछा है कि प्रत्येक पुल पर कितना प्रतिशत कार्य हुआ है और कब तक ये पुल बन कर तैयार हो जायेंगे तथा उनके देर से पूरा होने का क्या कारण रहा है। आपकी बात मुनासिब है, इसमें विलम्ब ज्यादा हुआ है, यह नहीं होना चाहिए था। अब 15 दिन में आपको पूरा उत्तर मिल जाएगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

यह नाम तो बता ही सकते हैं कि कौन कौन पुल स्वीकृत हैं ?

श्री अध्यक्ष—

क्या नाम उनके आपको मालूम हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना—

सारी सूचना आपको 15 दिन के अन्दर दे दी जाएगी, यह कह दिया है।

[17 फरवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री भीखालाल—

[21-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 51 द्वारा उत्तरित]

कैन्टीन कैसरबाग हेतु आर0 एम0, लखनऊ द्वारा दैनिक वेतन पर मांगे गये आफर्स

*2—श्री अकबर हुसैन तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री को विदित है कि अक्तूबर, 1981 में कैन्टीन, कैसरबाग के लिए जो आर0 एम0, लखनऊ द्वारा दैनिक वेतन पर आफर्स मांगे गये थे उन में सबसे ऊंचा आफर 6200 रुपए का था परन्तु उस को अस्वीकार कर दिया गया और केवल 4,700 रुपए के आफर पर कैन्टीन दी गयी ? यदि हां, उसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । दैनिक दर पर कोई आफर मांगा ही नहीं गया था । अतएव दैनिक आफर के अस्वीकार करने को प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अकबर हुसैन—

28-9-81 को नीलामी की तिथि तय हुई थी, जो आप किसी कारणवश या घोटाले के कारण नहीं करा सके और राकेशकुमार ने उसमें 22 हजार पांच सौ का प्रार्थना पत्र दिया था, तो क्या वह बताएंगे कि कैसरबाग की कैन्टीन कितने दर पर चलाई जा रही है और जो बाकी 22 हजार वाला आफर था, उसको स्वीकार न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तीन साल पहले यह नीलाम हुआ था, बाद में जून, 81 में खत्म होने वाला था । लेकिन पहले यह देखा गया कि जो लोग ठेका ले लेते थे, वे बाद में पैसा लेकर भाग जाते थे और पैसा नहीं देते थे । इसलिए नया नियम यह बनाया गया कि अब टेण्डर देने के लिए 5 सौ के बजाए 5 हजार रुपया लिया जाएगा और तीन साल के बजाए एक साल होगा। तो यह प्रतिबन्ध लगाया गया था, सितम्बर, में जो टेंडर हुआ, बहुत से लोग उसमें आए नहीं, इसलिए बोली चली नहीं । इसलिए पुरानी वाली जो 47 सौ रुपये वाली चली थी, वही चलती रही । बाद में नवम्बर वाली बोली पर फिर ठेका दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने कहा कि कोई आफर मांगा ही नहीं गया तो क्या वह जांच करेंगे कि 29-9-81 को 6222 रुपये का एक आफर आर0 एम0 में स्वयं लिया है ? इसके साथ साथ क्या यह सही है कि 27-11-81 को जो नीलाम किया गया, उसके आपके टेण्डर के अनुसार हर कैंटिन व बुकस्टाल की नीलामी का अलग-अलग नोटिस दिया गया था, लेकिन अलग-अलग नीलाम न करके इकट्ठा नीलाम किया गया और जो 5 हजार रुपये की बोली लगी आपने उसके बावजूद किन कारण 4700 रुपये पर उन को दे रखा है ? क्या इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी बात नहीं है 28/29 तारीख का जो 6200 रुपया वाला था, उसमें अर्जेस्ट मनी जमा करना था, लेकिन किसी ने जमा नहीं किया और 29 तारीख को उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि वह इतना रुपया देना चाहते है । तो ऐसा नहीं होता है । जो उसे समय पर करते और टर्म्स एण्ड कन्डीशन के अनुसार करते हैं, वही सही होता है । इसीलिए उसकी स्वीकृत नहीं माना गया । बाद में 60 हजार रुपया सालाना बोली आई और उसी के अनुसार वसूली हो रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

जो आपने नोटिस दिया है जिसमें आपने टेन्डर्स मांगे है उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक की अलग-अलग बोली होगी यानी हर चीज के लिए अलग-अलग होगी, जो फिर इसको खत्म करके आपके नीलामी कलेक्टिस तरीके से किस आधार पर की, जिसकी बोली भी 6–7 हजार रुपया तक आई। आज भी 4700 रुपये पर क्यों दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

4700 रुपये नवम्बर से पहले लिया गया था लेकिन बाद में 6000 रुपये की बोली आयी। होता यह था कि एक आदमी सब जगह जाकर बोली बोल देता था और बाद में वह भाग जाता था। तो इसलिये एक ही दिन उस रीजन की सारी बोलियां बुलवायी गयी ताकि निगम को कोई नुकसान न हो।

श्री रियासत हुसैन—

आपने जो टेन्डर मंगाये उसकी फोटो स्टेट कापी मेरे पास है, अगर मंत्री जी के पास न हो तो मैं भेज दूंगा। इसमें आपने कहा कि हर चीज के लिये अलग-अलग ठेके होंगे जैसे कैन्टीन के अलग, बुक स्टाल के अगल जिसमें 5,000 रुपया एडवान्स जमा करना हो गया। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब आपने टेन्डर इन्वाइट किये तो कहा गया कि अलग-अगल बोली बोलेंगे लेकिन 27–11–81 को जो नीलाम हुआ उसमें सामूहिक क्यों कर दिया गया जिसमें ठेकेदार को 25,000 रुपया जमा करना हो गया। तो उसका फायदा उठाकर आपके आर0 एम0 ने 4700 रुपये की बोली वाले को ठेका दे दिया ? यह क्यों किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

हर आर0 एम0 द्वारा अलग अलग बोली बुलायी गयी। एक आदमी 5000 रुपये जमा करके हर क्षेत्र में बोली लगा सकता था। अगर माननीय सदस्य को कोई शंका है तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री अकबर हुसैन—

यह अलग-अलग रीजन का सवाल नहीं है। विज्ञापन में यह था कि "कैन्टीन, जनरल मरकैन्डाइज और बुक स्टाल आदि की अलग-अलग बोलियां होंगी।" तो उस दिन मौके पर क्यों संयुक्त बोली करायी गयी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, सारे प्रदेश में कैन्टीन की नीलामी होती है जिसमें बहुत घोटाला होता है और अगर यह न हो तो करोड़ों रुपये का लाभ निगम को हो सकता है तो इनके अधिकारी और कुछ ठेकेदार इस तरह से घोटाला करते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि सदन की कोई समिति बना दे जो इस घोटाले की जांच करे ? देखने में यह आया है कि आगरे से कन्नौज तक एक ही ठेकेदार 10–10 और 12–12 कैन्टीन के अफसरों से मिलकर ठेके ले लेते हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह—

उनकी शिकायत को देखकर ही ऐसा किया गया कि एक ही ठेकेदार सब जगह की बोली बोलकर ठेका ले लेता था। इसलिये जो पहले 500 रुपये जमा करने की बोलेगा उसको बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया और कहा गया कि बोली भी एक ही दिन होंगी तो जो हाइयेस्ट बोली बोलेगा उसको ठेका दिया जायेगा। तो जितना फेयर हो सकता था, किया गया। पहले की जितनी कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास इस बार किया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

जब पहले हर चीज के लिये अलग अलग टेन्डर का विभाजन किया गया था तो इस बार सामूहिक एक ही आदमी से सबका टेन्डर लेने का निर्णय क्यों लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना यह है कि एक कैन्टीन की खुली बोली बोली गयी। (व्यवधान) जो टेन्डर दिया गया वह कैन्टीन का दिया गया । अब जो शिकायत आपने की है उसे मैं दिखा लूंगा ।

श्री राम कुमार भार्गव—

जिस तरह से रेलवे में पिछड़ी जाति को इनमें आरक्षण दिया गया है, क्या मंत्री जी अपने यहां भी आरक्षण रखेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो भी उसके लिये नियम बने हुये हैं उनका पालन 100 प्रतिशत किया जायेगा । अगर कहीं कोई कमी है तो उसको देख लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

इसमें कैन्टीन, बुक स्टाल और पान की दुकान तीनों शामिल हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि अलग-अलग इनके लिये टेन्डर क्यों नहीं मांगे गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, कैन्टीन अलग है, बुक स्टाल और पान यह अलग-अलग हैं । कैन्टीन की जगह कोई बुक स्टाल नहीं खोल सकता ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

इसमें हरिजनों के लिये क्या आरक्षण है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये ।

वाराणसी रोडवेज के लिए खरीदा गया त्रिपाल

*3—श्री ऊदल—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 72 अथवा 73 में वाराणसी रोडवेज के लिये तीन लाख रुपये का त्रिपाल खरीदा गया था, जो मौके पर पहुंचा ही नहीं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सारी कार्यवाही फर्जी तरीके से की गयी है ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में सी0 आई0 डी0 से भी जांच कराई जा रही थी ? यदि हां, तो उसमें क्या हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*4—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[21वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य सड़क परिवहन निगम में आन्तरिक संपरीक्षा हेतु आडिट शाखा का गठन

*5—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में पृथक आडिट शाखा का गठन गत दो वर्ष पूर्व हो गया था ? किन्तु आज तक आडिट शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 4, आन्तरिक परीक्षा हेतु, आडिट शाखा का गठन वर्ष 1977 में किया गया था। इस शाखा में उप मुख्य लेखाधिकारी का केवल एक पद सृजित है जो भरा जा चुका है।

संपरीक्षा अधिकारी के 14 पदों में से 10 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

वरिष्ठ संपरीक्षक के 14 पदों में से 11 तथा संपरीक्षक के 28 पदों में से 25 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मित्रसेन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने पद सृजित हैं उन सभी पर नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है और जिन-जिन पर नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं वह आदेश कब जारी किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह नियुक्ति में विलम्ब होने का एक कारण यह था कि निगम का यह विचार था कि इसमें जो लोग आडिट के लिये जायं विभागों के लोग न लिये जायं, बाहर के लोग लिये जायं और वे लोग बाहर के बुलाये जांय, जो आडिट का काम करते हैं। मान्यवर,संपरीक्षाधिकारी के 14 पदों में 10 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किये जा चुके हैं। वरिष्ठ संपरीक्षक के 14 पदों में से 11 तथा संपरीक्षक के 28 पदों में से 25 पदों पर नियुक्ति के आदेश दिये जा चुके हैं। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाहर के लोगों को इसमें बुलाया जाना था, इस वजह से विलम्ब हुआ। तो क्या मान्यवर, इसमें बाहर के लोगों को नियुक्ति के लिये बुलाया गया कि नहीं और जिनकी नियुक्ति की गयी थी, इसका कब आदेश जारी किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह नियुक्ति तो जल्दी ही हुई थी। इसमें सहकारिता विभाग से लिया गया है और पंचायत राज विभाग से केवल लेना था 41, तो बाहर से लिये गये, 6 उसी विभाग के लिये गये। तो यह कोशिश की जा रही है कि जो जरूरत है वह बाहर से लिये जांय और जो कमी है, उसे भी शीघ्र ही पूरा किया जाय।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, दो साल से आडीटर नहीं हैं, तो इस विभाग का आडिट कौन कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, पहले जो आडीटर विभागीय थे, वह केवल पांच आदमी इस कार्य के लिये थे। लेकिन अब यह है कि अब बाहर से लेने की बात जो हुई थी, उसकी वजह से उसमें विलम्ब हुआ है।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, इस विभाग के जो आडीटर हैं, ये किसके अन्तर्गत काम कर रहे हैं आपके अन्तर्गत काम कर रहे हैं, अथवा किस विभाग के अन्तर्गत काम कर रहे हैं ? क्या इनकी स्वतन्त्रता सुरक्षित है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, ये उप मुख्य लेखाधिकारी जो विभाग के हैं, वह उनके अन्डर में काम कर रहे हैं जो कि विभाग के हैं। लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि बाहर से कोई एकाउन्ट्स आफीसर मगायें।

जनपद रायबरेली के सलोन कस्बे में नया बस बुकिंग आफिस

*6---श्री मोहन सिंह---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के कस्बा सलोन में विभाग का अपना बस स्टेशन होने के बावजूद भी किराये का भवन लेकर दूसरा बस स्टेशन क्यों खोला गया है ? दूसरे बस स्टेशन पर शासन को प्रति माह कितना खर्च करना पड़ रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जनपद रायबरेली के सलोन कस्बे में दूसरा बस स्टेशन खोला नहीं गया है, बल्कि इस कस्बे की मुख्य आबादी से बस स्टेशन के फासले को देखते हुये जनता को और अधिक सुविधा देने हेतु जनहित तथा जन सामान्य की मांग पर केवल एक बुकिंग आफिस सलोन मुख्य बाजार में खोल दिया गया है, जिस पर मात्र रुपया 75 प्रति माह का खर्चा है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि परिवहन निगम जो बुकिंग आफिस खोला है, तो उसके लिये एक सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि उसकी प्रति दिन, उस बुकिंग आफिस की आमदनी कितनी है। हमारी जानकारी क हिसाब से जिस बुकिंग आफिस में 2 हजार रुपये से कम आमदनी होती है, वहां पर बुकिंग आफिस जनहित में नहीं खोले जाते हैं। जनहित में जो आपने बुकिंग आफिस खोल दिया है, उससे कितनी आमदनी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं मान्यवर ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, वहां पर पहले से बुकिंग आफिस था, यह नया नहीं खोला गया है। जब बस स्टेशन टाउन से बाहर बन गया तो लोगों ने कहा कि जो सुविधा हमको मिली हुई है, उससे हमें वंचित न किया जाय। मान्यवर, उस भवन की जो बात है वह बुकिंग आफिस का भवन 75 रु0 किराये पर है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आया नहीं। मैंने यह पूछा कि जनता के हित के लिये इतने चिंतित माननीय मंत्री जी जो हैं, केवल सलोन में ही ऐसा किया है, मान्यवर, बाकी जगह तो इन्होंने किया नहीं, तो उससे आमदनी प्रति दिन उस बुकिंग आफिस से कितनी है मान्यवर, यह बता दें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, इसकी सूचना नहीं है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने केवल एक हिस्सा बताया कि केवल 75 रुपये उसका भाड़ा दिया जाता है। लेकिन जब आप बुकिंग आफिस खोलते हैं, तो उसमें केवल भाड़ा ही नहीं देखा जाता है। वहां कम से कम दो बुकिंग क्लर्क होंगे, एक चपरासी होगा, एक चौकीदार होगा। इन सारी चीजों पर प्रतिमास कितना खर्च करना पड़ रहा है। मैंने मूल प्रश्न यह किया था। उनके वेतन पर कितना खर्च करना पड़ रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

यह उस तरह का बुकिंग आफिस नहीं है जहां इतने स्टाफ की जरुरत हो। जो बस वहां रुकती है लोगों को दिक्कत न हो इसलिये ऐसा है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें। मैंने 2 प्रश्न अनुपरक पूछा और दोनों का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, आप संरक्षण दें। यदि आप सन्तुष्ट हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

इस नये बस बुकिंग आफिस पर कितना खर्च हो रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

एक सदस्य---

इस प्रकार के बहुत से रिक्वेस्टेड स्थान हैं।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मान्यवर, यह बगल का रायबरेली जिले में सलोन का प्रश्न है। मैंने 30-12-81को प्रश्न किया और इससे जो संभावित दो अनुपूरक मैंने किया और जिनका उत्तर होना चाहिये था इसका उत्तर माननीय मंत्री जी के पास नहीं है। मान्यवर, इसको स्थगित कर दें। मंत्री जी पुनः इसकी सूचना प्राप्त करके उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष---

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के कस्बा सलोन में विभाग का अपना बस स्टेशन होने के बावजूद भी किराये का भवन लेकर दूसरा बस स्टेशन क्यों खोला गया है। दूसरे बस स्टेशन पर शासन को प्रति माह कितना खर्च करना पड़ रहा है। इस दूसरे हिस्से का उत्तर है, आपके पास ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

75 रुपया प्रतिमाह का खर्चा हो रहा है।

श्री रियासत हुसैन---

यह किस चीज का खर्च है ?

श्री मोहन सिंह---

यह मकान भाड़ा बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

क्या बता रहे हैं। लिखा है कि 75 रुपया प्रति माह का खर्च है।

श्री रियासत हुसैन--

यह किस चीज का खर्च है ? क्या वहां बुकिंग क्लर्क नहीं बैठता है ? कोई आटोमेटिक मशीन है जिससे टिकट बंट जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

75 रुपया जो उत्तर है प्रतिमाह खर्च का इसमें क्या-क्या शामिल है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह किराया है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, किराया देकर क्या अपना टिकट लोग अपने आप से ले लेते हैं यह हमारी समझ में तो आ नहीं रहा है कि 75 रुपये में बस स्टेण्ड चलाया जा रहा है।

श्री फखरे आलम--

क्या वहां टिकट रख दिया है कि आदमी आये और पैसा रखकर टिकट ले ले ?

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। मैं उत्तर दिलवा रहा हूं। 75 रुपया किराये के अलावा क्या और कोई खर्च नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

किराया 75 रुपया है। बगल में बस स्टैण्ड बना हुआ है। यह कोई बस स्टेशन नहीं है, बस स्टाप है। यह केवल वहां लोगों को सुविधा के लिये है।

श्री अध्यक्ष--

75 रुपये के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसको देखना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--

देखकर आपको बता देंगे।

*7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[10-2-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 9 द्वारा उत्तरित]।

*8--श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

[6ठें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*9--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*10--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित।]

हथौड़ा ड्रेन, हरदोई की सप्लाई हेतु स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

*11—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1980–81 में हथौड़ा ड्रेन हरदोई की सफाई हेतु शासन ने 18 लाख रु0 स्वीकृत किया था जिसका 14 लाख रु0 बिना सफाई किए हुए खर्च करना दिखा दिया गया ? इसकी शिकायत दिनांक 19–12–81 को जनपद हरदोई की सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में मा0 विधायकों ने की ? यदि हां, तो इस संबंध म क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । वर्ष 1980–81 में हथौड़ा ड्रेन की सफाई पर कोई व्यय नहीं किया गया है ।

जी हां ।

दिनांक 19–12–81 की बैठक में हथौड़ा ड्रेन से संबंधित मुख्यत: दो बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया था :—

1—ग्राम गौरा के निकट पुल का निर्माण।

2—ड्रेन के पुनरोद्धार पर मार्च, 1981 तक हुये व्यय के संबंध में असंतोष ।

ग्राम गौरा के निकट पुल का निर्माण कार्य चल रहा है तथा ड्रेन के पुनरोद्धार पर हुआ व्यय कार्य की सार्थकता के अनुरूप रहा है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्राम गौरा के निकट पुल का निर्माण और ड्रेन के पुनरोद्धार हेतु 1980–81 में शासन ने कितना रुपया स्वीकृत किया और कितना खर्च हुआ । मेरी जानकारी को सत्य मानकर कि उन्नाव डिवीजन टूट कर हरदोई में आ गया जिससे वहां का इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लिखा है कि 14 लाख रुपये जो खर्च दिखाया गया वह गलत है, उसका हिसाब किताब नहीं दिखाया गया है, इसलिये क्या मंत्री जी संपूर्ण प्रकरण की जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है । जानकारी उनको कम है । वर्ष 1980 में जो खर्च में दिखाया गया है उसमें बहुत सी मदें हैं जैसे पुलों के निर्माण में 9,16,000 रुपये खर्च हुआ, मिट्टी के कार्य में 3,36,761 रुपये खर्च हुआ है, सर्वे में 8 हजार रुपये और भूमि-अध्याप्ति में 55 हजार रुपये खर्चा हुये हैं । तो यह जो खर्चे है वह देखेंगे कि कई वर्षों में खर्च किये गये हैं, एक वर्ष में खर्च नहीं किये गये हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

शासन ने कितना रुपया स्वीकृत किया इसका जवाब नहीं दिया गया है । हमारे क्षेत्र का यह ड्रेन है जिससे हजारों एकड़ जमीन उससे प्रभावित होती है । इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 19–12–81 को जो सिंचाई सलाहकार समिति की मीटिंग हुई जिसमें विधायकों की शिकायत पर जांच के लिये आदेश दिये गये और कहा गया कि 15 फरवरी तक जांच रिपोर्ट दे दें, यदि यह बात सही है जिस अधिकारी को जांच के लिये कहा गया उसका नाम क्या है और जांच रिपोर्ट में क्या दिया है ? यदि नहीं दिया है, तो उसके क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है उसमें सलाहकार समिति ने गौरा के पास पुल बनाने का सुझाव दिया था और वहां पुल बनाया जा रहा है । ड्रेनके पुनरोद्धार में

ज्यादा खर्च किया जा रहा है, इस पर जांच की गयी तो बताया गया कि जिन मदों पर व्यय किया गया है वह भूमि प्राप्त करने में, पुल बनाने में, ड्रेन की रिमाडलिंग और उसकी लम्बाई बढ़ाने में खर्च किया गया है, इसलिये जो शिकायत की है, वह ठीक नहीं है ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, जो बताया गया है कि 14 लाख रुपये खर्च हुआ है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें वर्क आर्डर कितने का हुआ पुल का काम कितना हुआ और कितना पीस वर्क हुआ है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो सवाल पूछा गया था वह बताया गया है ।वर्क आडर में कई वर्षों में काम किया गया है, इसलिये यह विस्तार की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इससे वह संबंधित नहीं है ।

बस्ती जनपद के नलकूप विभाग के राजकीय स्टोर से सीमेन्ट की चोरी

*12—कुमारी अलमेलु अम्माल (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1981 में बस्ती जनपद के नलकूप विभाग के राजकीय स्टोर से 1027 बोरी सीमेन्ट की कथित चोरी में विभागीय अधिकारियों का हाथ होने के संबंध में क्या उच्च स्तरीय या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा जांच करवायी गई, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों को दंडित करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माह अक्तूबर, 81 में नहीं बल्कि नवम्बर, 81 में दिनांक 18/19 की रात्रि में बस्ती जनपद के नलकूप विभाग के राजकीय स्टोर से 1027 बोरी सीमेन्ट की चोरी हुई । इस चोरी की एफ0 आई0 आर0 दिनांक 19-11-81 को थाना कोतवाली, बस्ती में दर्ज करा दी गयी है ।

पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के अतिरिक्त विभागीय जांच हेतु अधिशासी अभियन्ताओं की एक जांच समिति गठित की गयी है जिसके द्वारा जांच प्रगति पर है । जांचोपरान्त यदि इस मामले में कोई विभागीय अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरी इसमें रुचि है, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे जिले का सबसे बड़ा इसमें घोटाला हुआ है । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि ताला बंद था और सीमेन्ट गायब हो गया । इंजीनियर महोदय जब गये तो उन्होंने दूसरी चाभी से ताला खुलवाया तो पता चला कि सीमेंट ही नहीं है । मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह एफ0 आई0 आर0 क्या लिखवायी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 की कापी तो है नहीं लेकिन पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गयी है कि सीमेंट की चोरी हो गयी है ।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 12 श्री माता प्रसाद पान्डेय की रुचि पर लिया गया ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, स्टोर में ताला लगा हुआ था और चौकीदार ड्यूटी पर था और जब सीमेंट निकालने के लिये गये तो जब ताला खोला गया तो पता चला कि सीमेंट नहीं है। तो यह किस प्रकार की चोरी है ? 1027 बोरी सीमेंट चोरी की गयी है तो उसके लिये 5-7 ट्रक गये होंगे और लादा होगा। एफ0 आई0 आर0 के माध्यम से पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है ? अधिकारियों को बचाने का प्रयास विभाग कर रहा है। मान्यवर, आप संरक्षण दें।

श्री वीर बहादुर सिंह---

एफ0 आई0 आर0 की रिपोर्ट तो है नहीं। 19-11-81 को एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है कि सीमेंट चोरी चला गया है। तो पुलिस तफतीश कर रही है और विभागीय अधिकारियों की कमेटी बना दी गयी है तो जांच करके जल्दी रिपोर्ट देने वाली है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

एफ0 आई0 आर0 में लिखाया होगा कि कैसे चोरी हुयी। मान्यवर, इसको स्थगित करा दें।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ---

मान्यवर, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह स्टोर इक्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा असिस्टेंट इंजीनियर के बंगले के बीच में है। तो वहां से किस समय यह चोरी चली गयी। वहां चौकीदार था या नहीं था। अगर था तो चौकीदार की तरफ से या इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरक से एफ0आई0आर0 लिखायी गयी और क्या लिखायी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

एफ0 आई0 आर0 श्री ए0 के0 श्रीवास्तव, स्टोर इन्चार्ज ने लिखायी है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, जैसा कि विदित है कि ट्यूबवेल कालोनी में स्टोर स्थित है। तो कौन सी तारीख को स्टोर कीपर ने 1027 बोरी सीमेंट स्टोर करने के लिये रिसीव किया और कितने दिनों बाद यह एफ0 आई0 आर0 लाज करायी गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इतनी तो सूचना नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

मान्यवर, इसको स्थगित करा दें। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री मेंहदी असगर---

किन लोगों के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है ? आपके विभाग के आदमी या दूसरे आदमियों ने चोरी की ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जे0 ई0 ने रिपोर्ट लिखवायी है कि सीमेंट चोरी चली गयी। मामले की तफतीस हो रही है। अब जांच एस0 ई0 को दे दीगयी है। जांच रिपोर्ट आने पर कोई आदमी बख्शा नहीं जायगा, उसके खिलाक कार्यवाही होगी।

श्री मेंहदी असगर---

क्या चोर जो हैं वह आपके विभाग के हैं ?

श्री अध्यक्ष---

इसी की तो जांच हो रही है ।

श्री चन्दन सिंह---

एफ0 आई0 आर0 कौन सी तारीख को हुयी और पुलिस ने क्या कार्यवाही की, कितने परचे काटे गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

19 नवम्बर, 81 को एफ0 आई0 आर0 हुयी है । पुलिस ने क्या कार्यवाही की है इसकी रिपोर्ट नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मुझे सन्देह है कि यह सीमेंट स्टोर में गयी ही नहीं है और ऊपर ही ऊपर इसका वितरण हो गया है । मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सीमेंट 1027 बोरी स्टोर के अन्दर कौन सी तारीख को किसकी निगरानी में रखी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मैंने कहा कि इसकी मै जांच करवा रहा हूं । जांच रिपोर्ट आ जाने पर मालूम होगा कि सीमेन्ट आया या नहीं आया । कमेटी बना रहा हूं एस0 ई0 को बिठा रहा हूं, जिससे डिटेल में सारी बातें आ जायं ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि सीमेंट कुल कितनी बोरी था स्टोर में और इसके गायब होने का पता किसको चला और क्या स्टोर में ताला लगा हुआ था ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी बोरी सीमेंन्ट की चोरी की सरकार को जानकारी है ? और जितनी बोरी सीमेंन्ट चोरी गयी, उसकी मात्रा बताने का आधार क्या है ? वह सीमेन्ट किस तारीख को वहां आया था ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो कहा है 1027 बोरी गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

लेकिन मान्यवर, वह तो प्रश्नकर्ता ने सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष---

आपने भी तो उसे स्वीकार किया है ।

श्री वीर बहादुर सिंह---

कितना आया, कब आया, यह तो मैंने बताया कि चोरी हुई, उसकी जांच हो रही है । यह सारी बातें जो आप कह रहे हैं जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वयं स्पष्ट हो जायेंगीं ।

नोट :---तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

प्रगति आश्रम हाई-स्कूल, बालागंज, लखनऊ में सेवारत अध्यापिका श्रीमती माधुरी पाण्डेय की सेवाओं के आदेश को निरस्त करते हुए पुर्ननियुक्ति

*13—श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धक प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ द्वारा उक्त स्कूल में विगत 10 वर्षों से सेवारत अध्यापिका श्रीमती माधुरी पांडेय की सेवायें दिनांक 30 जून, 81 से समाप्त कर दिये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के ज्ञापन दिनांक 3-6-81, 24-6-81, 2-7-81 व 3-9-81 श्री गुरु प्रसाद, एम0 एल0 सी0 के ज्ञापन, दिनांक 29-5-81, 8-6-81 तथा श्री अब्दुल हकीम, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी (आई), लखनऊ का ज्ञापन दिनांक 19-6-81 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? क्या सेवा समाप्ति के आदेश जारी करने के पूर्व प्रबंधाधिकरण ने नियमानुसार कोई प्रस्ताव पारित किया था तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने अपने आदेश संख्या सा-29-10-15/81-82, दिनांक 28-7-81 एवं संख्या सा-5312-27/81-82, दिनांक 31-8-81 द्वारा प्रबन्धक द्वारा सेवा समाप्ति के आदेश दिनांक 20-5-81 को निरस्त करते हुए उक्त स्कूल के प्रबन्धक को आदेश दिये हैं कि चूंकि श्रीमती पांडेय की सेवायें बहाल कर दी गयी हैं अतएव उन्हें कार्यभार ग्रहण कराये ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

जी हां। सूचना एकत्र की जा रही है। हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के अनुपालन में दिनांक 29-7-81 को श्रीमती पांडेय को कार्य भार ग्रहण कराया गया और वे 28-8-81 तक स्कूल की उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करती रहीं परन्तु उसके बाद वे उपस्थित नहीं हुई। मा0 उच्च न्यायालय ने प्रश्नगत याचिका को अपने आदेश दिनांक 25-11-81 द्वारा निरस्त कर दिया। पूर्ण स्थिति से प्रबंधाधिकरण ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया है। प्रश्न तभी उठेगा जबकि बेसिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा अधिकारी के सन्दर्भ पर शासन का शिक्षा विभाग मामले में विचार कर निर्णय ले लेंगे और हरिजन समाज कल्याण विभाग को संस्था की ग्रांट को रोकने के औचित्य से अवगत करायें।

14—श्री गौरीशंकर भैया--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*15—श्री झिलमिट राम--

[7वें बुधवार के लिये स्थगित]

*16—श्री विष्णु दयाल वर्मा--

[केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद आगरा का विभाजन करके फिरोजाबाद को नया जनपद बनाने का विचार

**1—श्री बदन सिंह (अनुपस्थित) --

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा का विभाजन करके फिरोजाबाद को नया जनपद बनाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा जिलों की भौगोलिक दुर्गमता को देखते हुए दो नये जिलों का गठन

**2---श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा जिलों की भौगोलिक दुर्गमता को तथा वहां की जनता की मांग को देखते हुये दो नये जिलों का गठन का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जायेगी ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)---

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं इस संबंध में माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जांय, जिसका प्रश्न है उसको तो पूछलेने दें।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी धनराशि इन जिलों के बनाने में खर्च होगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल---

मान्यवर, सन् 76 में एक नया जिला बनाने का खर्चा 50 लाख रु0 था। अब यह खर्चा और अधिक बढ़ गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट---

जब इतना खर्चा उसमें था, तो क्यों ऐसी संभावना जनता में पैदा की जिससे असन्तोष पैदा हो गया है ?

श्री राम नरेश शुक्ल---

असंतोष की कोई खबर हमारे पास तो है नहीं।

श्री चारु चन्द्र ओझा---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नया जिला खोलने के लिये क्या आयुक्त, कुमायूं मण्डल से कोई विस्तृत रिपोर्ट शासन द्वारा मांगी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो आपका अलग से प्रश्न है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस संबंध में कुमायूं के कमिश्नर के द्वारा क्या यह घोषणा की गयी है कि चम्पावत, जनपद पिथौरागढ़ में और रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में दो अलग-अलग जिले बनाये जा रहे हैं ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

शासन द्वारा कोई ऐसी घोषणा नहीं की गयी है और न हमें ऐसी कोई इत्तिला है ।

श्री चारु चन्द्र ओझा--

क्या जिलों की विस्तृत रिपोर्ट शासन ने मंगायी है ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

शासन ने कोई ऐसी इत्तिला नहीं मंगायी है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे पर्वतीय अंचलों में बहुत बड़े-बड़े जिले हैं और प्रदेश सरकार की इच्छा है कि पर्वतीय अंचलों का विकास हो परन्तु जिलों के बड़े होने के कारण उसमें गति नहीं आ पाती है । तो क्या वहां की तहसीलों को कम करने के लिये सरकार का कोई विचार है ताकि द्रुत गति से वहां का विकास हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, यह सही है कि वहां पर बहुत से जिले बहुत बड़े-बड़े हैं । प्रशासन को चुस्त करने के लिये इनका छोटा किया जाना आवश्यक है परन्तु जिला बनाने के लिये एक समिति 1976 में नियुक्त हुई थी, उसने कुछ जिले लिये थे, आगरा भी उसमे था । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण काम बराबर नहीं हो पाया है । तहसीलों को कम करने के लिये समिति बनायी गयी है परन्तु अभी उसकी रिपोर्ट आयी नहीं है, रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्यवाही की जायेगी ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

माननीय मंत्री जी, पर्वतीय विकास के लिये मैं अपने माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग से बजट है और केन्द्र सरकार का भी वहां के लिये अलग से प्राविधान है । तो क्या पर्वतीय आंचलों की विशिष्ट स्थिति को देखते हुये कि वहां के विकास में कमी न होने पावे, क्या वहां के आठ पर्वतीय जिलों के लिये संसाधन के लिये कोई निर्णय लेंगे ताकि वहां का विकास जल्दी हो सके ?

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी कोई विचार नहीं है परन्तु रिपोर्ट आने के बाद देखा जा सकता है ।

अतारांकित प्रश्न

समादेश याचिका मारु राम इत्यादि बनाम भारत सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तथा आदेश

1--श्री भीखा लाल--

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समादेश याचिका मारु राम इत्यादि बनाम भारत सरकर में निर्णय देते हुये यह आदेश दिया है कि जाब्ता फौजदारी की धारा 433 जिसके अन्तर्गत यह प्राविधान है कि अब जन्म कैद की सजा पाए हुए अभियुक्तों को 14वर्ष की पूरी सजा काटने से पूर्व प्रोबेशन पर रिहा नहीं किया जायगा उन अभियुक्तों पर लागू नहीं होगा जिनके मुकदमें का फैसला प्रारम्भिक अदालतों द्वारा 18 दिसम्बर, 1978 से पहले किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या शासन ने धारा 433 की सीमा में न आने वाले बन्दियों को छोड़ने के आदेश दे दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समादेश याचिका मारूराम इत्यादि बनाम भारत सरकार तथा अन्य में दिनांक 11-11-1980 को दिये गये अपने निर्णय में दंड प्रक्रिया संहिता की 433-ए की संवैधानिकता को स्वीकार करते हुये यह निर्णय दिया था कि धारा 433-ए का प्रभाव पूर्वगामी न होगा तथा उत्तर प्रदेश प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन ऐंक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस पर मुक्त करने के लिये धारा 433 ए बाधक नहीं है और आजीवन कारावास के सिद्ध दोष बंदियों को प्रोवेशन पर मुक्त करने के लिये शासन द्वारा नियमानुसार विचार किया जाय। तदनुसार कार्यवाही की गई है और की जा रही है।

2---श्री मोतीलाल देहलवी---

[27-1-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 द्वारा उत्तरित]।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री छविराज चौधरी की पेंशन सम्बन्धी शासन को दिया गया आवेदन-पत्र

3---श्री राम सिंह---

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री छविराज चौधरी ग्राम उमरी अहरा, पोस्ट मुण्डेरवा, जनपद बस्ती की स्व0 संग्राम सेनानी पेंशन सरकार द्वारा बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? श्री छविराज चौधरी द्वारा अगस्त, मई, 1981 में शासन को दिए गये आवेदन-पत्र पर विचार कर क्या सरकार पुनः पेंशन दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

श्री छविराज चौधरी को 200 रु0 प्रति माह की केन्द्रीय स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी और कन्द्र शासन द्वारा उसे दि0 22-3-80 से निलम्बित कर दिया गया है क्योंकि श्री छविराज चौधरी द्वारा भोगी गयी सजाओं की पुष्टि सरकारी अभिलखों से नहीं हो सकी।

प्रदेश सरकार को श्री छविराज चौधरी से अगस्त, 1981 में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर विचारोपरान्त उन्हें केन्द्र शासन से सीधे सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् में सदस्यों की संख्या तथा अन्तिम बैठक

4---श्री भीखालाल तथा श्री लल्लू सिंह चौहान---

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् में कितन सदस्य हैं ? उनके नाम क्या हैं ? परिषद् की आखिरी बैठक किस तिथि को हुई थी ?

श्री राम सिंह खन्ना---

उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् में 3 सरकारी व 7 गैरसरकारी कुल 10 सदस्य हैं। वर्तमान में परिषद का पुनर्गठन किया जा रहा है। परिषद् की अन्तिम बैठक दिनांक 21-9-1974 को हुई थी।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विभिन्न प्रयोजनों हेतु दी गई अनुदान की धनराशि बढ़ाने का विचार

5---श्री बंशीधर ---

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि वर्तमान समय में स्वतन्त्रता सेनानियों की पुत्रियों की शादी में सरकार जो दो हजार रुपया अनुदान के रूप में देती है वह कम से कम पांच हजार रुपया तक बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विभिन्न प्रयोजनों (पुत्रियों/आश्रित बहनों का विवाह उनकी चिकित्सा तथा मात्र आश्रितों के शिक्षा) हेतु एक वित्तीय वर्ष में रुपये 2,000 तक का अनुदान स्वीकृत किया जाता है अनुदान की धनराशि रुपये 2,000 से रुपये 3,000 किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है। अनुदान की धनराशि को और अधिक बढ़ाया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं हो रहा है।

स्व0 श्री यदुनाथ सिंह के पुत्र श्री राजेश्वर सिंह को सेवा में लिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

6—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 25/27-4-81 बाबत श्री राजेश्वरसिंह पुत्र स्व0 श्री यदुनाथ सिंह, भू0पू0 परिचालक, जिनकी मृत्यु सेवा काल में वर्ष 1976 में ही हो गयी थी, को शासनादेश के अनुसार सेवा में लिए जाने के बारे में प्रधान प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहजनवां डुमरिया बाबू नामक बांध हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि तथा मुआवजा

7—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में सहजनवां-डुमरिया बाबू नामक बांध के लिए जो भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक मुआवजा न दिए जाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहजनवा डुमरिया बाबू नामक बांध के लिये जो भूमि विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई है उसका मुआवजा 3,63,837.64 रुपये का वितरण कर दिया गया है शेष धनराशि के वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

गोंड तथा गोड़ जातियों को समान सुविधा दिये जाने पर विचार तथा उनके उद्गम स्थान

8—श्री मसरूर जाफरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंड तथा गोड़ दोनों जातियों को समान सुविधाएं प्रदान की गयी है ? क्या सरकार दोनों जातियों को एक मान कर समान सुविधएं देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

भारत सरकार द्वारा केवल गोंड जाति अनुसूचित जाति घोषित है। इस कारण तथा कथित गोड़ जाति के व्यक्तियों को किसी भी अनुसूचित जाति के समान सुविधायें अनुमन्य नहीं हैं और न अनुमन्य करायी जा सकती है।

9—श्री मसरूर जाफरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि गोंड तथा गोड़ जाति के लोग प्रदेश के किन किन जिलों में पाए जाते है ?

श्री गुलाब सेहरा—

गोंड अनुसूचित जाति का उद्गम स्थल कैमूर पर्वत माला के दक्षिण में है । जो लोग अपने को गोड़ कहते हैं वे प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर आजमगढ़ मिर्जापुर, बस्ती तथा देवरिया में पाये जाते हैं ।

10— श्री राम स्वरूप निम—

(7 वें बुधवार के लिए स्थगित)

सिचाई निर्माण मंडल गोरखपुर के अधीनस्थ बांधों का टूटने का कारण तथा पुर्ननिर्माण

11—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिचाई निर्माण मंडल, गोरखपर के अधिनस्थ 15 बांध इस वर्ष 81–82 की बाढ़ में टूट गय थे ? यदि हां, तो बांधों के टूटने का कारण क्या था उनके पुर्ननिर्माण में कितना धन खर्च होगा ?

श्री वीर बहादुर सिह—

जी हां

बांधों के टूटने के निम्न कारण थे :—

1—इस वर्ष बस्ती जनपद में राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कुन्हरा धोंधी, वानगंगा और रोहिन नदियों में पिछले उच्चतम बाढ़ से अधिक बाढ़ आयी । कुन्हरा धोंधी नदियों में पानी पिछले अधिकतम बाढ़ स्तर पर पहुंच गया ।

2—इस वर्ष 4, 5 मरतबा उच्च स्तर की बाढ़ आयी जबकि पिछले वर्षों में एक दो बार आती थी ।

3—घाघरा और राप्ती ने कुछ स्थानों पर मोड़ लिया तथा अचानक तीव्र कटान की प्रवत्ति हो गयी ।

4—जो लोग बंधों ओर दरिया के बीच में या दूसरी तरफ बसे हैं जहां अब भी बांध नहीं बना है उन्होंने बंधे काटे

5—जमींदारी बांध शासन की नीति के अनुसार उच्चतम बाढ़ स्तर के लिये विभागीय मापदण्ड के अनुसार नहीं बनायें गये ।

6—राप्ती का पानी गोण्डा जनपद में तुलसीपुर, उतरौला, पी0 डब्लू डी0 सड़क पर ीन स्थानों पर सड़क को नीचा करने से बूढ़ी राप्ती में पानी अपेक्षाकृत अधिक गया ।

इन बंधों के पुनर्निर्माण पर एवं टूटे हुए भाग में सुदढ़ीकरण करने में लगभग 37 लाख रुपये व्यय होंगे ।

गोरखपुर में गोर्रा नदी पर रेगुलेटर बनाने की योजना

12—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर में गोर्रा नदी पर रेगुलेटर बनाने की योजना को सितम्बर, 1981 में तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया ? यदि हां, तो कारण क्या था ? क्या यह सच है कि आमी नदी के मुहाने को बन्द करने के लिये नवम्बर, 1981 में कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो इस योजना को कब से लागू किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सितम्बर, 1981 में तकनीकी सलाहकार समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई। अतः योजना सितम्बर, 1981 की मीटिंग में अस्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आमी नदी के मुहाने को बंद करने की नवम्बर, 1981 में कोई योजना नहीं बनाई गई। अतः योजना लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर नहर प्रखंड में लाइनिंग, परियोजना कार्य में अनियमितता संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

13--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मंडल, मिर्जापुर ने दिनांक 18 जुलाई, 1981 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को मिर्जापुर नहर प्रखंड में लाईनिंग परियोजना कार्य में सीमेन्ट के अधिक अनियमित निर्गमन व कम वास्तविक प्रयोग तथा त्रुटिपूर्ण डिजाइन आदि के कारण सरकारी धन का भारी दुरुपयोग होने संबंधी अर्धशासकीय पत्रांक कैम्प 24/सि0क0म0मि0ई0/23 के सूचित किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां।

पत्र में अंकित त्रुटियों की जांच प्रगति में है।

14--श्री हरिवंश सहाय--

(5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

15--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

(7 वें बुधवार के लिए स्थगित)।

श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार को माइनरों पर किये गये कार्य के भुगतान के आदेश

16--श्री मलिक मुहम्मद यूसुफ--

द्वितीय सत्र 1981 के 1 ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0 172 उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार द्वारा बनवाये गये स्तर के कार्य व माइनरों पर किये गये स्तर के कार्य का भुगतान अभी तक क्यों नहीं कराया गया है ? क्या सरकार भुगतान के अविलम्ब आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

ठेकेदार ने किये गये कार्यों का भुगतान विभाग से दिनांक 26-3-80 को पा लेने के बाद फारख्ती लिख कर दिनांक 31-3-80 को दे दी है, अतः भुगतान के आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव खंड, षष्टम उपखंड, शारदा नहर, उन्नाव के जू0 इं0 व सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच

17--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 सितम्बर, 1981 को विधान सभा में पूछे गये अता0प्र0सं0 171 तथा 175 के उत्तर के संबंध में मामलों की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 114-116 पर ।)

18--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

(7 वें बुधवार के लिए स्थगित)

19--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

(7 वें बुधवार के लिए स्थगित)

20--श्री राम सिंह रावल--

(7 वें बुधवार के लिए स्थगित)

जलेसर सासनी मार्ग (एटा) पर रोडवेज बसें चलाने की योजना

21--श्री राम सिंह रावल--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलेसर सासनी मार्ग (एटा) पर रोडवेज की बसे चलाने की योजना है ? यदि हां, तो कितने बसें चलाई जायेंगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं । जलेसर सासनी (एटा) 35 कि0मी0 मार्ग खराब होने के कारण रोडवेज बस चलाया जाना संभव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के राजकीय नलकूप संख्या 102 की टूटी हुई नालियों का निर्माण

22--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील के राजकीय नलकूप संख्या 102 की नालियों के टूटने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 1981 शासन को हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नालियों के टूटने से किसानों की सिंचाई की हानि होने के बाद भी उनका निर्माण क्यों नहीं कराया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कथित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम घोसरिया, जिला बाराबंकी के ग्रामवासियों से बिना सिंचाई किए हुए सिंचाई कर्मचारियों द्वारा सिंचाई कर की वसूली सम्बन्धित शिकायती-पत्र

23--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को श्री गजेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा, जिला बाराबंकी द्वारा ग्राम घोसरिया, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी के किसानों के दो शिकायती-पत्रों को संलग्न करते हुए कोई पत्र माह दिसम्बर, 1981 में मन्त्री जी को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त ग्रामवासियों से बिना सिंचाई किये हुए ही सिंचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से सिंचाई नोट कर उसकी वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

इस संबंध में आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

प्रगति आश्रम हाई-स्कूल, बालागंज, लखनऊ में वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-9-81, 7-11-81 तथा 23-12-81 के साथ प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज; लखनऊ के संबंध में परीक्षक स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 के पत्र संख्या 1523, दिनांक 7-9-81, संख्या 2133, दिनांक 3-11-81 एवं पत्रांक 4913, दिनांक 12-11-81 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन सी वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख है ? सरकार ने उन वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उक्त स्कूल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-9-81 व 7-11-81 के साथ परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 के पत्र सं0 1523 दिनांक 7-9-81 व संख्या 2133, दिनांक 3-11-81 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं। उनमें उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के विवरण संलग्न हैं। (संलग्नक "क" "ख" व "ग")।

लेखा आपत्तियों के निराकरण करने, उनमें निहित अनियमित धनराशि की वसूली तथा संस्था पर बकाया संपरीक्षा शुल्क को जमा कराने हेतु निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आदेशित किया गया है। लेखा आपत्तियों के निराकरण न करने व निहित धनराशि के जमा न किये जाने की दशा में ही स्कूल के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जाना संभव होगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 117-122 पर।)

मिर्जापुर जनपद की सिंचाई हेतु गंगा, बेबल तथा अन्य छोटी नदियों पर पम्प नहर के निर्माण का प्रस्ताव

25—श्री राम चरण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में पम्प कनाल स्कीम के अन्तर्गत सिंचाई समस्या हल करने हेतु गंगा, बेलन तथा अन्य छोटी नदियों पर पम्प कैनाल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब देंगे और कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, मिर्जापुर जनपद की सिंचाई हेतु गंगा, बेलन तथा अन्य छोटी नदियों पर छोटी पम्प नहर के निर्माण प्रस्तावों का प्रारम्भिक परीक्षण किया जा रहा है।

जनपद रायबरेली, विकास खण्ड तिलोई के ग्राम पूरे गौतम से पूरे भीष्मशाह होते हुए ड्रेन तथा उस पर पुल का निर्माण

26—श्री छत्तर सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलोई के ग्राम पूरे गौतम से पूरे भीष्मशाह होते हुए जो ड्रेन बनाई जा रही है उसका निर्माण व उस पर प्रस्तावित पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रश्नगत ड्रेन तथा उस पर स्वीकृत पुलों का निर्माण किया जा चुका है।

श्री प्रभा ी लाल, चालक, मथुरा के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-9-81 या उसके आस-पास उन्हें कोई प्रार्थना-पत्र प्रभाती लाल, चालक, मथुरा का मिला ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चमोली की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना पर व्यय

28—श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली की विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना पर दिनांक 30-4-81 तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कब तक यह योजना बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जिला चमोली की विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना पर दिनांक 30-4-81 तक 480.7 लाख रु0 व्यय हो चुका है। यदि पर्याप्त धन व साधन उपलब्ध होते रहे तो इस परियोजना को 1992 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जनपद एटा के बेवर फीडर नहर के नव-निर्माण हेतु सर्वे

29—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बतायेगी कि एटा जनपद के बेवर फीडर नहर के नव निर्माण हेतु वर्ष 1979 में जो सर्वे हो चुका था उसको निरस्त करके पुनः सन् 1981 में किया जा रहा है ? यदि हां, तो दोबारा सर्वे करने का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

एटा जनपद में बेवर फीडर नहर परियोजना के निर्माण हेतु वर्ष 1979 में जो सर्वेक्षण हुआ, उसका पुनः विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 1980-81 में किया गया। 967 लाख रुपये की बेवर पोषक परियोजना के अन्तर्गत बेवर पोषक नहर का निकास 10 क्यूसेक (350 क्यूसेक) था तथा उसमें अकेले बैराज की लागत ही 544 लाख रुपये थी।

काली नदी में वर्षा ऋतु में उपलब्ध अतिरिक्त जल के उपयोग की संभावना को दृष्टि-गत रखते हुए बेवर फीडर नहर के पूर्ण निरीक्षण एवं विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता समझी गयी। इसके फलस्वरूप बैराज का जलस्तर 1.5 मीटर ऊंचा करके अतिरिक्त जल को निचली गंगा नहर प्रणाली में डालने को ध्यान में रखते हुए पुनर्रेखांकन किया गया है।

ग्राम परसौरा, जिला कानपुर के ताल के पानी की निकासी हेतु प्राकृतिक बैरासाल नाले का पुनरोद्धार

30—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम परसोरा, तहसील डेरापुर के जिला कानपुर के रजबहा कन्सुआ के उत्तर ताल का पानी निकालने हेतु निर्मित साइफन के बन्द होने के फलस्वरूप कई सौ बीघा कृषि योग्य भूमि जलप्लावन का शिकार होती है ? यदि हां, तो शासन कृषकों के हित में इस समस्या के तत्काल हल हेतु क्या कदम उठा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम परसौरा, तहसील डेरापुर, जिला कानपुर के ताल के पानी निकासी हेतु राजबहा कंसुआ के मील 21–5–0 पर साइफन बना आ था जो कि कंसुआ राजबहा के समानान्तर पश्चिम इलाहाबाद शाखा के बन जाने के फलस्वरूप बंद हो गया था। उक्त ताल के पानी की निकासी हेतु पश्चिम इलाहाबाद शाखा के कि0 मी0 45–500 पर नया साइफन बनाया गया जिससे कथित ताल के पानी की निकासी प्राकृतिक नाले (बैरासाल नाला) द्वारा होती है। प्राकृतिक नाले की जल निकासी क्षमता कम होने के कारण भारी वर्षा की अवधि में कुछ समय के लिए जल प्लावन की समस्या हो जाती है, जिसके निराकरण हेतु प्राकृतिक बैरासाल नाले का पुनरोद्धार प्रस्तावित है।

सींच पर्यवेक्षकों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्हता

31—श्री कन्हैया लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अभी हाल ही में जिलेदारी के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रदेश में सींच पर्यवेक्षकों की कोई परीक्षा ली गयी थी ? यदि हां, तो उस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सींच पर्यवेक्षकों की अर्हता क्या थी ? क्या यह सही है कि उपर्युक्त अर्हता रखने वाले कुछ अभ्यर्थियों को जो सभी हरिजन कर्मचारी हैं परीक्षा आरम्भ होने से केवल 1 घण्टा पूर्व रोक दिया गया था जबकि उनके पास वैध प्रवेश-पत्र विभाग द्वारा पहले ही भेजा जा चुका था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जिलेदारी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जिलेदार सेवा नियमावली, 1963 के अनुसार यह अपेक्षित है कि परीक्षा वर्ष की पहली नवम्बर को अभ्यर्थी की आयु 50 वर्ष से कम हो तथा सींच पर्यवेक्षक पद पर उसकी पांच वर्ष की निरन्तर सेवा हो एवं उसने सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।

दो हरिजन अभ्यर्थियों को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अग्रसारित प्रार्थना-पत्रों के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पहले जारी किया गया प्रवेश-पत्र इस जानकारी के प्राप्त होने पर निरस्त कर दिया गया था कि वह सींच पर्यवेक्षक नियमावली के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा चयनित नहीं थे।

मूक-बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में विभिन्न प्रकार की शुल्क मुक्ति की सुविधा तथा कक्षा 6 के विद्यार्थियों की शिक्षा शुल्क मुक्ति

32-33--श्री भीखा लाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि क्या मूक बधिर विद्यालय ऐशबाग, लखनऊ, जो एक मान्यता प्राप्त तथा पूर्ण रूप से अनुदान प्राप्त संस्था है में निर्धन व्यक्तियों के बच्चों को पूर्ण शुल्क मुक्ति, अर्द्ध शुल्क मुक्ति, भाई एवं बहन शुल्क मुक्ति तथा कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को शुल्क मुक्ति की सुविधा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि क्या मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग लखनऊ में शासन की नीति के अनुसार कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क मुक्ति की सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ को जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ से जूनियर हाई स्कूल तक की मान्यता प्राप्त है तथा यह भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश से अंशतः अनुदानित है। संस्था के प्रबंधक से प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न प्रकार की शुल्क मुक्ति की सुविधा केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को ही दी जाती है। अन्य वर्ग के बच्चों को शुल्क मुक्ति की सुविधा न उपलब्ध कराने के संबंध में संस्था से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

मक-बधिर अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में लेक्चरर्स ग्रेड

34--श्री भीखालाल--

क्या समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि मूक बधिर विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ में ट्रेनिंग कालेज में लेक्चरर्स ग्रेड दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा--

मक बधिर अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय, ऐशबाग, लखनऊ मे केवल टीचर्स सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स का प्रमाण-पत्र दिया जाता है। फलस्वरूप, डिप्लोमा कोर्स प्रशिक्षण देने वाले लेक्चररर्स के समकक्ष वेतनमान देने का प्रश्न नहीं उठता है। भारत सरकार के अमीनुद्दीन से थस संस्था के लेचररर्स की वर्ष 1974-75 से रु0 150-300 वेतन कान के स्थान पर रु0 300-550 का वेतनमान दिया जा रहा है।

जनपद गोरखपुर के बेलीपार और नौसड़ नामक स्थान पर बुकिंग स्टेशन खोलने पर विचार

35--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बेलीपार और नौसड़ नामक स्थान पर बुकिंग स्टेशन खोलने के लिए 81 में परिवहन मन्त्री द्वारा आदेश दिए गय थ ? यदि हां, तो अब तक बुकिंग स्टेशन न बनाने का कारण क्या है और कब तक खोले जायेंगे ?

135244

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। नौसड़ में बुकिंग स्टेशन खोलने हेतु आदेश नहीं दिये गये थे अपितु परीक्षण कर उचित कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे। तदनुसार सर्वेक्षण कराकर उचित कार्यवाही की जा रही है।

बेलीपार में बुकिंग स्टेशन खोलने हेतु उक्त स्थान का सर्वेक्षण कराया गया। निर्धारित मापदंड से कम आय प्राप्त होने के कारण बेलीपार में बुकिंग स्टेशन खोला जाना संभव नहीं है।

फैजाबाद से भयां-इल्तिफातगंज, टांडा-हसवर मार्ग तक बस चलाये जाने की मांग

36—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद तथा भयां-इल्तिफातगंज, केदारनगर रोड, जो राष्ट्रीय मार्ग है, पर फैजाबाद डिपो द्वारा राजकीय बस चलाई जा रही है? यदि हां, तो फैजाबाद तथा भया इल्तिफातगंज, टांडा, हसवर तक बस चलाए जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। फैजाबाद से भया-इल्तिफातगंज, केदारनाथ रोड होते हुये अकबरपुर तक निगम की एक सेवा संचालित है प्रश्नगत मार्ग फैजाबाद से भयां तक 29 कि0मी0 भाग राष्ट्रीयकृत है एवं शेष भयां से इल्तिफातगंज केदारनाथ रोड-अकबरपुर 43 कि0 मी0 भाग अराष्ट्रीयकृत है।

फैजाबाद से भया-इल्तिफातगंज टांडा हसवर एक अन्य मार्ग है जो0 भया से हसवर वाया टाण्डा अराष्ट्रीयकृत मार्ग है। अतः इस अराष्ट्रीयकृत मार्ग पर निगम द्वारा बस चलाये जाने का कोई विचार नहीं है।

विकास खण्ड कासगंज के अन्तर्गत ग्राम बेरी कांतौर के तालाब में जल भराव की समस्या से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

37—श्री मानपाल सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खंड, कासगंज के अन्तर्गत ग्राम बेरी कांतौर के तालाब के भयंकर जल भराव की समस्या के समाधान हेतु कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 5-2-81 तथा पुनः 15-7-81 को दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि उस पर मुख्य अभियन्ता को नाला (ड्रेन) बनाकर पानी की निकासी की व्यवस्था करने हेतु आदेश दिए गये थे ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री अकबर सिंह यादव, डी0 आर0 ओ0, सिंचाई प्रखण्ड, गाजीपुर को भविष्य निधि का भुगतान

38—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अकबर सिंह यादव, डी0 आर0ओ0 नहर विभाग डिवीजन, गाजीपुर दिनांक 22 जुलाई, 1971 को रिटायर हुए थे और उनका भविष्य निधि का भुगतान अब तक नहीं किया गया। यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

श्री अकबर सिंह यादव, डी0आर0ओ0 सिंचाई प्रखंड, गाजीपुर, दिनांक 22-7-1971 को नहीं बल्कि 17-7-1971 को रिटायर हुए थे ।

इन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) तथा धारा 409/420 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश बरेली द्वारा एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था ।

अभी भविष्य निधि का भुगतान नहीं हो पाया है । प्रकरण में प्रगति हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

शुकुल बाजार से जिला लखनऊ --सुल्तानपुर को सायंकाल की बस सेवा चलाने के सम्बन्ध में विचार

39--श्री दीपू नारायण--

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जिला सुल्तानपुर में बाजार शुकुल से सुल्तानपुर लखनऊ को प्रातः की परिवहन निगम की बस सेवा चल रही है परन्तु सायंकाल कोई बस सेवा शुकुल बाजार से जिला लखनऊ सुल्तानपुर को नहीं है जिससे जनता को बड़ी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सायंकाल की सेवा चालू करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । जिला सुल्तानपुर से बाजार शुकुल में सुल्तानपुर लखनऊ को प्रातः परिवहन निगम की बस चल रही है । बाजार शुकुल से यात्रियों की उपलब्धता काफी कम है । प्रातःकालीन सेवाओं में लोड फैक्टर मात्र 30 से 45 प्रतिशत है । सायंकाल की सेवा चलाने के संबन्ध में सर्वेक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश परिवहन निगम को दे दिये गये हैं ।

सिंचाई उद्योग शाला, झांसी में कर्मचारियों का चयन

40--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि सिंचाई उद्योग शाला, झांसी में अगस्त, 1981 से नवम्बर, 81 तक कितने कर्मचारियों की भर्ती की गयी है ? उनका चयन किस पद्धति द्वारा किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

दो श्रमिकों (बेलदार) की नियुक्ति अस्थायी रूप से 80 दिन के लिए की गई है । सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत दो अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है ।

बस संख्या 9907 द्वारा गाड़ी न रोकने की शिकायत, चालक को दिया गया आरोप-पत्र तथा चारबाग बस स्टेशन की शिकायत की किताब में लिखित शिकायत पर कृत कार्यवाही

41--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, 1981 के पहले पखवारे में उन्हें प्रश्नकर्त्ता को बस नं0 यू0, टी0 एफ0 7106 द्वारा गाड़ी न रोकने आदि की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गयी ? इसी प्रकार प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 को चारबाग बस स्टेशन की शिकायत की किताब में जो शिकायत लिखी उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां । शिकायत में वर्णित बस सं0 यू0टी0एफ0 7106 नहीं अपितु यू0टी0एफ0-9907 थी जो शिकायत में कथित मार्ग पर संचालित थी ।गाड़ी न रोकने की शिकायत के

आधार पर कथित बस सं0 यू0टी0एफ 9907 के चालक/परिचालक को आरोप पत्र दे दिया गया है। मामला जांच के अन्तर्गत है। चारबाग बस स्टेशन की शिकायत की किताब में लिखित शिकायत शिकोहाबाद डिपो की बस संख्या यू0 आर वी–7468 के परिचालक के विरुद्ध थी। डिपो प्रबन्धक शिकोहाबाद द्वारा प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप परिचालक को प्रश्नगत मार्ग से हटा दिया गया और उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में अधिक समय से कार्य करते हुए कर्मचारियों की संख्या तथा स्थायीकरण की मांग

42––श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई उद्योगशाला झांसी में 3 वर्ष से अधिक कार्य करते हुए कर्मचारियों की संख्या क्या है तथा उक्त कर्मचारियों का अभी तक स्थायीकरण न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

सिंचाई उद्योगशाला, झांसी में 3 वर्ष में अधिक कार्यरत अस्थायी श्रमिकों की संख्या 41 है। कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है।

15 श्रमिकों को स्थायी करने हेतु परवीक्षण पर रखा जा चुका है।

गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध अनियमित कार्य करने, चुनाव लड़ने की शिकायत

43––श्री कुबेर भण्डारी––

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो के वरिष्ठ केन्द्र प्रभारी के विरुद्ध विधान सभा का चुनाव लड़ने, अनियमित कार्य करने तथा भ्रष्टाचार में लीन होने से सम्बन्धित शिकायती पत्रों की जांच वर्ष 1974 से चल रही है ? यदि हां, तो जांच की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

जी हां।

गोरखपुर क्षेत्र के देवरिया डिपो के वरिष्ठ कन्द्र प्रभारी क विरुद्ध विधान सभा का चुनाव लड़ने व अनियमित कार्य करने आदि से संबंधित शिकायती पत्रों की जांच जो वर्ष 1974 से चल रही थी अब पूरी हो गयी है।

देवरिया डिपो में चालकों की प्रतीक्षा सूची तथा अल्पकालिक रिक्तियों में प्रदान किये गये सेवा के अवसर

44––श्री कुबेर भण्डारी––

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया डिपो में कितने चालक प्रतीक्षा की सूची में 15 नवम्बर, 1981 तक थे और उन्हें कितनी बार सेवा का अवसर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

देवरिया डिपो में दिनांक 15–11–81 तक 54 अभ्यर्थी चालकों की प्रतीक्षा सूची में थे इनमें से 47 अभ्यर्थियों ने औपचारिकतायें पूरी कर ली थीं जिन्हें समय-समय पर अल्पकालिक रिक्तियों में एक बार से 37 बार तक सेवा का अवसर प्रदान किया गया। अवशेष 7 ने औपचारिकतायें पूरी नहीं की अतः उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

देवरिया डिपों में चालकों की अनियमित रूप से भर्ती

45—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस आशय की शिकायत मिली है कि 24 नवम्बर, 1981 में देवरिया डिपो में अनावश्यक चालकों की भर्ती अनियमित रूप से की गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गजाई, मांसी, रामगंगा घोटी सिंचाई योजना अल्मोड़ा का निर्माण कार्य तथा ठेकेदारों को भुगतान

46—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गजाई मांसी, रामगंगा घोटी सिंचाई योजना अल्मोड़ा का निर्माण कार्य सन् 1972–73 तथा 1973–74 का ठेकेदारों का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान क्यों नहीं किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उदयभान, आलेखक प्रालेखक, निचली गंगा नहर, को निलम्बन अवधि का वेतन तथा वार्षिक वृद्धि आदि का भुगतान

47—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहबाद के दिनांक 26-2–81 के निर्णय के अनुसार श्री उदयभान आलेखक प्रालेखक, निचली गंगा नहर, सिंचाई विभाग, फतेहपुर का निलम्बन समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या श्री उदयभान का निलम्बन अवधि का पूर्ण वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु श्री उदयभान को निलम्बन अवधि का वेतन तथा वार्षिक वृद्धि आदि का भुगतान स्वीकृति की औपचारिकतायें पूर्ण न हो पाने के कारण अभी नहीं हो पाया है ।

थाना इनायत नगर, फैजाबाद में बस दुर्घटना की दर्ज रिपोर्ट तथा मृतक के आश्रितों को सहायता

48—श्री मित्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7–11–81 की बस नं0 9751 रोडवेज, फैजाबाद द्वारा दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या क्राइम नं0 287 धारा 304—ए के अन्तर्गत थाना इनायत नगर, फैजाबाद में दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता विभाग द्वारा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बस सं0 9751 से दुर्घटना की रिपोर्ट थाना इनायतनगर में अपराध सं0 227 पर लिखाई गई है । रिपोर्ट में बस की संख्या गलत लिखाने से पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दे दी गई । सही सूचना के अभाव में मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है ।

श्री श्याम कृष्ण चन्देल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर का विनियमितीकरण तथा केन्द्र के अन्दर पड़ी खाली भूमि पर उगायी गयी फसल से आय

49—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री एस0 के0 सिंह चन्देल, प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर, उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयन न किए जाने के बावजूद भी अब तक अपने पद पर कार्यरत हैं क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर प्रधानाचार्य पद से प्रत्यावर्तित करने के आदेश अविलम्ब देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री श्याम कृष्ण चन्देल, प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 1-1-77 के पूर्व से कार्यरत हैं । अतः इनका मामला शासकीय आदेश संख्या 19/8/75(1)/का-1, दिनांक 14 मई, 1979 के तहत इनको तदर्थ नियुक्ति के विनियमितीकरण हेतु विचाराधीन है जिस पर निर्णय तद्विषयक नियमावली में किये गये प्राविधानों के अनुसार लिया जाएगा ।

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, औद्योगिक शिक्षण कन्द्र श्री एस0के0 सिंह चन्देल केन्द्र पर नियुक्त चतुर्थ कर्मचारियों से केन्द्र के अन्दर खाली पड़ी हुई भूमि पर सब्जी आदि की खेती करवाते हैं ? यदि हां, तो केन्द्र की भूमि पर वर्ष 1980-81 में उगाई गयी फसल से कितनी आय हुई तथा उस आय को किस मद में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर के प्रधानाचार्य श्री एस0 के0 सिंह चन्देल केन्द्र के अन्दर पड़ी किसी भूमि पर खेती स्वयं नहीं कराते है । अतः किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से इस संबंध में कार्य लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

वर्ष 1980-81 में केन्द्र की 70 फुट चौड़ी, 181 फुट लम्बी खेती योग्य भूमि नीलाम की गयी थी जिसके कुल 200/- रु0 की आय हुई थी जिसे ट्रेजरी चालान द्वारा विभागीय प्राप्ति पद "088 सामाजिक सुरक्षा" में दिनांक 13-10-80 को जमाकर दिया गया था ।

आजमगढ़ क्षेत्र में परिचालकों की नियुक्ति में अनियमितता की जांच

51—श्री लालसा—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आजमगढ़ परिवहन विभाग में भ्रष्ट तरीकों से परिचालकों की नियुक्ति करने हेतु बनी चुनाव की सूची वर्ष 1980 शासन द्वारा रद्द कर दी गयी थी ? यदि हां, तो किस अधिकरी के आदेश से उक्त सूची से कुछ परिचालकों को ड्यूटी पर कार्य करने हेतु रखा गया जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं ? क्या सरकार इसकी पूरी जांच कराकर ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अविलम्ब उचित कार्यवाही करेगी ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ क्षेत्र में परिचालकों की नियुक्ति हेतु बनी प्रतीक्षा सूची प्रधान प्रबन्धक के कार्यालय के आदेश दिनांक 15 जुलाई, 1980 द्वारा निरस्त कर दी गयी थी फिर भी जिन अभ्यर्थियों ने दिनांक 15 जुलाई, 1980 तक आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर ली थी उन्हें सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा समय समय पर नियुक्तियां प्रदान की गई । 52 परिचालक अभी कार्यरत है । जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन का निर्माण

52--श्री मोहन सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर बस स्टेशन में कैन्टीन भवन काफी जर्जर अवस्था में है और वर्षा के समय उसमें बैठे यात्रियों को जलपान करने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो कैन्टीन भवन की मरम्मत के लिये अविलम्ब कार्यवाही किये जाने के आदेश देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्टेशन प्रबन्धक, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें

53--श्री हरिवंश सहाय--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेशन प्रबन्धक, देवरिया के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 25-10-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय विधायक का शिकायती पत्र दिनांक 25-10-80 उपलब्ध नहीं हो पाया है पत्र की प्रतिलिपि मांगी गई है । प्राप्त हो जाने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री नन्द लाल सिंह गांव छतरीपुर, वाराणसी का परिचालक पद पर चयन तथा विलम्ब से नियुक्ति का आधार

54--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्द लाल सिंह, गांव छतरीपुर, पो0 शिवपुर, वाराणसी को परिवहन निगम जौनपुर में परिचालक के लिए चयन समिति ने चुन लिया था और परिवहन निगम, जौनपुर के कार्यालय पत्र संख्या स0 क्षे0 प्र0/जौ0 स्थापना/4592-80 के द्वारा परिचालक पद की परीक्षा दिया और चयन समिति की सूची में 35 नम्बर पर इसका नाम है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

55--श्री ऊदल--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि उक्त अभ्यर्थी को परिचालक पद का प्रशिक्षण भी इसको दिया गया और 1,000 रु0 सिक्योरिटी का जमा कराया गया है । यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसको कार्य नहीं दिया गया और क्रम संख्या 36-44 तक के लोगों को कार्य दे दिया गया है ? इसका क्या कारण है ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र अपने पत्र के साथ उप प्रधान प्रबन्धक, पूर्वी जोन, वाराणसी को अक्तूबर, 2/3, 81 को भेजा यदि हां, तो क्रमबद्ध नियुक्तियां न करने का कारण क्या है, इसलिये कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

प्रधान प्रबन्धक के आदेश दिनांक 15-7-80 द्वारा समस्त चयन सूचियां समाप्त कर दी गई तथा उक्त तिथि के पूर्व जिनकी नियुक्ति नहीं दी गई थी बाद में नियुक्ति नहीं दी गई । श्री नन्द लाल सिंह ने आवश्यक औपचारिकतायें दिनांक 15-7-80 को पूर्ण की थी तथा क्रमांक 36, 37, 38, 39, 42, 43 तथा 44 अभ्यर्थियों ने इनसे पूर्व औपचारिकतायें

[श्री वीर बहादुर सिंह]

पूरी कर ली थीं। अतः इन्हें नियुक्तियां दे दी गयीं तथा श्री सिंह व क्रमांक 40 से 41 के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकीं।

माननीय सदस्य का एक पत्र उप प्रधान प्रबन्धक (पूर्वी जोन) को प्राप्त हुआ था, परन्तु उपरोक्त स्थिति में श्री सिंह को नियुक्ति नहीं दी जा सकी।

प्रधान प्रबन्धक को यह आदेश दिये जा रहे हैं कि मामले की जांच करवा कर यदि कोई अनियमिततायें हुई हों, तो उन्हें दूर करें तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें।

रानीखेत क्षेत्र में द्वाराहाट के निकट बस दुर्घटना तथा मृतकों के आश्रितों को सहायता

56—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि अप्रैल, 81 के अन्तिम सप्ताह में पिथौरागढ़ तथा रानीखेत में दो बस दुर्घटना हुईं जिसमें ड्राइवर तथा कण्डक्टर सहित लगभग 15 व्यक्ति मर गये? पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रानीखेत क्षेत्र में द्वाराहाट के निकट दिनांक 25-4-81 को के0 एस0 ओ0 यू0 की बस संख्या यू0 एस0 आर0 6368 की दुर्घटना हुई जिसमें ड्राइवर सहित तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कन्डक्टर एवं एक अन्य व्यक्ति घायल हुए।

इसके अलावा पिथौरागढ़ तथा रानीखेत में अप्रैल, 1981 के अन्तिम सप्ताह में कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जिसमें ड्राइवर कन्डक्टर सहित 15 व्यक्ति मरे हों।

दुर्घटना की तिथि को उपरोक्त बस एक बारात को पहुंचाकर द्वाराहाट से चौखुटिया जा रही थी। रास्ते में गाड़ी का संतुलन खो जाने से बस सड़क के नीचे खड्ड में गिर गयी दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के शव आवश्यक कार्यवाही के बाद उनके वारिसान को दे दिये गये और घायलों का आवश्यक चिकित्सा राजकीय अस्पताल में कराई गयी।

मृतकों के आश्रितों को बीमा की धनराशि भुगतान करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री एस0 एन0 बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर की चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा पदोन्नति में रुकावट

57—श्री मोहन सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री, कृपया बतायेंगे कि श्री एस0 एन0 बर्नवाल, बुकिंग क्लर्क, देवरिया डिपो, गोरखपुर क्षेत्र ने विभागीय पदोन्नति पाने वाले के विरुद्ध प्रत्यावेदन 28-10-72 में किया था? क्या यह सच है कि भू0 पू0 परिवहन मन्त्री, श्री राजमंगल पाण्डेय द्वारा उन लोगों को रिबर्ट किया गया था और वे सेवा में पुनः आ गये? क्या यह सच है कि उससे रुष्ट होकर उक्त अधिकारीगण ने 25-3-74 को श्री बर्नवाल को निलम्बित कराया था? तथा पुनः किसी सरकारी गवाह प्रस्तुत कराये बिना उन्हें चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करा दी? क्या इस सम्बन्ध में बिना छानबीन किए ही श्री बर्नवाल की पदोन्नति में बाधा पहुंचाई गयी? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार का आदेश प्रदान करने की कृपा करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजेन्द्र सिंह, भू0पू0 बुकिंग क्लर्क के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

58—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र, दिनांक 25/27-4-81 श्री राजेन्द्र सिंह, भू0पू0 बुकिंग क्लर्क के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रधान प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। प्रार्थना पत्र विधि संगत न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

प्राइवेट बसों को अनुबन्धित ढंग से चलवाने हेतु विचार

59—श्री राजकुमार राय—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिन पर दिन परिवहन निगम की बसों की बिगड़ती दशा एवं जनता द्वारा यातायात सुविधा की मांग को देखते हुए सरकार पुन प्राइवेट बसों को अनुबन्धित ढंग से चलवाने हेतु विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो सुधार हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निगम बोर्ड अनुबंधित बसों की संख्या को 10 प्रतिशत कम करने का निर्णय नवम्बर, 1980 में लिया था, इस निर्णय के अन्तर्गत निगम प्रशासन ने पहले फेज में उन अनुबंधित बसों को जिनका माडल 1973 या उसके नीचे था, हटाने के आदेश दिये तथा लम्बी दूरी के मार्गों पर लगी हुई अनुबंधित बसों को हटाकर निगम की बसें लगाने तथा अनुबंधित बसों को छोटे मार्गों पर चलने के आदेश पारित किये थे।

इस नीति के फलस्वरूप बड़ी संख्या में निजी बस मालिकों द्वारा स्वत: अपनी बसों को निगम के अनुबंधन से मुक्त करा लिया गया जिसके परिणामस्वरूप 30-11-81 को अनुबंधित बसों की संख्या 950 से घट कर मात्र 487 रह गयी।

परिवहन निगम की आवश्यकतानुसार नई चेसिस न मिल सकने तथा यात्रियों को पर्याप्त बस सेवा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से निगम प्रशासन ने पुन: 100 बसें अनुबंधित करने का निर्णय लिया जिसके टेण्डर आमंत्रित कर लिये गये हैं।

शाहजहांपुर डिपो की बसों की प्रति आय तथा कमी के कारण

60—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 21, 22 और 23, अक्तूबर, 1982 में शाहजहांपुर डिपो की बसों का प्रति बस आय क्या रही, अन्य दिनों की आय तुलना में उक्त दिनों में कम आय के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर क्षेत्र में बनाई गई परिचालकों की प्रतीक्षा सूची

61—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 बनायी गई परिचालकों की प्रतीक्षा सूची के सभी परिचालकों को, जिन्होंने जमानत की धनराशि जमाकर दी थी उन्हें डयूटी पर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और गोरखपुर क्षेत्र में परिचालकों

की भर्ती वर्ष जून, 1981 में की गयी थी ? यदि हां, तो पूर्व से कितनी जगहें रिक्त थी । कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, कितने अभ्यर्थी साक्षात्कार में आए कितने लोगों का चयन हुआ तथा इस चयन का आधार क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर क्षेत्र में वर्ष 1980 मे बनाई गयी परिचालकों की प्रतीक्षा सूची में 333 अभ्यर्थियों ने प्रतिभूति की धनराशि जमा की थी परन्तु उन सभी को ड्यूटी नहीं दी जा सकी क्योंकि परिचालकों की प्रतीक्षा सूची बाद में निरस्त कर दी गई थी ।

जून, 1981 में परिचालकों की कोई भर्ती नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर तथा लखनऊ रीजन में रोडवेज की बसें चलाने हेतु परमिट

62--श्री शंकर सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि जनपद जालौन के ग्राम चर्खी के लिये रोडवेज के कानपुर तथा झांसी रीजन से कितने परमिट स्वीकृत हैं, जो परमिट स्वीकृत हैं, उस मार्ग पर पक्की सड़कें होते हुए भी बसें न चलाये जाने का क्या कारण है ? यदि रोडवेज की बसें चलाने में विभाग को कठिनाई है, तो उक्त मार्ग पर निजी वाहनों को परमिट देने में शासन क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर की गई सिफारिशों पर कार्यवाही

63--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या परिवहन मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन (भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76) (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित की गयी सिफारिश क्रमांक 74, 75, 77 तथा 78 के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस प्रतिवेदन की सिफारिश पर कार्यवाही इस प्रकार है :--

पैरा 74 एवं 75 के अनुपालन में निगम द्वारा वसूली अभी नहीं हो सकी है । इसके कार्यान्वयन के लिये उन्हें पुनः निर्देश दिये जा रहे हैं ।

क्रमांक--77

अध्यादेश दिनांक 3-10-75 को तीन माह के विलम्ब से जारी करने के फलस्वरूप माल कर की नयी दरें न वसूल करने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारण के विषय में प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की बैठक में कोई उल्लेख नहीं किया गया था । विधान सभा के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया गया है । आवश्यक छान-बीन की जा रही है ।

क्रमांक --78

मालकर की वसूली मध्य प्रदेश से भेजे जाने की सूचना शासन को दे दी गयी है जिसकी पुष्टि प्रदेश के परिवहन आयुक्त ने अभी नहीं की है । अन्य कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के खादर में गंगा नदी के कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[11 बजकर 50 मिनट पूर्व]

*श्री मेंहदी असगर--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान जनपद मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र के खादर की तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यह क्षेत्र गंगा के साथ साथ लगता है और प्रति वर्ष 64 गांव तहसील मुजफ्फरनगर के और 23 गांव तहसील जानसठ के बाढ़ से प्रभावित होते हैं। प्रति वर्ष गंगा तेजी के साथ मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रही है। गांव व जमीनों को अपनी चपेट में ले रही है। लाखों नहीं करोड़ों रुपया अनुदान एवं सहायता के रूप में बांटा जाता है। सन् 1978 में 90 गांव, सन् 1980 में 77 गांव और सन् 1981 में में 88 गांव बाढ़ से जबरदस्त प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, 1981 में 13064 हेक्टेयर, सन् 1980 में 11210 हेक्टेयर, 1981 में 13124 हेक्टेयर जमीन के बाढ़ से जबरदस्त नुकसान हुआ है। 1978 में 1 करोड़ 85 लाख 14 हजार 467, सन् 1980 में 96 लाख 44 हजार 224 रु0, सन् 1981 में 89 लाख 99 हजार 435 रु0, सन् 1980 में 18 लाख 91 हजार 734 रु0 सन् 1981 में 2 लाख 25 हजार 300 रु0 मकान बाढ़ से नष्ट हो गये।

धारीवाला, गिद्धावली, धूरावली और अनेक गांव गंगा में अपनी लपेट में ले लिये हैं और ये गांव नक्शे पर से मिट चुके हैं। हजारों लोग बेघर हो गये हैं और रोटियों के मोहताज हैं। न जमीन रही और न मकान, कोई सहारा गुजारे का नहीं है। दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो गांव बच रहे हैं उनके रहने वालों को उम्मीद नहीं कि कब बेघर हो जांय और कब फांको की नौबत आ जाये। मान्यवर, इस पूरे खादर में न सड़क है और न पुल है, न बिजली। गंगा जी से एक नहर ऊपर कैनाल निकाली जा रही है उस पर जो बैराज बन रहा है उसके बनने से जमीनों में चोया आयेगा। मजिलिसपुर तौफीर, रंजीतपुर, जलालपुर और अनेक गांव की जमीने इस बैराज के बनने से चोये से प्रभावित होंगी। खादर के इलाके में बसने वालों में जबरदस्त बैचैनी फैली हुई है। मान्यवर, दिनांक 26-11-81 को घनौरी इमलेट से पानी ज्यादा छोड़ा गया जिससे खादर के 14 गांवों में बिना बरसात के ही बाढ़ आ गयी और मकान, जमीन व फसलें डूब गयी, बरबाद हो गयी। मैंने इस सिलसिले में सरकार से इन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने बिना इत्तिला किये पानी छोड़ा था, कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। दिनांक 10-2-82 को प्रश्न नं0 50 से मुझे जवाब मिला कि सरकार को इस बाढ़ की खबर नहीं है। जबकि मुझे निश्चित जानकारी है कि इस संबंध में जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर ने पूरी जानकारी सरकार को करायी थी।

मान्यवर, मैं सदन व सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। खादर के बसने वालों को जो जिन्दगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनको बचाने का मुनासिब इन्तजाम करे। इस पूरे इलाके का सर्वे किया जाय और इसे बाढ़ से बचाने का प्रयास किया जाय।

गोरखपुर-वाराणसी रोड पर जा रही यात्री बस में चोलापुर की पुलिस द्वारा परिचालक, श्री हरिशंकर प्रसाद की पिटाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, 8 फरवरी, 82 को गोरखपुर से वाराणसी रोड पर बर्डघाट डिपो की बस नम्बर 2335 यू0आर0ओ0 जा रही थी जिस पर परिचालक हरिशंकर प्रसाद तथा हरिश्चन्द्र यादव ड्राइवर था, बस 10 बजे गोरखपुर से चली। चोलापुर से 10 कि0मी0 उत्तरी सड़क पर चोलापुर की पुलिस के लोग तथा कुछ दलाल किस्म के लोगों ने बस को रोकवाया,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नन्द किशोर सिंह]

तब परिचालक ने कहा कि आप लोग वाराणसी तक के लिये टिकट ले लें, क्योंकि यह एक्सप्रेस बस है चोलापुर नहीं रुकेगी। पुलिस के लोग टिकट भी नहीं बनवाये और कण्डक्टर को पकड़ लिये। बस को चोलापुर थाने के सामने रोक दिया जिसमें बस में बैठे तीन सिपाही तथा थाने के 7–8 सिपाही आ गये। परिचालक को खींचते हुए बस से उतार लिये और थाने में ले जाकर मार कर उसके हाथ की हड्डी एवं सर फोड़ दिया, जिसके कारण परिचालक काफी समय तक बेहोश पड़ा रहा और बेहोशी के हालत में भी जूते चप्पल से उसे मारा।

यह घटना 8 फरवरी, 1982 को दिन में 2 बजे हुई। थानाध्यक्ष कहीं बाहर के दौरे से 2–30 बजे पहुंचे, तब तक परिचालक को होश आ गया था। परिचालक ने इस घटना की रिपोर्ट लिखाना चाही थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट नहीं लिखी। इस घटना को लेकर 9 फरवरी, 82 को वाराणसी रेंज की सभी बसें हड़ताल पर रहीं। अस्तु, आज इस माननीय सदन के संज्ञान में इस सूचना को लाकर माननीय गृह मन्त्री से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए, चोलापुर थाने के सभी पुलिसजनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें तथा सभी का स्थानान्तरण करने का कष्ट करें।

मथुरा के पत्रकार श्री माता प्रसाद शर्मा पर लोअर डिवीजन आगरा नहर के इंजीनियर व ठेकेदार द्वारा कातिलाना हमला के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरदार सिंह––

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 10 फरवरी, 1982 को मथुरा के एक ईमानदार एवं निर्भीक पत्रकार श्री माता प्रसाद शर्मा के ऊपर लोवर डिवीजन आगरा नहर के इंजीनियर श्री अबरार हुसैन व उसके साथी ठेकेदार ने कातिलाना हमला किया जिससे श्री शर्मा को गम्भीर चोटें आयी हैं तथा तथा उक्त इंजीनियर ने श्री शर्मा से महत्वपूर्ण कागजात जो कि प्रेस से संबंधित थे तथा घड़ी आदि छीन लिये हैं। श्री शर्मा को मुश्किल से उक्त लोगों से बचाया गया। इंजीनियर की नाराजगी का कारण यह था कि उसी डिवीजन के एक इंजीनियर श्री धर्मपाल गर्ग के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगायें थे जिसकी जांच चल रही है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी थाना सदर पुलिस मथुरा ने नहीं की है।

इस घटना से मथुरा शहर के पत्रकारों/बुद्धिजीवियों एवं समाजसेवियों में भय एवं निराशा का वातावरण उत्पन्न हो गया है। निर्भीक पत्रकारिता को खतरा पैदा हो गया है। लोगों में असंतोष व्याप्त है। विभिन्न संगठनों के लोग अपनी बैठकें करके अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं तथा निंदा के प्रस्ताव पास कर रह हैं व दोषियों को तुरन्त गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की जा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि स्वतन्त्र प्रेस की निर्भीकता को बनाये रखने के लिये सरकार से मुलजिमों को तुरन्त गिरफ्तार कराकर कानून के हवाले कराने की कृपा करायें।

(श्री मित्रसेन को बुलाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष––

श्री मित्रसेन यादव, आप का नियम 301 है।

श्री मित्रसेन––

मेरा आज का नहीं है, मान्यवर।

प्रदेश में बाढ़ व सूखे के कारण लगान में छूट की इन्द्राज न होना तथा राजस्व वसूली में किसानों को प्रताड़ित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

महोदय, सन 1979 प्रदेश भर में बड़े पैमान पर सैलाब आया और उसके बाद 1979 में पूरे सूबे में सूखे का प्रकोप हुआ था और इस दैवी प्रकोप के कारण पूरे प्रदेश में तीन फसलियों का लगान माफ किया गया था और हर ग्राम के कागजात में उन छूटों का इन्द्राज करने के लिए शासकीय आदेश भी समय-समय पर जारी किये गये। परन्तु खेद का विषय है कि समूचे प्रदेश में विशेष तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जनपद में कहीं भी जमाबन्दियों के लगान की छूट का इन्द्राज नहीं किया गया और बड़े पैमाने पर लगान की वसूलयाबी अमीनों द्वारा की जा रही है जिसमें जगह- जगह पर नोटिस वारन्ट और गिरफ्तारियां तक की गयीं। इस वर्ष सन् 1981 में पूर्वी प्रदेश सलाब से पीड़ित और पश्चिमी प्रदेश सूखे से और जिले-जिले में छूटों की रिपोर्ट शासन को भेजी गयी है। बड़े पैमाने पर प्रकोप से फसलों का नष्ट होना तथा दूसरी तरफ ज्यादती के साथ किसानों से लगान की वसूलयाबी से पूरे प्रदेश में विशेष तौर से मुरादाबाद जनपद में किसानों में हा-हाकार मचा हुआ है और सरकार के विरुद्ध, अविश्वास, असंतोष की भावना उत्पन्न हो गयी है। अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर माननीय राजस्व मंत्री के ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मा0 यादव जी आपका है तो लेकिन अगर इतना कम महत्वपूर्ण है कि आपको याद ही नहीं है तो उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत उसको दिया था गलती से नियम 301 लिख गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कोई और ले लीजिए।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक 56 में दिया था उसे ही 301 में ले लीजिए।

(12 बजकर 2 मिनट)

पन्त नगर जांच आयोग की आख्या (रिपोर्ट)†

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पन्तनगर जांच आयोग की आख्या (रिपोर्ट) विलम्ब के कारण व ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

सुल्तानपुर जांच आयोग की आख्या (रिपोर्ट)†

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सुल्तानपुर जांच आयोग की आख्या (रिपोर्ट) विलम्ब के कारण व ज्ञापन सहित, कमीशन्स आफ इंक्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन††

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कतिपय विषय

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वक्तव्य की कापी हम लोगों को नहीं मिली। पहले कापी मिल जाय उसके बाद मा0 मंत्री जी उसको पढ़ें।

श्री गोरेलाल शाक्य—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया था उसको एलाउ किया जाय और पढ़कर सुनाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं उस पर विचार कर रहा हूं। विचार करने के बाद आपको सूचित करूंगा।

श्री अकबर अहमद—

मान्यवर, मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था उस पर भी अभी निर्णय नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

उस पर भी निर्णय आपको सुनाऊंगा।

श्री हुकम सिंह—

मा0 सदस्य ने जो अभी पूछा उसके संबंध में आपकी पीठ से एक सप्ताह के अन्दर सरकार को जबाब देने के लिये निर्देश दिया गया था।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर आ गया है। अभी उस पर विचार कर रहा हूं।

आप लोगों को वक्तव्य की प्रतियां प्राप्त हो गई है, अब मंत्री जी अपना वतव्य दें।क

(12 बजकर 5 मिनट)

दस्यु सगरना छविराम का खुलेआम मैनपुरी के ग्राम हरिनागपुर में घूमना तथा पुलिस के न पकड़ने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

वर्तमान सरकार ने अपराध स्थिति को नियंत्रित करने के विषय में विशेष प्रयास किये हैं और कई अभियान चलाये गये है जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। अनेक अपराधी पकड़े गये हैं और अवैध शस्त्र बनाने के कारखाने एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र तथा कारतूस आदि भी पकड़े गये हैं। दस्यु उन्मूलन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं और बहुत से दस्युदल समाप्त हो चुके हैं। शेष दलों के अनेक सदस्य मुठभेड़ों में मारे गये हैं, पकड़े गये हैं अथवा उन्होंने आत्मसमर्पण किया है जिससे इन दलों की शक्ति भी क्षीण हुई है।

2—छबिराम के विषय में विभिन्न प्रकार की चर्चायें हुई हैं। इस दल के विरुद्ध पिछले दो महीने में कुल कार्यवाही के फलस्वरूप कुछ प्रमुख सदस्य जिनमें तोड़ी, वीरा और पुरुषोत्तम भी हैं, समाप्त हुए और उनके अस्त्र, जिसमें एस0एल0आर0 भी सम्मिलित हैं, प्राप्त

---

††छापी नहीं गई।

हुए हैं। कृत कार्यवाही के फलस्वरूप छविराम दल की सदस्यता क्षीण होती चली जा रही है और इसमें अब लगभग 12 सदस्य ही रह गये हैं। इस दल के विषय में यह पता चला कि छविराम अपने साथियों के साथ पड़रिया चौराहे के निकट किसी ग्राम में है। इस पर कार्यवाही की योजना बनाई गई परन्तु पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करने के पहले ही वह उक्त क्षेत्र से जा चुका था। यह सही नहीं है कि 4 दिनों तक खुले आम वह हरनागपुर में घूम रहा था। यह सत्य नहीं है कि उक्त क्षेत्र से पुलिस हटा ली गई थी।

3——शासन द्वारा दस्युओं से वार्ता करने हेतु किसी को अधिकृत नहीं किया गया था। यदि कोई अपराधी आत्मसमर्पण करना चाहता है और अपने आपको विधि को समर्पित करता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि इस मामले में न तो किसी को कोई आश्वासन दिया गया है और न ही प्रदेश में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है।

4——अपराधों से निपटने के लिये जहां एक तरफ पुलिस का उत्तरदायित्व है वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राम सुरक्षा समिति या सामाजिक कार्यकर्त्ता या कोई अन्य व्यक्ति जनता को अपराधों के प्रति सचेत और संगठित करना चाहता है, जाति के आधार पर उकसाने वाले विचारों के स्थान पर सौहार्द का वातावरण पैदा करना चाहता है या दस्युओं के विरुद्ध जनमत तैयार करना चाहता है या प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों के माध्यम से उन्हें न्याय के रास्ते पर लाने का प्रयास करता है तो यह प्रयास निन्दनीय नहीं कहा जा सकता है और न वह शंका या आलोचना का पात्र होना चाहिए। हर साल जनता के सक्रिय सहयोग से दस्यु समस्या एवं अन्य अपराधिक तत्वों से निपटने में बहुत सहायता मिलेगी।

5——सरकार दस्यु उन्मूलन के कार्य में सक्रिय है और जब तक यह समस्या समाप्त नहीं हो जाती, सक्रिय रहेगी। सरकार यह भी स्पष्ट करना चाहती है कि जो भी अपराधी आत्म समपर्ण करेगा उसके विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही की जायगी।

*श्री मोहन सिंह——

क्या माननीया गृह मंत्री बतलायेगी कि अभी सदन के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिया है और माननीय गृह राज्य मंत्री ने जो सदन के बाहर बयानात दिये हैं, दोनों में पारस्परिक विरोधाभास है तो गृह राज्य मंत्री ने कानपुर में कहा है कि छविराम 4 दिनों तक सब की जानकारी में अपने गांव में घूमता रहा, वहां से पुलिस हटा ली गयी थी और उससे कुछ पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भी मिले हैं। इस बात की जानकारी करा रहे हैं कि कैसे मिले, अखबार वाले कैसे मिले और उसका साक्षात्कार कैसे प्रकाशित हुआ है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य और आपके इस वक्तव्य को देखते हुए क्या शासन इस बात की छानबीन करा रहा है कि जो समाचार अखबारों में आया कि छविराम को पुलिस ने वहां नहीं पकड़ा और पत्रकारों से उसका साक्षात्कार भी हुआ और आपके दल के कुछ विधायक भी उससे मिले ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी——

मान्यवर, हमें इस बात की कोई सूचना नहीं है कि शासन के स्तर पर कोई पत्रकार छविराम से मिला या कोई जनता के लोग छवि राम से मिले और न कोई छवि राम का फोटो आज तक मेरे सामने कोई पत्रकार पेश करके दिखा सका।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त——

मान्यवर, मैं आप के माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सही है कि चार दिन तक छवि राम वहां यज्ञ करता रहा, इनके पार्टी के लोग ट्रालियों, ट्रकों से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

जाकर उसको माल्यार्पण करते रहे ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि फोटो नहीं दिखाई दी । मैंने माननीय मंत्री जी को जानकारी दी थी । यह मान्यवर, 11 फरवरी का स्वतन्त्र भारत अखबार है । यह हमारी राजधानी का सब से पुराना अखबार है ।

मैं समझता हूं कि इन्टेलिजेन्स शाखा ने इस अखबार की कतरन माननीय मंत्री जी को जरूर-जरूर पहुंचाई होगी जिस में छबि राम का फोटो छपा हुआ है । इस के अलावा मुझे यह भी जानकारी है कि अजमानी जी छबि राम से हाथ मिलाते हैं इस की एक फोटो भी है । इस की चर्चा हो चुकी है । मैं माननीय मंत्री जी से साफ-साफ जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि यह जो पड़रिया चौराहा संदर्भित किया गया है वहां श्री सतीश अजमानी सदस्य, विधान सभा की छबि राम से भेंट हुई ?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी के द्वारा अब तक सदन में जो सूचना दी गई है दस्यु प्रभावित इलाके में बड़े पैमाने पर पी0 ए0 सी0 पुलिस भेजी गयी है । इस सूचना को सही मानकर, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि छबि राम के मूल निवास गांव में पुलिस, पी0 ए0 सी0 रही होगी । जो गांव आप की जानकारी में है और जब छबि राम वहां पर आया तो आप की पुलिस कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर पायी ? आपके वक्तव्य की जानकारी का आधार क्या है ? उस में और जो राज्य मंत्री जी ने आदेश दिया जांच का, इन दोनों में विरोधाभास क्यों है ? यह जो वक्तव्य है इस की जांच का आधार क्या है और छबि राम के वहां पहुंचने पर पी0 ए0 सी0 मौजूद थी, वहां कौन-कौन लोग मौजूद थे उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, राज्य मंत्री जी को अधिकार है कि वह किसी भी स्थान पर भी किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी करने का प्रयास कर सकते हैं और आदेश भी दे सकते हैं । (शोर) दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देना चाहूंगी पुलिस के बारे में । हमारी पुलिस विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत आने के बाद जिस तरीके से तलवार उठाकर दस्यु उन्मूलन में लगी है किसी और सरकार ने इतना सक्रिय योगदान नहीं दिया है । तीन साल के अन्दर डाकू लोगों को पाला गया जिनका निस्तारण अब हम करने का प्रयास कर रहे हैं । इन को बन्दूकें दी गई । मान्यवर, लगभग 400 कारवाइन 1979 में दी गई, लगभग 300 कारवाइन 1978 में दी गई (व्यवधान) लगभग 250,300 कारवाइन 1977 में दी गई, कहां गई ये कारवाइनें तालियां, (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक बात सुन लें.....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं फिर से इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूं, एक प्रश्न इन्होंने अजमानी जी के बारे में उठाया । मान्यवर, हमारा देश गौतम बुद्ध का देश है, (शोर) सुन लीजिये, हंसिये नहीं, हमारा देश बाल्मीकी का देश है, हमारा देश गांधी का है, हमारा देश जय प्रकाश नारायन का देश है....

श्री मोहन सिंह--

हमारा देश स्वरूप कुमारी बख्शी का देश है.....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर मुझे इसकी नालेज नहीं है । मेरी अजमानी जी से कोई बात नहीं हुई । आपकी बात का जवाब देती हूं । अगर कोई नौजवान गौतम बुद्ध और बाल्मीकी का कोई शब्द, मंत्र दे दें (शोर) गांधी और बिनोवा से प्रभावित होकर अगर ऐसा कहता है कि आत्म समर्पण करो, सत्य में रहो, तो क्या कसूर, क्या गुनाह किया (मेजें थपथपाई गयी) हमारे नौजवान ने उनको सही रास्ते का मन्त्र दिया । आपने क्या दिया । महज तीन साल में कारवाइनें दी हैं (व्यवधान).....

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय गृह मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में हरनागपुर में छबिराम के तीन दिन तक आजादी से घूमने से स्पष्ट इन्कार किया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 15 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने जो प्रेस कान्फ्रेन्स अलीगढ़ में की थी उसके कुछ सेन्टेन्स मैं आपके समक्ष पढ़ देना चाहता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है:--

"टाकिंग टु न्यूजमैन हियर, मि० जैल सिंह सेड दैट ही वाज गोइंग टु आस्क दी स्टेट गवर्नमेन्ट फार ए डिटेल्ड रिपोर्ट ऐज टु हाऊ डक्वैट छबिराम, कैरीइंग ए रिवार्ड आफ रूपीज वन लेख आन हिज हेड कुड मूव अराउण्ड फ्रीली फारओवर थ्री डेज इन हरनागरपुर इन मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट।"

उन्होंने कहा कि मैं पूरी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेन्ट से मंगवा रहा हूं कि छबिराम डकैत, जिसके सिर पर 1 लाख रुपये का इनाम है वह तीन दिन तक किस प्रकार हरनागरपुर में आजादी के साथ घूमता रहा है? यह 15 तारीख को अलीगढ़ में प्रेस कांफ्रेन्स में ज्ञानी जैल सिंह ने कहा। श्रीमन्, इसके साथ ही और अखबारों में भी छबिराम के तथा अन्य लोगों के फोटो भी छपे हैं। इसके अलावा आपके पास इसकी रिपोर्ट हो या न हो, किन्तु उस क्षेत्र में एक गाना गाया जा रहा है उसे आप सुन लिजिये--

हथियार से लूटा हाथों से लिया, ऐसे आदमी को आदमी कहना ही चाहिए।

जब देश के रक्षक ही भक्षक ही जायं, तो छबिराम को रहना ही चाहिये।

तो मान्यवर, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने यहां पर अभी दिया है और ज्ञानी जैल सिंह ने जो प्रेस कान्फ्रेन्स में कहा है उनमें विरोधाभास है क्या माननीय गृह मन्त्री जी इन सभी चीजों को देखते हुए इसा सारे मामले को सी० बी० आई० के सुपुर्द करने की कृपा करेंगी?.. (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहती हूं कि आप गाना गा रहे हैं और हम डकैतों का सफाया करते जा रहे हैं। छबिराम के सम्बन्ध में जो वक्तव्य यहां पर दिया गया है, वह बिलकुल सत्य है और यह सरकार माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में दस्यु उन्मूलन के सम्बन्ध में जो ऐक्शन ले रही है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहती हूं कि लगभग उसके गैंग के 90 आदमी जो हैं उनमें से हमने 33 आदमियों को मार गिराया है, 16 को गिरफ्तार किया है, एक ने सरेन्डर किया है और कितने ही लोग और पकड़े गये हैं मान्यवर, हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने शासन के तीन सालों में कितने डाकुओं को मारा है, कितने मुस्तकीमों को मारा है, तब दीदी से पूछें कि तुमने कितने डाकुओं को मारा है।..... (व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इससे पहले कि मैं इस वक्तव्य के बारे में कुछ प्रश्न करूं मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं। हमें मौका मिला है स्पष्टीकरण चाहने का, उस पर हमें आपका संरक्षण चाहिये। माननीय मंत्री जी से तीन सवाल पूछे गये हैं। उन्होंने उनमें से किसी का जवाब न देकर या तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लिया, गौतम बुद्ध का नाम लिया, सिद्धार्थ का नाम लिया लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसलिये मान्यवर, इससे पहले कि मैं प्रश्न करूं आप उन्हें निर्देश दें कि जो स्पष्टीकरण हम चाहते हैं, उनका वे जवाब दे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

[* * * *]

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप बैठ जायं । जब मैं आपको बुलाऊं तभी आप उठा करें ।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य पुनः खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया ।)

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, आपत्ति की बात है । इन्होंने कहा है कि हमारे प्रश्नों का जवाब ये बातों से नहीं देती गोली से देती हैं । जब इनकी गोली वहां कारगर साबित नहीं हुई, सदन में कारगर साबित कैसे करेंगी ?

एक सदस्य--

गोली से कैसे साबित करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, यह आपत्तिजनक है ।

श्री रियासत हुसैन---

यह हवाई फायर कर रहे हैं और छबिराम के सामने आत्म समर्पण कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

वास्तविकता को सुनिये ।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दें, उन्होंने कहा मैं जवाब गोली से दूंगी !

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने क्या कहा ?

श्री हुकम सिंह---

उन्होंने कहा कि मैं प्रश्नों का उत्तर बातों से नहीं गोली से दूंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मैंने कहा दस्युओं के खिलाफ जवाब गोलियों से दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको देख लूंगा ।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, हरनागपुर गांव में दस्यु छबिराम की मौजूदगी का तमाम प्रदेश और देश की जनता को ज्ञान है लेकिन उत्तर प्रदेश के सिवाय कुछ गिने-चुने मंत्रियों के अलावा सरकार को इसका ज्ञान नहीं है । इसमें कहा है कि पड़रिया चौराहे के किसी गांव में उसके होने की सूचना मिली । मैं जानना चाहता हूं कि पड़रिया चौराहे के निकट छबिराम के घूमने की सूचना पुलिस को कब मिली और उस चौराहे को घेरने के लिये पुलिस कितनी संख्या में गयी और किस के नेतृत्व में गयी ? (व्यवधान)

नोट [* * * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, सम्मानित सदन को शासन की ओर से आपके आदेशानुसार जो स्थिति है उसका स्पष्टीकरण करते हुए वक्तव्य दिया गया । इसमें जो सम्मानित सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की..

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी ऐसा है प्रश्न केवल इतना है कि सूचना कब मिली, कितनी पुलिस गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

वही मैं कह रहा हूं । जनहित में जितना स्ट्रेटेजिक प्वाइंट आफ व्यू से जितना हो सकता था बताया गया । अब आपको सूचना कब मिली, निश्चित तिथि की सूचना किसने दी, कैसे दी.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरा इस पर व्यवस्था का प्रश्न है, मेरी आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके उत्तर देने दीजिये अगर नहीं आयेगा तब पूछें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

उनके उत्तर पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

उत्तर पूरा सुन लीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त- -

जो उत्तर में शब्द निकला है उस पर व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय गुप्त जी, वह उत्तर दे रहे हैं पूरा उत्तर सुन लीजिये (व्यवधान) ऐसा है जब आप प्रश्न करते हैं तो प्रश्न में काफी देर तक आप उसकी पृष्ठभूमि कहते हैं । तो वह उत्तर दे रहे हैं उनको भी अधिकार है कहने का इसलिए उत्तर देने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन मंत्री जी ने एक वाक्य कहा "स्ट्रैटेजिक प्वाइंट आफ व्यू" से व्यूह रचना से जो बताना चाहिये था, बता दिया । तो मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं हमारे नियमों में व्यवस्था है गोपनीय और जनहित के मामलों में प्रश्न का उत्तर रोका जा सकता है । क्या स्ट्रैटेजिक प्वाइंट आफ व्यू से किसी की उत्तर रोका जा सकता है ? इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा । दूसरा बिन्दु यह है कि दो दिन पूर्व जब माननीय उपाध्यक्ष जी यहां पर विराजमान थे, व्यवस्था दी थी, कि हमारे नियमों में यह व्यवस्था है कि जो प्रश्न हम कहेंगे और जिसको आप एलाऊ कर देंगे और उसका उत्तर देने के लिये आप संकेत करेंगे और उसका उत्तर दिलायेंगे, लेकिन उत्तर क्या होगा इसके लिये तो आप बाध्य नहीं कर पायेंगे ।

माननीय रियासत साहब ने एक प्रश्न पूछा उसमें केवल मात्र इतना जानना चाहा कि क्या सी0बी0आई0 से जांच करायेंगे ? तो इसका उत्तर हां या नहीं में हो सकता है या फिर यह बताना कि जनहित में नहीं है । इन तीन उत्तरों के अलावा चौथे उत्तर की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं तो यह न दे कर पृष्ठभूमि बता दी । मैंने मात्र इतना जानना चाहा कि क्या यह सही है कि हरनागपुर गांव में पुलिस तैनात थी अगर थी, तो उसने गिरफ्तारी

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

का काम क्यों नहीं किया ? अब सवाल इतना ही है कि जो हम प्रश्न करते हैं उसका उत्तर नहीं दिया जाता है। इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, मैं कोई थेटनिग नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना अवश्य कह रहा हूं कि यदि यही स्थिति रही तो हमें मजबूर होकर यह फैसला करना पड़ सकता है कि हम गृह मन्त्री जी से कभी कोई उत्तर नहीं सुनना चाहेंगे। लेकिन फिर भी आपकी ओर से निर्देश दिया गया था, लेकिन उनके उत्तर देने के चरित्र पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मुख्य मंत्री जी स्वयं दें, क्योंकि गृह मंत्री जी के ऐसे अनर्गल और बकवासपूर्ण उत्तर सुनने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

उस दिन जब यह प्रश्न नियम 56 में आया था, तो इस पर वक्तव्य देने के लिये कहा गया था। उस दिन वक्तव्य देने के सम्बन्ध में, यदि आप कार्यवाही देखें, तो, मैंने यह कहा था कि छबिराम और दस्यु समस्या के बारे में काफी चर्चा यहां हो चुकी है और विचार विनिमय हो चुका है, इसलिये एक मात्र वह खुल्लमखुल्ला हरनागपुर में घूम रहा था और पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं, कार्यवाही नहीं की, इस बारे में शासन अपना पक्ष प्रस्तुत करे। शासन ने इस सम्बन्ध में अपना पक्ष यह प्रदर्शित किया . . . . (व्यवधान) कि यह सही नहीं है कि 4 दिनों तक खुलेआम वह हरनागपुर में घूम रहा था। और यह सत्य नहीं है कि उक्त क्षेत्र से पुलिस हटा ली गई थी। तो जो आपका प्रश्न था पुलिस का, उसका उत्तर इसी में निहित है कि पुलिस हटाई नहीं गई।

हुकम सिंह जी ने एक प्रश्न किया था उसमें व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, जिसमें यह कहा गया था कि इस दल के बारे में यह पता चला कि छबिराम अपने दल के साथ पड़रिया चौराहे के निकट किसी ग्राम में है। एक प्रश्न श्री रियासत हुसैन ने किया था कि क्या यह सारी कार्यवाही की जांच सी0 बी0 आई0 से कराई जायेगी। अब मैं गृहमंत्री जी से चाहूंगा कि वह इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दें कि क्या वह सी0 बी0 आई0 से इसकी जांच करायेंगी और कब इसकी सूचना मिली ? अब इसका जिस तरह का उत्तर आप देना चाहें दे दें—हां में या नहीं में। यह दोनों प्रश्न उत्पन्न होते हैं और प्रश्न सम्भावित हैं।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अगर कोई प्रश्न पूछे और उसका उत्तर जैसा वह चाहे, वही उत्तर मैं दे दूं . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह कतई नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूं। प्रश्न उन्होंने यह किया है कि क्या आप सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे ? आप जो चाहे उत्तर हां दें या नहीं। . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं निवेदन यह कर रहा था, मैं आपसे संरक्षण चाह रहा था, वह चाहता हूं। वह चाहते हैं कि विरोध पक्ष प्रश्न करे उसका समुचित उत्तर उनको मिले, यह शासन की मंशा है और आपकी भी मंशा है। ऐसी स्थिति में जब यह प्रश्न करने लगते हैं तो कुछ भूमिका बोल देते हैं। जो भूमिका हम देते हैं उसका उत्तर भूमिका में न दिया जाय तो वह संगत नहीं होगा। तो वह अपनी भूमिका का उत्तर भी धैर्य रखकर सुन लें तो अच्छा होगा और उससे उनको पूरा सन्तोष होगा। मैं उत्तर दे रहा हूं, मैंने प्रश्न सुन लिया है. . . . .

श्री अध्यक्ष—

इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जैसा चाहे आप दें—भूमिका के साथ दें या भूमिका विहीन देना चाहते हों तो दें। आप इन प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं यही कह रहा था। मेरा निवेदन यह है कि जब यह भूमिका कहते हैं तो उसके सुनने पर क्यों एतराज करते हैं ? उन्होंने स्पेसफिक प्रश्न किया था कि किस तारीख को सूचना मिली। मैंने निवेदन किया कि आपको तारीख तो हम बता दें लेकिन कह दिया कि अपनी स्ट्रेटजिक जो कोई कार्यवाही कर रहे हैं, उसमें फिर आप पूछेंगें कि किसके द्वारा सूचना मिली, तो कृपा करके आप केवल इतने तक सीमित रहें।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

अगर आप इतने पर ही सीमित रहेंगे.....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप उनका उत्तर सुन तो लें कि वे क्या कह रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

मान्यवर, आपके द्वारा निवेदन करना पड़ रहा है कि वे कृपा करके धैर्य से मेरी पूरी बात सुन लें। अगर मेरा पूरा उत्तर न मिले तो अपना असंतोष प्रकट कर सकते हैं लेकिन बिना सुने ही आप असंतोष प्रकट करें, यह कहां तक उचित होगा ? आपको अपने प्रश्न का उत्तर सुनना पड़ेगा। आप धैर्य रखें। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था कि किस तारीख को पुलिस को उस क्षेत्र में दस्यु, छबिराम, की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसका स्पष्ट रूप से उत्तर यह है कि पहले तो 7 तारीख को रात में जानकारी हुई, उसके बाद इसके बारे में 8 तारीख को जानकारी हुई। जिन श्रोतों से इस सम्बन्ध में सूचना दी थी, उनकी वास्तविकता को सुनिश्चित करने में कुछ समय अवश्य लगा था और जैसा कि एटा में एक बार पुलिस दल की टुकड़ी को सूचना मिलने पर वे उस स्थान पर गये और उस स्ट्रेटेजी में 8 पुलिस कर्मियों को वीर गति प्राप्त हुई थी। इसलिये स्ट्रेटेजी पाने के लिये कई तरफ से घेरने का प्रयास किया था। माननीय रियासत हुसैन ने समाचार पत्र में छपी सूचना के आधार पर एक प्रश्न किया। मान्यवर, आपकी अध्यक्ष पीठ से कई बार निर्णय हो चुका है कि कोई प्रश्न सदन में समाचार पत्र में छपी सूचना के आधार पर नहीं उठाया जा सकता है लेकिन माननीय रियासत हुसैन की बुजुर्गी, वरिष्ठता और भावना को ध्यान में रखकर में उत्तर देना चाहता हूं।

श्री हुकम सिंह---

क्या आप उन पर दया कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---

नहीं, मैं दया नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। समाचार पत्र के माध्यम से जो उनको जानकारी मिली और जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री ज्ञानी जैल सिंह उत्तर प्रदेश सरकार से संतुष्ट नहीं हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो शासन को किसी प्रकार का उन्होंने कोई पत्र लिखा है और न कोई निदेश ही दिया है और न कुछ कहा है।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

लेकिन इसके बावजूद जब सदन में यह प्रकरण उठा तो हमने कहा था कि इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी से करा लेंगे। हमने उसकी जांच करायी है और उसके एक हिस्से की रिपोर्ट आ गयी है और उसी के आधार पर यह वक्तव्य आपके सामने प्रस्तुत किया है। दूसरे हिस्से का जहां तक उत्तर है कि क्या इसकी जांच सी0 बी0 आई0द्वारा करायेंगे। श्रीमन, इस सम्बन्ध में निवेदन यह करना है कि सी0 बी0 आई0 द्वारा उन बिन्दुओं पर जांच करायी जाती है जिनकी स्पष्टता होने में कहीं दिक्कत हो। यह स्पष्ट बिन्दु है कि अगर वह वहां पर मौजूद रहा तो कोई भी वरिष्ठ अधिकारी वहां के लोगों से पूछ कर जान सकता है, मालूम कर सकता है कि वे वहां पर कब, कैसे मौजूद रहा। इसलिये इसमें सी0 बी0 आई0 द्वारा इन्क्वायरी करने पर शासन कोई आवश्यकता नहीं समझती है।

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर 2 इन्टू 2 को 4 कहा जाय तो इसका उत्तर चार देंगे, लेकिन अगर कहा जाय कि 2 की जगह उसमें 2 1/2 मिल गया और वह 4 बन गया तो उसका उत्तर वैसे ही दिया जा सकता है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, इसमें प्रश्न केवल इतना है कि क्या छबिराम 3 दिन तक वहां उस क्षेत्र में मौजूद रहा और वहां से पुलिस हटा दी गयी? इस सम्बन्ध में माननीया गृह मंत्री जी का एक वक्तव्य आया जिसमें कहा गया कि वहां वह नहीं विचरता रहा और पुलिस नहीं हटायी गयी। हम यह आरोप लगाते हैं कि सरकार ने जानबूझ कर असत्य वक्तव्य दिया है और इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है....

श्री रामअौतार दीक्षित--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने निर्णय दिया है कि इस पर केवल स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न किया जा सकता है माननीय सदस्य अपना एक भाषण दे रहे हैं। क्या वे कोई भाषण दे सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया प्रश्न करें।

(व्यवधान)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

इसकी सच्चाई तो आपके सामने तब आयेगी मान्यवर, जब आप इसकी जांच के लिये इस सदन की एक कमेटी बना दें।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

यह वक्तव्य असत्य का पुलन्दा है, यह कैसे हजम होगा?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायें। जितना उत्तर के लिये मैंने निर्देशित किया था उसका उत्तर उन्होंने द दिया। जो अलग से प्रश्न आपने किये उसका उत्तर आ गया। अब आप उसे सही समझते हैं या गलत, यह हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। (व्यवधान) मैं सरकार को या किसी को बाध्य नहीं कर सकता, कि वह इस किसी खास तरह का ही उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपने मान्यवर, यह व्यवस्था दी थी कि नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य आयेगा। मैंने स्वयं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था, कि सामान्यत: इस पर प्रश्न नहीं होते, लेकिन इस मामले में आप प्रश्न करने की इजाजत दे दें। हमने नियम 52 के अन्तर्गत भी आपसे चर्चा कराने की मांग की है और उसकी मैंने आपको नोटिस भी दी है। इसमें कई महत्व के प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं आया। जब छविराम आया तो वहां पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? मेरा निवेदन है आपसे कि आप कृपया नियम 52 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा दें।.....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान के मध्य)

आप का प्रश्न आया, उसके स्पष्टीकरण को और उसको, दोनों को एक में मिलाने का आप प्रयास न करें। प्रश्न जो आपका था, वह उत्तरित है। वह उत्तर सही है या गलत है इस सम्बन्ध में मैं न यहां से कुछ कर सकता हूं और न आप कुछ कर सकते हैं। जो उत्तर उन्होंने ठीक समझा, उन्होंने दिया। जहां तक नियम 52 की बात है, जो आपने दिया है, उस पर हम विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, वक्तव्य सत्य पर आधारित है। जरा सा भी वह सत्य से हट कर नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, जिनके फोटो मौजूद हैं। लोग बसों पर बैठकर छविराम को देखने गये हैं। ज्ञानी जैल सिंह प्रेस कांफ्रेंस में कह दिये हैं और यह सरकार कहने के लिये तैयार नहीं है। सिर्फ अपनी इनकंपीटेंसी को छिपाने के लिये सी0 बी0 आई0 से भी इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार नहीं है। इसलिये मैं अपने दल सहित इस सदन का त्याग करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये)।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इससे बड़ा नंगा और झूठा वक्तव्य और नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, हालात को छिपाया जा रहा है।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस असत्य, अनर्गल वक्तव्य के विरोध में, मैं अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, इस असत्य वक्तव्य के विरोध में मैं भी अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कुंवर सिंह नेगी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, इस असत्य वक्तव्य के विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फखरे आलम भी सदन त्याग करके चले गये ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह जो सरकार की तरफ से वक्तव्य आया है, इसमें एक भी वाक्य सही नहीं है । सारा वक्तव्य असत्य और फरेब से भरा पड़ा है । मान्यवर, सत्य को छिपाया जा रहा है । सत्य पर पर्दा डाला जा रहा है । हम लोग इस उत्तर से कतई-कतई संतुष्ट नहीं हैं । मान्यवर, जितना महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, जितनी जानकारी हम लोगों को इस पर मिलनी चाहिये थी, मेरा दुर्भाग्य है कि उतनी जानकारी नहीं दी जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय मोती लाल जी, इसमें सब सत्य ही सत्य है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, अखबारों के द्वारा जनता को जानकारी मिली कि 3 दिन तक छविराम वहां पर घूमता रहा ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह सरकार डाकुओं को संरक्षण देने वाली है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इस असत्य वक्तव्य के विरोध में हम और हमारा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, इस सरकार का चरित्र एवं कार्य-कलाप ही छविराम का चरित्र बन गया है । मान्यवर, इससे देश और प्रदेश खतरे में है । इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मित्रसेन भी सदन का त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, यह वक्तव्य बिलकुल झूठा है । यह सरकार और इनके मंत्री डाकुओं को बचाने का पूरा षड़यंत्र कर रहे हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी मांग है कि एक समिति माननीय सदस्यों की इस सम्बन्ध में बना दी जाय जो कि इस घटना की जांच करे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह वक्तव्य बिलकुल झूठा है। मान्यवर, इसके विरोध में, मैं अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री प्रदीप कुमार यादव वक्तव्य की प्रति फाड़ते हुए सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, इस असत्य वक्तव्य के विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री लल्लू सिंह चौहान—

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, इस सरकार के कायरतापूर्ण उत्तर से हमें बड़ा आघात पहुंचा है। सरकार छविराम का खात्मा करने के बजाय, उससे मिल गयी है और अब यह सरकार छविराम के नेतृत्व में अनर्गल, असत्य बकवास सदन में कर रही है, जो निन्दनीय है। मैं इस सरकार की निन्दा करते हुए पूरे दिन के लिए सदन का त्याग करता हूं।

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान के मध्य)

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, यदि कमेटी नहीं बनाई जायगी, तो इसी प्रकार के असत्य, अनर्गल वक्तव्य सरकार की तरफ से आते रहेंगे। मान्यवर, यह बिलकुल असत्य, और अनर्गल वक्तव्य है। इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं।

मान्यवर, आत्म समर्पण ऐसे नहीं होता जिस प्रकार कराया जा रहा है। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री लल्लू सिंह चौहान सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

लटूरी सिंह के प्रकरण में इस तरह से सदन का बहिष्कार किया था ?

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में 11 सूचनायें प्राप्त हुई थी। पहली सूचना श्री जसवन्त सिंह विष्ट की है। दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की मेरठ में पुलिस द्वारा गोली चलाने से एक बालिका की मृत्यु के सम्बन्ध में है। इसी सम्बन्ध में श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, डाक्टर

नोटः—[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अध्यक्ष]

शिवानन्द नौटियाल, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री हरीकिशन श्रीवास्तव तथा फखरे आलम की, और इसी पर एक सूचना अलग से श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की है और श्री मोहन सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री राम स्वरूप निम ने इसी पर अलग से सूचना दी है। श्री प्रदीप कुमार यादव की एक सूचना इसी पर अलग से है, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन की इसी पर अलग से सूचना है। श्री अकबाल हुसैन की भी अलग से इसी सम्बन्ध में सूचना है।

10वीं सूचना श्री कुबेर भंडारी, श्री श्याम नारायण तिवारी की प्रदेश के मेडिकल कालेजों में पिछले एक वर्ष से स्नातकोत्तर छात्रों को स्नातकोत्तर भत्ता न दिये जाने के सम्बन्ध में है। 11वीं सूचना श्री हरिबंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह की है। मैं इन सारी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूं। पहली सूचना श्री जसवन्त सिंह की और 10 और 11वीं सूचना नियम 56 में अस्वीकृत की गई। केवल यह सूचना जो मेरठ से संबंधित है, इसके सम्बन्ध में नियम 51 में सूचना प्राप्त हुई है, स्वीकृत की गई है। मैंने नियम 51 में इसी दृष्टिकोण से इसको स्वीकार किया है कि उसमें आपको स्पष्टीकरण का प्रश्न पूछने के अवसर मिलेगा। नियम 56 में केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार करने के बजाय 51 में स्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन लें। मान्यवर, आप इस पर कार्यस्थगन के रूप में विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरे नियम में दे दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इमाम साहब मारे गये। पुलिस वहां जांच के लिये गयी थी, लेकिन पुलिस ने वहां गोली बरसाई जिसमें एक बालिका को मार डाला।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। माननीय राजस्व मन्त्री।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, आपको ग्राह्यता पर सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरे नियम में दीजिये।

1982–83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता), अनुदान संख्या 42—राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) तथा अनुदान संख्या 65—सहायता और पुनर्वासन विभाग

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)— [12 बजकर 48 मिनट]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40—राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,96,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि की स्वीकृत प्रदान की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—राजस्व विभाग

(दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,18,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि को स्वीकृति प्रद न की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,47,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि को स्वीकृति प्रदान की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, एजेन्डे में मद संख्या 11(3) में 31 मार्च, 1982 की जगह "31 मार्च, 1983" होना चाहिये ।

श्री बैजनाथ कुरील––

मान्यवर, 31 मार्च, 1983 ही मैंने पढ़ा था ।

श्री अध्यक्ष––

31 मार्च, 1983 कर दिया जायेगा ।

श्री मित्रसेन––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, यह गांधी जी के तीन बन्दर बैठे हैं जिन्होंने अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है ।

श्री मित्र सेन––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या, 41–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या, 42–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

*श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि इन अनुदानों पर अब डिस्कशन जारी होगा। तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि मा0 राजस्व मंत्री ने जो अनुदान पेश की है उनके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया है। इसलिये उम्मीद हो रही है कि साढ़पुर और दिवली कांड के बाद हरिजनों से इनका सम्बन्ध नहीं रहा है क्योंकि मंत्री जी ने अनुदानों के सम्बन्ध में अपना कुछ बयान नहीं दिया कि आखिर क्या चाहते हैं? इसलिये व्यवस्था मैं आपसे चाहता हूं कि यह परम्परा न पड़े भविष्य में। मंत्री जी ने आज तो अपना अनुदान पुटअप कर दिया बिना भाषण के, लेकिन भविष्य में और मंत्री जी भी यह रवैया न अपनायें।

श्री अध्यक्ष--

इसी तरह की ग्रान्ट जन स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया और वह बोले, किन्तु वह इस पर कुछ नहीं कहना चाहते थे, इसलिये नहीं कहा। इसकी तो कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है कि प्रस्तुत करते हुए अवश्य बोलें। संभावना हो सकती है कि वह स्पष्ट हो। लेकिन जब उत्तर आप देंगे तो उस पर बोलेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, संवैधानिक प्रश्न नहीं उठाया है लेकिन कंवेन्शन नहीं होना चाहिये

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी कटौती के प्रस्ताव के ऊपर जवाब में विस्तारपूर्वक कहें।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री बैजनाथ कुरील--

मान्यवर, मुझे कह लेने दीजिये।

श्री मोहन सिंह--

अब कैसे कह सकते हैं?

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, राजस्व विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके हाथ में प्रदेश की भूमि व्यवस्था है। हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या भूमि पर आधारित है। भूमि व्यवस्था की आय से कम से कम 50 प्रतिशत की भागीदारी है और भूमि व्यवस्था का हमारे प्रदेश के उत्पादन के साधनों में एक मुख्य साधन है। भूमि व्यवस्था के बारे में सरकार जितने सुधार लाती है वह अपनी जगह पर सब फेल हैं कोई भी सुधार उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो सफल हुआ हो। जो भी कानून इस सम्बन्ध में बनाये गये वह सफल नहीं हो सके। हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा जहां साम्राज्यवाद को मिटाना था वहीं पर भूमि व्यवस्था में सामन्ती व्यवस्था को खत्म करना था, राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ-साथ भूमि आन्दोलन भी जुड़ा था। भूमि को बांटने के बारे में भूमि व्यवस्था को पुर्नव्यवस्थित करने में हमारे प्रदेश के किसानों ने महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा की थी जिसका परिणाम यह हुआ कि जमींदारी उन्मूलन हुआ।

जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ इस देश और प्रदेश के किसानों को आशा थी कि जितने भूमिहीन किसान हैं, छोटे किसान हैं और जिनको भूमि का अधिकार नहीं मिला है उनको भूमि का अधिकार मिलेगा और वह स्वतंत्र रूप से कृषि कर सकेंगे। लेकिन इस दिशा में कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला, परिणाम यह निकला कि जिन काश्तकारों के पास जमीनें जानी चाहिये थीं उनके पास न जाकर जमींदारों के पास भूमि सिमट गयी। जिस प्रभावी ढंग से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होना चाहिये था वह वैसे नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि

(इस समय 12 बजकर 57 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

बेदखली हुई और मौरूसी काश्तकारों की जमीनें छीनी गयीं और बड़े काश्तकारों के हाथों में वह जमीनें आ गयीं। यह 1960 तक होता रहा। 1960 में सीलिंग ऐक्ट लागू हुआ राजस्व मन्त्री हुकम सिंह ने जो भावना व्यक्त की थी कि हमारे प्रदेश में 14.5 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी तो वह जमीन उपलब्ध नहीं हुई और केवल 2.5 लाख एकड़ जमीन ही मिली। 1972 में सीलिंग ऐक्ट में संशोधन हुआ। पहले 40 एकड़ तक सीलिंग की सीमा थी पर 1972 में सीलिंग 18 एकड़ पर लागू की गयी। कहा गया कि इससे प्रदेश में काफी जमीन उपलब्ध होगी और यह भी कहा गया कि 10 लाख एकड़ जमीन इससे मिलेगी लेकिन केवल 1.50 लाख एकड़ जमीन ही मिल सकी और जमीन का आवंटन नहीं हो सका।

सीलिंग ऐक्ट में प्राविधान था कि जो भूमिहीन होंगे उन्हें सीलिंग से निकली जमीन सहकारी खेती पर दी जायगी। दूसरी तरफ राजस्व ऐक्ट में था कि सहकारी खेती में वह काश्तकार शामिल हो सकेंगे जिनके पास जमीन होगी तो इस तरह से दोनों ऐक्ट में विरोधाभास था। इसलिये भूमि की सहकारी व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकी। भूमि चोरी के जो आंकड़े हैं और जो भूमि चुराई गयी है उसके बहुत बड़े प्रमाण तराई जिलों में देखने को मिलते हैं। वहां भूमि चोरों ने और दूसरे प्रदेशों से आये विस्थापितों ने बड़े-बड़े फार्म कायम किये हैं और उसके लिये सनवाल कमेटी मुकर्रर की गयी थी। सनवाल कमेटी ने कहा है यह जमीन जो जमीन के भूखे काश्तकारों को मिलनी चाहिये थी, इसके बारे में रिपोर्ट यह है कि यह जमीन चाहे बड़े अधिकारी हों चाहे मन्त्री हों या नेतागण हों, उनके हाथों में सिमट गयी है और वे अपने काले धन को सफेद धन में बदल रहे हैं। ये लोग न तो खेती करते हैं और न खेतों में कदम रखते हैं, लेकिन कुर्सी पर रहते हुए जो काला धन कमाते हैं, उसे सफेद करने का एक बहाना हो गया है।

प्रदेश के अन्दर जो जमीन व्यवस्था है चाहे सीलिंग ऐक्ट हो या जमींदारी उन्मूलन हो, इससे निकली हुई जमीन जिन जमीन के भूखे किसानों को मिलनी चाहिये थी, उनको सही रूप में वह नहीं मिल पायी और आज भी वहीं स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर हम यह प्रयत्न करें कि जमीन का असमान वितरण दूर हो सके, तो यह असम्भव है। किसी सरकार का चरित्र उसके कानूनों, तौर तरीकों और क्रिया-कलापों से निकाला जा सकता है। भूमि व्यवस्था भी पूंजीवादी ढांचे पर जा रही है। इस सरकार में बैठे हुए मा0 मन्त्री जी उसे अपने स्तर से दूर नहीं कर सकते। इस सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिनका भूमि चोरी में हाथ था और भूमि चोरी में सबसे आगे थे। कानूनों की कमियां और रास्ते कानून बनाने से पहले बता दिये जाते थे। जब सीलिंग ऐक्ट लागू हुआ तो यह तारीख निश्चित हुई कि वह 1960 में 15 अगस्त से लागू होगा।

नतीजा यह हुआ कि उस तारीख में उसे पेश न करके 5 दिन बाद पेश किया गया है। ऐसा इसलिये किया गया कि भूमि चोरों को इससे मौका मिला। सीलिंग ऐक्ट ऐसे लागू किया जैसे चलनी में छेद होता है, इधर से पानी भरो उधर से निकल जाता है। सीलिंग ऐक्ट के अन्दर बड़े बड़े काश्तकार और जमींदार आते थे, उनको रास्ता मिल गया फर्जी नामों पर जमीन को चुराने का। परिणाम यह निकला कि प्रदेश सरकार ने जो नारा दिया था कि प्रदेश सरकार को इतनी भूमि मिलेगी तथा उसे किसानों को वितरित किया जायगा, वह नहीं हो सका।

[श्री मित्र सेन]

अब स्थिति यह है कि अगर प्रदेश की सरकार से यह अपेक्षा की जाय और प्रदेश की जनता यह अपेक्षा करे कि सारे प्रदेश की भूमि का राष्ट्रीयकरण करके यह अपने हाथों में लेकर फिर से कोई मानक बनाकर वितरण करने के लिये तैयार हैं, तो यह ऐसा नहीं करेंगे । सवाल यह उठता है कि प्रदेश के जमीन के भूखे काश्तकारों को कैसे जमीन मिल सकेगी, इस सम्बन्ध में इनकी सारी व्यवस्था फेल हो चुकी है । भूमि के भूखे किसानों को नये सिरे से जमीन देने के इनके सारे सिद्धान्त फेल हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के किसानों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है । छोटे-छोटे किसानों के पास जो जमीनें हैं, चाहे वह भूमि विकास बैंक का कर्जा हो या और कोई कर्जा हो, उसके नाम पर उनके हाथ से निकलती जा रही हैं । राजस्व विभाग में भूमि का सुधार करने का कोई तरीका नहीं है । एक रास्ता चकबन्दी का निकाला था, उसमें यह देखा गया कि स्टाफ को कोई प्रशिक्षण नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वे स्वयं चकबन्दी की नीतियों से और चकबन्दी की मूलभूत बातों से परिचित नहीं थे ।

परिणाम स्वरूप यह हुआ कि चकबन्दी लागू करने के कुछ दिनों तक चकबन्दी की सही मंशा पूरी नहीं की जा सकी । जहां एक चक देकर लाभान्वित किया जा सकता था, वहां 3–3 और 4–4 चक दिये गये और ज्यादातर जमीन चकबन्दी के बाहर रक्खी गयी, वहां फिर से चकबन्दी लागू किया जा रहा है । जबकि किसानों से चकबन्दी का खर्चा पहले ही लिया जा चुका है । अब उनके साधन की कमी के कारण, उनके विभाग की कमी के कारण एक बार चकबन्दी करने में जो कमियां रह गयीं हैं, तो अब फिर से चकबन्दी कराने जा रहे हैं और एक बार तो चकबन्दी में काश्तकार खर्चा उठा चुका है, अब फिर उसी काश्तकर से खर्चा लेना चाहते हैं । यानी कमियां तो आपका विभाग करे और खर्चा बेचारे काश्तकार से दोहरा लें, यह कहां का न्याय है ? इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव तो यह है कि अब चकबन्दी का खर्चा काश्तकारों से नहीं लिया जाना चाहिये, उस खर्चे को सरकार को स्वयं वहन करना चाहिये ।

आज प्रदेश में गांव की जो हालत है उसमें यदि किसी काश्तकार के पास भूमि नहीं है । गांव में प्रभावशाली लोगों के पास या जो गांव के बड़े-बड़े लोग हैं उनके पास गांव की 70 से 75 प्रतिशत तक भूमि है और शेष 10 प्रतिशत भूमि जो गांव की है उसमें गांव की पूरी आबादी जो कि लगभग 85 प्रतिशत होगी, उसके पास जमीनें हैं । करीब 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास गांव की 10 प्रतिशत जमीन होगी ।

इसी प्रकार से गांव समाज की भूमि को आवंटित करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि छोटे काश्तकारों को और भूमिहीनों को गांव समाज की भूमि को एक स्तर पर आवंटित कर दें । लेकिन उस पर भी उन्हें कब्जा नहीं मिला । क्योंकि सरकार आंकड़े ही इकट्ठा करती रही और गांव के बड़े लोग उस पर कब्जा किये रहे । फिर 1977–78 में दूसरी सरकार आयी, तो उसने कब्जा दिलाने का प्रयास किया तो फिर समस्या आई कि आंकड़े इकट्ठा किये जायं । जब तक आंकड़े ही इकट्ठा होते रहे कि फिर से यह नई सरकार आ गई । अब यह आई है और फिर आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं । दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस प्रोग्राम के अनुसार असली रूप में परिणाम एक अंश भी पूरा नहीं हुआ है ।

गांव समाज की भूमि पर जमींदारी टूटने के बाद से आज तक कोई अन्तर नहीं आया है । गांव के उन्हीं बड़े लोगों का, वहां की भूमि पर कब्जा अभी भी है । वह अपनी खराब जमीन को अच्छी जमीन से बराबर बदलते रहते हैं और उन्हीं बड़े लोगों का कब्जा भूमि पर अभी भी है और जो अपने माध्यम से छोटे-छोटे किसानों को बटाई पर जमीन देते रहते हैं और उससे लाभ उठाते हैं । मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि प्रदेश में बड़े बड़े किसानों के हाथ में जमीनें सिमटती गयीं और उन जमीनों पर फार्म का रूप देकर जमीनों की चोरी की गयी । परन्तु उनके विरुद्ध सरकार आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकी । बल्कि सरकार के लोग ही उसमें उस चोरी में शामिल हो गये ।

इसलिये श्रीमन्, चाहे सनवाल का सुझाव हो या चाहे मंगलदेव विशारद का सुझाव हो या रिपोर्ट हो या और कोई रिपोर्ट हो, हम देखें कि उस जमीन का वह भाग आज तक किसानों को नहीं मिल पाया और न उसके मिलने की आशा है। इसलिये किसानों का आन्दोलन प्रदेश में बदस्तूर बना हुआ है और वे यह नारे लगाते हुए निकलते हैं कि:—

"धरती नहीं धनवानों की,
है यह मजदूर किसानों की।"

हमारे सामने जो आज ला एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा हो रही है, कहीं-कहीं हरिजनों के उत्पीड़न के काण्ड हो रहे हैं, वह सब भूमि व्यवस्था से ही सम्बन्धित है। जब साढ़ूपुर काण्ड हुआ तो माननीय मंत्री जी साढ़पुर गये थे। वहां पर मन्त्री जी को लोगों ने घेर लिया और लोगों ने उनसे कहा कि हमें दान, दाम नहीं बल्कि अधिकार चाहिये। हमारे माननीय गुलाब सेहरा जी भी वहां गये और न्याय मंत्री श्री जगदीश प्रसाद जी गये, परन्तु उन्होंने जब सुना कि मंत्री जी को लोगों ने घेर लिया है तो ये दोनों रास्ते से ही लौट आये, वहां घटना स्थल पर गये ही नहीं। वहां ये लोग नहीं जा सके तो मान्यवर, यह हमारे प्रदेश के हरिजनों और भूमिहीनों की स्थिति है और दुर्भाग्य। इसलिये भूमि व्यवस्था के बारे में नये सिरे से सरकार को विचार करना चाहिये जिसके लिये वह तैयार नहीं है और अगर तैयार नहीं हैं तो प्रदेश के अन्दर आन्दोलन, संघर्ष, उसकी विषमता, वर्गीकरण, असमान वितरण के आधार पर जारी रहेंगे और इस विभाग को, जो इन्होंने लगभग 70 करोड़ से अधिक का अनुदान मांगा है, इनकी विफलता के कारण, एक पैसा भी देना किसानों के साथ अन्याय होगा, इसलिये इस को मंजूर नहीं किया जाना चाहिये। उनके पक्ष में बैठे हुए लोग भी जो गांवों में रहते हैं, गांवों की जनता का असंतोष जिनके सामने प्रकट होता है और संघर्ष के रूप में उतर रहा है उनको भी स्वीकार करना चाहिये कि अब कोई क्रान्तिकारी सुधार नहीं लाया जा सका, इसलिये राजस्व विभाग के प्रति आज प्रदेश की जनता में बड़ी चिन्ता है और हमारे प्रदेश की सरकार का राजस्व दर हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों से ज्यादा है।

जो लगान व्यवस्था है अन्य प्रदेशों से सबसे ज्यादा है और दूसरी तरफ उत्पादन बंगाल केरल, हरियाणा, पंजाब, सब जगह का हमारे यहां से ज्यादा है और लगान कम है। इसके बावजूद लगान बराबर बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जितना लगा था उस को माफ करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। जो किसानों के हमदर्द, हिमायती बनते हैं वह महज जबानी। आन्तरिक रूप से किसानों को लाभान्वित नहीं करना चाहते और जिन किसानों को भूमि चाहिये उन को देना नहीं चाहते। इस सरकार में बैठे हुए भू-स्वामी, दलाल, या ऐसा समझ लें मान्यवर, अर्थशास्त्री, इस बात के हामी हैं कि जो छोटी जोतें जो लाभकारी नहीं हैं और अलाभकर जोत घोषित कर रहे हैं। हमारी मान्यता है कि छोटी जोत वाले ज्यादा सघन खेती करते हैं अपेक्षा बड़ी जोत वालों से। इसलिये छोटी जोत वालों को भूमि आवंटित करना कोई गुनाह नहीं है।

मान्यवर, श्रमिक व्यवस्था, मजदूरों की समस्या, बेकारों की समस्या और प्रदेश की भूमि व्यवस्था को देखते हुए दुख होता है। लाखों एकड़ भूमि ऊसर, बंजर, बीहड़, परती पड़ी हुई है और करोड़ों-करोड़ों लोग गाड़ियों, ट्रेनों में बैठकर पंजाब, हरियाणा जाते हैं, मजदूरी के लिए। उनके हाथों में परिवारों को कमाने के लिए, एक धुर भी जमीन नहीं है।

जमींदारी के बाद कब्जे के आधार पर जमीन लेने का अधिकार बना दिया। नतीजा क्या हुआ? जिन काश्तकारों के कब्जे थे उनकी जमीन पर पूंजीवादी धनी किसान लोगों ने कब्जे कर लिये और चूंकि कब्जे के आधार पर जमीन लेने का अधिकार बना दिया, इसलिए किसानों के हाथों से जमीन बराबर निकलती रही और कब्जा कौन करेगा, जिसके हाथों में

[श्री मित्रसेन]

ताकत होगी ? तो ताकत वालों के लिए कानून बनाया । चोरी कोई करे, माल किसी के पास निकले और उस पर मुकदमा किसी के ऊपर दर्ज हो, लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया ? जिन्होंने भूमि चोरी की उनके हित में कानून बनाया । जिन लोगों ने किसानों की जमीनें ले ली उनको चोर नहीं घोषित किया । इसलिए इस प्रदेश की सरकार का चरित्र ही यह रहा है कि काश्तकारों की जमीन हटती रही और ये उनको संरक्षण देते रहे । इस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने छोटे किसानों को किसी भी मंजिल पर, कहीं भी कोई जरिया ऐसा नहीं छोड़ा जिससे उनका हित हो सके । बड़े किसान छोटे किसानों की जमीनें अपने हाथों में ले लेते रहे हैं । आज प्रदेश के कोने-कोने में, गांव-गांव में भूमि आवंटन की समस्या को लेकर बड़ी तनाव की स्थिति है । इनकी सरकार में बैठने वाले तहसीलदार, अमीन और अधिकारी, इन लोगों ने गांव की जमीन चोरी की है । मेरे पास प्रमाण हैं, आंकड़ हैं, पत्र हैं कि किसने कितनी जमीन की चोरी की है । इन्होंने कानून बना दिया कि सन् 52 से लेकर आज तक जिन ग्राम समाज जमीनों पर जिनका कब्जा होगा वह खारिज किया जायेगा लेकिन उसके साथ ही यह भी कानून बना दिया गया कि जिसके पास पांच साल का पट्टा है वह खारिज नहीं किया जायेगा ।

अब जो होशियार लोग हैं और जिनके पास सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन है और जिन्होंने इस तरीके के कारनामे किये हैं उन लोगों ने सबसे पहले पट्टे बनवा लिए । अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि जब तक आप भूमि व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, उसको अपने अधिकार में नहीं लेंगे और जब तक किसी मानक के आधार पर खेती करने वाले किसानों को जमीनें वितरित नहीं करते, तब तक भूमि व्यवस्था में जो असामान्य वितरण है वह बना रहेगा और अब स्थिति यह आ गई है कि राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं वह इस आशा में बैठे रहते हैं कि जब बजट आयेगा और जब बाढ़ आयेगी और जो राहत के लिए पैसा आयेगा उस पर गिद्ध दृष्टि सरकार में रहने वाले कर्मचारियों की रहती है कि वे जल्दी से आधा पैसा जनता में बाटे और आधा अपने घर ले जायें ।

हमारे क्षेत्र में तहसीलदार ने लाखों रुपयों की चोरी की, कानूनगो ने दो लाख रु0 की कोठी बना ली और बनाई कहां से उसको, उसने चोरी कीं और अनाज वगैरह जनता में बांटने के लिए गया था उसको उसने चोरी किया और जब बाद में मामला प्रकाश में आया, एक मंत्री जी ने उसको देखा भी लेकिन सरकारी कर्मचारियों को बख्सा गया जिनके हाथ में भूमि थी वे अब भी बख्शे जा रहे हैं । जो उनके प्रतिनिधि हैं वह उनको संरक्षण देना चाहते हैं और किसानों को जिन्होंने हरिजनों की जमीनें ले लीं, उनको भी सरकार के लोग संरक्षण देते हैं । आज गांवों में चकबन्दी व्यवस्था के बारे में बड़ा असन्तोष है । गांव में बहुत सी जमीन परती रहती है उसका नतीजा यह होता है कि सामान्य जनता को उस रास्ते से जाने में रोक लगा दी जाती है ।

अगर वह उनकी बेगार न की, उनके कहने पर काम न करें, उनके कहने पर वोट न दे तो वह वहां रह नहीं सकता है । जितने भी चक रोड हैं और आम रास्ते हैं और जिन पर बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है जब कि कहा यह जाता है कि जो लोग हरिजनों की जमीन लेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जुर्माना लिया जायेगा लेकिन यदि मंत्री जी के पास कोई प्रमाण हो वह पेश कर दें कि कितने लोगों ने हरिजनों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा ले लिया । क्या ऐसे लोगों से जुर्माना लिया गया । किसी किस्म के एक भी आंकड़े यह प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं । हमारे क्षेत्र में लगातार जमीन आवंटन की कारगुजारी में एक घटना हुई जिसमें तीन लोग मारे गए । और बाढ़ के समय काम करने वाले को सिर्फ 4 आने मजदूरी मिली और भूमि आवंटन के समय उनको कोई भूमि नहीं बांटी गयी । कम मजदूरी के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर दिन-दहाड़े एक मर्डर कर दिया गया । इसका नतीजा यह हुआ कि भूमिहीनों को बाद में सरकार से

जमीन बंटी । इससे स्पष्ट हो गया, साफ हो गया कि जहां हरिजनों ने या भूमिहीनों ने लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली वहां या तो वे मारे गये या लड़ाई होने के बाद उनको जमीन बांटी गयी । यह एक जीता जागता सबूत है कि हरिजन जहां लड़े वहां लड़ने के बाद जमीनें बांटी गयी । सवाल का जवाब माननीय मंत्री जी दे चुके हैं । इस काण्ड के परिपेक्ष्य में शासन को देखना चाहिये और भूमिहीनों व हरिजनों की जमीन बांटी जानी चाहिये । अगर माननीयमंत्री जी जमीनों के विषय में कुछ करना चाहते हैं और कुछ क्रान्तिकारी सुधार लागू करना चाहते हैं तो सभी अस्त्र जो सरकार के फेल हो चुके हैं, कोई ऐसा रास्ता निकालें और उसे कानूनी रूप दें जो जनता के हित में हो, उनके लिये उपयोगी हो ।

आज इस सरकार की रीढ़ कृषि विभाग है । इससे उसको सबसे बड़ी आमदनी होती है । चाहे आवंटन का मामला हो या राहत देने का मामला हो प्रचार तो हमेशा किया गया कि सरकार भूमिहीनों व हरिजनों के लिये सब कुछ कर रही है जिससे उनको राहत मिल सके लेकिन मैं देख रहा हूं कि भूमिहीनों की हर तरह से प्रताड़ित किया गया और भूमिहीनों को जमीन पर कब्जा नहीं मिल सका ।

सरकार ने आवासीय भूमि के रूप में एक बिस्वा 13 धुर जमीन देने को तय किया है लेकिन उस पर भी मुकदमा कायम हो जाता है । अगर 1 बिस्वा 13 धुर जमीन के लिये कोई आदमी मुकदमा कर देता है तो भूमिहीन व हरिजनों को अदालत की शरण में जाना पड़ता है और दो-तीन साल तक उसे कचहरी में दौड़ना पड़ता है । इससे तो वह सोचता है कि इतने रुपये में वह उतनी जमीन खरीद ही लेता तो अच्छा रहता । इस तरह से जमीन आवंटन का जो ड्रामा है उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है । दुख है कि हमारा राजस्व विभाग अभी तक भूमि व्यवस्था के लिये कोई भी ऐसा कारनामा नहीं पेश कर सका है जिसकी बिना पर कह सके कि हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे भूमिहीन किसान हैं वे लाभान्वित हुए हैं या उनके हितों की रक्षा हुई है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप राजस्व विभाग के मंत्री हैं और आपके इस महत्वपूर्ण विभाग में होते हुए, भूमि व्यवस्था के बारे में कुछ किया जा सके तो उससे प्रदेश की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को लाभ हो सकता है । लेकिन जिन लोगों की मंशा इसको करने की भी है, उसे कामयाबी नहीं होने वाली है क्योंकि किस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उनकी पकड़ आपके ऊपर है, इसलिये आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इस प्रदेश की जनता को आपसे जो आशायें बंधी थी वे अब निराशा में बदल गयी हैं ।

अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस प्रदेश की भूमि व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी सुधार हो सकता है जिसकी कुछ आशा है तो मेरे ख्याल से उसका एक मात्र रास्ता यही रह गया है कि प्रदेश की सारी कृषि भूमि को सरकार अपने हाथ में ले ले और एक मानक बना दे कि किस किस्म के किसान को कितनी भूमि मिल सकती है । सरकार के माध्यम से आवंटन होने पर प्रदेश की बहुत बड़ी जनता जो बेकार है, भूमिहीन है, उसे काम मिल सकेगा, उसके पेट को रोजी मिलेगा और उनके परिवार को पाला पोसा जा सकता है । अगर ऐसा कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठा सकते हैं तो आप इस प्रदेश के भूमिहीन कृषक, छोटे किसान, के आन्दोलन को नहीं रोक सकते और यह ज्यों-ज्यों तेज होगा त्यों-त्यों आपको इस समस्या पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा । आप राष्ट्रीय आन्दोलन के समय भी जमींदारी विनाश के बहुत पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के मध्य जिलों के किसानों ने आन्दोलन को तेज किया और तेलंगाना आन्दोलन आपके सामने सबूत बना तो गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया और उस पर उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा । ऐसा ही रास्ता अपनाने के लिए आज इस प्रदेश के किसान को आप मजबूर कर रहे हैं ।

[श्री मित्र सेन]

जब तक इस प्रदेश की जनता इस बात के लिये तैयार नहीं होती कि हमें घोर संघर्ष करके हमारा अधिकार मिलेगा तब तक इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगेगी। इसलिए इस प्रदेश के भूमिहीन छोटे किसान को इस बात के लिए नया रास्ता ढूंढ़ना पड़ रहा है कि वह आन्दोलन की तरफ बढ़े और इस प्रदेश की जो भूमि व्यवस्था है उसके खिलाफ बगावत करें और आपको इस व्यवस्था के खिलाफ चुनौती भरे ढंग से मैदान में ले आये तब आप सोचने के लिये तैयार होंगे।

इस प्रदेश के किसान, छोटा किसान, भूमिहीन हरिजन, सब भूमि के भूखे हैं और इनकी भूख आज तक नहीं पूरी की जा सकी। हमारे तमाम सुधार, भूमि सुधार, फेल हुये हैं। आपकी भूमि व्यवस्था जब खतरे में पड़ गयी है इस नतीजे पर जब आप पहुंच जायेंगे तब आप को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

श्रीमन्, इस समय गांव की स्थिति क्या है? देखा यह जाता है कि गांवों में बहुत से झगड़े होते हैं। इन्होंने कहा था कि चकबन्दी लागू करने के बाद मुकदमे में कमी हो जायगी और भूमि व्यवस्था में सुधार होगा, किसानों को अदालत में नहीं जाना पड़ेगा। अब देखा यह जाता है कि भूमि के मामले लेकर मुकदमे बढ़ रहे हैं, गांवों में रास्ते बन्द हो गये हैं गांवों में नालियां बन्द हो गई हैं। आज तक गांवों में हमारे राजस्व विभाग ने किसी किस्म का कोई बन्दोबस्त किया ही नहीं। गांवों में कोई बन्दोबस्त हो जाय जिससे गांवों के छोटे लोगों को मुकदमे का मौका मिले इस सम्बन्ध में सरकार को कोई चिन्ता नहीं। चकबन्दी की जमीन जो सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, गांवों में आवासीय व्यवस्था के लिए कुछ जमीन आप छोड़ रहे हैं, अब आप छोड़ते हैं तो दो साल में उस भूमि पर मकान बन जाता है। फिर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, मकान की आवश्यकता होगी। इसका कोई रास्ता है आपके पास कि चकबन्दी में निकाली गई जमीन पर आवासीय व्यवस्था हो जाने के बाद अगर भूमि की जरुरत पड़ेगी तो क्या व्यवस्था होगी।

हमारे प्रदेश सरकार के विभिन्न विभाग भूमि पर अपना निर्माण करते हैं चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो चाहे विद्युत विभाग हो या दूसरे विभाग हों। ऊसर जमीन है उस पर निर्माण नहीं करेंगे। जो किसान की उपजाऊ भूमि है ज्यादातर उस पर निर्माण किया जाता है। लगातार प्रयास होते रहे, इसका विरोध होता रहा आज तक इस तरफ हमारे राजस्व विभाग का ध्यान ही नहीं गया।

कृषि योग्य भूमि को, उपजाऊ भूमि को कम से कम अध्याप्ति किया जाय, कम से कम उसमें निर्माण हो सके, इस प्रकार की बात सोची ही नहीं गयी। गांव में जमीन ऐसी है जो जंगलात के शक्ल में, ऊसर के शक्ल में है उस पर निर्माण नहीं होता। किसान की उपजाऊ भूमि पर निर्माण किया जाता है। दूसरी तरफ गांवों में जो जमीन जंगलात की शक्ल में थी, जंगलात को दे दी गई है। गांव के लोग उसमें जानवर नहीं छोड़ सकते हैं, वह भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। गांव की भूमि है, जंगलात को दी गई है। कृषि योग्य है उस भूमि को निकालकर राजस्व विभाग को भूमिहीनों में आवंटित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप भूमि व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो प्रदेश के अन्दर जितनी ऊसर, बंजर और पड़ती की भूमि है उसको सुधारकर उसको भूमिहीनों में आवंटित करना चाहिए। इस तरह से प्रदेश के अन्दर भूमि व्यवस्था के बारे में जितना असन्तोष है जिसका कि ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने भूमिहीनों को कब्जा दिला दिया है और जो कब्जा करते हैं उनके लिये पाबन्दी का कानून बना दिया है, यह महज एक आंकड़ों का जाल है, फर्जी प्रचार है जिसका आज तक हल नहीं निकल पाया है और किसी को जमीन नहीं मिली है। इसलिये भूमि व्यवस्था के बारे में जो माननीय मंत्री जी अनुदान मांग रहे हैं, यह अनुदान नहीं देना चाहिए। जिनकी सारी योजनायें फेल हो चुकी हों, जो कि हमारे प्रदेश के किसानों के हित में न होकर पूंजीपतियों के हित में हों, ऐसे अनुदान को हम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, हमारी सरकार कई बार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि प्रदेश के अन्दर बाढ़ और सूखे की स्थिति के समय बड़े-बड़े राहत के कार्य किये जायेंगे। इस दिशा में यह देखा गया है कि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां छूट का ऐलान किया गया कि लगान में छूट देंगे और जहां इससे कम नुकसान हुआ है वहां वसूली को मुल्तवी करके किस्तों में लगान को वसूल करने का वायदा किया गया है और उसके लिये राजाज्ञायें जारी की गईं। मान्यवर, पिछले वर्ष बाढ़ और सूखे के समय में प्रदेश के बहुत से जनपद प्रभावित हुए हैं और 50 प्रतिशत से ज्यादा कई जगहों पर नुकसान हुआ है और उसके लिये जो इन्होंने एलान किया था कि हम लगान की छूट देंगे लेकिन उसकी वसूली बराबर उसी आधार पर की जा रही है और यहां तक कि वारेन्ट और गिरफ्तारियां हो रही हैं लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी इस दिशा में कोई प्रभावी कार्य नहीं कर सके हैं। वसूली करने की जो आपकी राजाज्ञा थी कि उसे किस्तों में वसूल किया जाय, उसको इकट्ठा वसूल किया जा रहा है। इस तरह से न तो किसानों को छूट मिल रही है और न ही आपकी राजाज्ञा पर अमल हो रहा है। इस तरह से जो घोषणायें हुई हैं वे सब निरर्थक हो रही हैं, उनका मूल्य नहीं रह गया है।

किसानों को बाढ़ के समय जो सहायतायें दी जाती हैं उन पर भारी घोटाला किया जाता है, उसके लिये उनके पास कोई पकड़ नहीं है। कहा गया था कि बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिये कोई अलग एजेन्सी खोली जाय जिसके माध्यम से सही आवंटन हो सके, लोगों को अनुदान मिल सके किन्तु उसकी भी काई व्यवस्था नहीं हो पायी है। ऐसा लगता है कि जो राजस्व की मांगे हमारे सामने पेश कर दी गई हैं वह प्रदेश की जनता की भारी गाढ़ी कमाई इस सरकार के कर्मचारियों और उसको खर्च करने के लिये अनावश्यक रूप से दे रहे हैं।

हमने देखा कि राजस्व विभाग का जो स्टाफ है, लेखपाल जो है जिसकी जिम्मेदारी केवल पड़ताल करना, जिन्सों और रकबों को लिखना और कृषि से सम्बन्धित रिपोर्ट देना ही है, उसको मल्टी परपज बना दिया है और हर काम में उसको लगा दिया जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि जिस मकसद से वह लेखपाल होता है उस काम को वह नहीं कर पाता है। माननीय मंत्री जी जैसे खुद हैं, वैसे ही राजस्व परिषद् भी है। जिस मंथर गति से वे चलते हैं उसी गति से उनका विभाग भी चलता है और उनके विभाग के जितने कार्यालय हैं उनकी भी स्थिति वही है। चाहे तहसीलदार का कार्यालय हो या एस0 डी0 एम0 का मुख्यालय हो, चाहे उनकी आवासीय व्यवस्था हो या कार्यालय हों, वे सब पुराने जमाने की बिल्डिगों में ही है जो टपकती हैं और जिनमें बैठने की जगह नहीं है जो जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आखिर इतना काम बढ़ गया है, तहसीलों में, बहुत ज्यादा काम हो गया है उनको नये ढंग से बनाने की जरुरत है लेकिन आज तक उसकी तरफ कुछ नहीं किया गया। ऐसा देखने में आया है कि राजस्व विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निर्माण पर विचार नहीं कर रहा है। तहसीलों में जो लगान वगैरह के डिफाल्टर आते हैं उनको उन्हीं पुरानी काल कोठरियों में बन्द किया जाता है जिनमें न पीने के लिये पानी है, न पेशाब के लिये जगह है और न ओढ़ने के लिये कोई व्यवस्था है और उनके ऊपर जो खर्चा होता है वह मुश्किल से 30 पैसे या तीन आने हैं। तो इतने कम पैसे में कैसे खाना हो सकता है इसके बारे में सरकार ने कभी नहीं सोचा। एक तो लगान न देने के कारण दुखी आदमी गिरफ्तार होकर आता है तो उसको खाने तक को नहीं दिया जाता है और उसके बैठने तक का इंतजाम नहीं किया जाता है। तो वह पुराना अमानुषिक व्यवहार अभी भी बना हुआ है। तो इनकी वही निष्क्रिय गति बनी हुई है।

यह विभाग जो प्रदेश को सबसे बड़ी आमदनी देता है जो प्रदेश की रीढ़ है वह विभाग अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। यही स्थिति आबादी को दर्ज करने की है।

[श्री मित्रसेन]

आपके निर्देश है कि कहीं भी किसी खाते में आबादी है उस खसरा में आबादी दर्ज की जाय । आप रिपोर्ट मंगा कर देख लें, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आबादी दर्ज की गयी हो । चाहे आपके परगना अधिकारी हों, चाहे तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो दौरे पर जाते हैं वे इस बात को ध्यान में नहीं रखते हैं । आज आबादी को लेकर जगह-जगह झगड़े हो रहे हैं, गांवों में विषमतायें और कटुता बढ़ रही हैं ।

छोटे-छोटे मामलों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जो अधिकार उनको दूर करने के मिले हुए हैं, उनकी तरफ वह ध्यान नहीं देते हैं । चाहे वह गांवों में रास्तों का सवाल हो, या चक्स का सवाल हो, या भूमि आवंटन का सवाल हो, या आबादी दर्ज करने का सवाल हो उनमें कुछ नहीं किया जा रहा है । इसका नतीजा क्या हो रहा है कि प्रदेश की जनता की मूलभूत समस्यायें हल नहीं हो रही हैं चाहे वह रास्ते का मामला हो, चाहे आबादी दर्ज करने का मामला हो, चाहे भूमि आवंटन का सवाल हो सब जगह उदासीनता पैदा हो गयी है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भूमि व्यवस्था के बारे में नये सिरे से सोचें और इस व्यवस्था में सुधार करें और जो उदासीनता का वातावरण इस समय है इससे भूमिहीन किसानों का लाभ नहीं हो सकता है । नये कानून में सारे प्रदेश की भूमि को अपने हाथ में सरकार ले और उसमें क्रांतिकारी सुधार लाये और नये मानक निर्धारित करके भूमिहीनों को भूमि बांटी जाय और जिनके खातों में जो जमीन हैं उन छोटे किसानों को नये कानून में संरक्षण दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय यादव जी आप कितना समय और लेंगे, 50 मिनट हो गये हैं ।

श्री मित्रसेन--

दो मिनट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपने जड़ से काट लिया और कितना समय लेंगे ।

श्री मित्रसेन--

श्रीमन्, मैं दो मिनट और लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

और भी तो देहात के लोग हैं और आज ही इसका दिन है ।

श्री मित्रसेन--

वह तो है ही । मैंने तो मंत्री जी के समय में अपनी बात कही है । इस तरीके से भूमि व्यवस्था के बारे में प्रदेश और प्रदेश की सरकार नये सिरे से सोचें जो कुछ हमारे सुझाव हैं । कई आंकड़ों के साथ हमने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि भूमि व्यवस्था हमारी बहुत ही शिथिल और असफल रही है और लागू भूमि सुधारों को हम कार्यान्वित नहीं कर सके हैं । इसके साथ मैं अपने सुझावों के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और राजस्व मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि वह अपने रहते हुए इसमें कोई क्रान्तिकारी सुधार की घोषणा करें । जो बाद में सरकार की अब तक की रिकार्ड चुनौती हो और वह उसको लागू करें, जिससे प्रदेश के जो छोटे किसान हैं उनको धन्यवाद दे सकें और प्रदेश का भला हो सके । मुझे आशा है कि वह ऐसा विचार और चिन्तन करके छोटे किसान को संरक्षण प्रदान करेंगे और उनको नये सिरे से आबाद करने की कृपा करेंगे ।

*श्रीमती महारानी दोहरे––

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने माननीय राजस्व मंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं अपने दिल से उसका समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। मैंने इतनी देर से कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा सुनी, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। एक राजा की कहानी का मैं यहां पर उदाहरण देना चाहती हूं, एक राजा था, कहानी का एन्ड यह है कि चिड़िया आई और उड़ गई। इसमें भी ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। दूसरे मैं यह कहना चाहूंगी कि इतनी देर की चर्चा में केवल दो ही शब्द मैंने अपने कानों से सुने––हरिजन और भूमि आवंटन। इसके लिये मैं यह कहना चाहूंगी कि माननीय यादव साहब के हृदय में हरिजनों और भूमि आवंटन के प्रति इतनी ही लगन थी तो इस बजट पर कटौती करके जो एक रुपया रखा गया है, तो उस एक रुपये से वह यह सब कैसे कर सकेंगे। तभी एक सवाल और आया–विरोध होना चाहिये, अच्छी चीज है, लेकिन वह चिन्तनशील और सशक्त होना चाहिये और तथ्यों के साथ होना चाहिये।

माननीय यादव जी ने आंकड़ों की बड़ी बात कही, मैंने सोचा, कि उनको सुनूं और वह उस समाज के बारे में होंगे, जिनकी चर्चा वह बराबर किया करते हैं, लेकिन सदन के बाहर उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क मैं देखती हूं। उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिये। दूसरी बात यह कही गई कि जिस समय राजस्व मंत्री जी साढ़पुर गांव गये थे, तो जनता ने उनको वहां घुसने नहीं दिया। मेरा सौभाग्य था कि मैं भी उस दिन वहां जाने के लिये शिकोहाबाद पहुंच गई थी। यह कारण नहीं था। मैं कहना चाहती हूं कि हरिजन होने के नाते वह मंत्री उन हरिजनों की बातें और हमारी बातें अच्छी तरह से सुन सकते हैं। इसलिये यह कह देना कि हरिजनों ने मंत्री जी को इसलिये नहीं घुसने दिया कि वह हरिजन थे असलियत नहीं थी। असलियत यह थी कि वहां पर जो अराजक तत्व जनसंघ के थे, उन्होंने पहले से प्रोग्राम बनाकर यह किया था कि यहां पर चाहे हरिजन एम0 एल0 ए0 या मंत्री आए तो उसके साथ यह साजिश की जाए। माननीय मन्त्री जी के साथ उन्होंने साजिश की और मेरे साथ भी साजिश करने की कोशिश की गयी थी। जब मैं शिकोहाबाद पहुंची तो मुझे भी रोका गया और मैंने वहां पर उनको करारा जवाब दिया कि मैं सदन में इसलिये चुनकर भेजी गयी हूं कि जो और जहां भी हरिजनों पर अत्याचार हो, उनके प्रति मैं सदन में अपनी आवाज रखें। (व्यवधान)

राजस्व की मांगों के सम्बन्ध में अपना कटौती का प्रस्ताव रखते हुए साढ़पुर की बात कही और इस प्रकार की बात कह कर उन्होंने, विरोधी भाइयों ने सदन को गुमराह करने की चेष्टा की। कहा जाता है कि यह सरकार पूंजीवादी परम्पराओं पर काम कर रही है और यह सरकार अपने काम में फेल हुई है। यहां पर कहा गया कि चूंकि हरिजनों को रोजगार नहीं दिया जाता है इसलिये वे हरियाणा और पंजाब पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि वे इसलिये वहां पर नहीं पहुंचते कि सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाती बल्कि परिवार नियोजन का जो जोरदार हंगामा खड़ा किया, वह रोका नहीं गया है।

आज हमारे प्रदेश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसके लिये हर मां-बाप को सोचना पड़ेगा कि अगर यही स्थिति रही तो कैसे हम अपने बच्चों को रोजगार दे सकेंगे। मैं तो कहती हूं कि सदन को और जनता को गुमराह करने से प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती है। सरकार की जिम्मेदारी के साथ आपकी भी जिम्मेदारी है नहीं तो जितने बहुमत से जीतकर हम आये हैं, उतने लोगों को जनता आपके पक्ष में भी भेज सकती थी। आपको जनता ने इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती महारानी दोहरे]

भेजा है कि आप सदन में इस बात की वकालत करें कि जो आंकड़े राजस्व विभाग के हों उनके खिलाफ आवाज उठायें और अपने आंकड़े रखें ?

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे कुछ और समय बोलने का दे दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप को समय तो दे दूंगा, लेकिन आप विषय पर ही बोलें ।

श्रीमती महारानी दोहरे--

मान्यवर, जिस समय राजस्व विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखा जा रहा था उस समय उनकी बातों को नोट कर रही थी । चूंकि उनकी ओर से यह बात कही गयी थी इसलिये मैंने उसका जवाब दिया है ।

दूसरी बात भूमि आवंटन की कही गयी थी कि हरिजनों को भूमि नहीं दी जा रही है, यह बात भी बिल्कुल गलत है लेकिन यह सच्चाई है कि कहीं-कहीं पर ताकतवर लोगों की वजह से गरीबों को जो भूमि मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली है । मेरा निवेदन है कि ऐसे केसेज को उनकी ओर से माननीय मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, सरकार और जिलाधिकारियों और तहसीलों के समक्ष पेश किया जाना चाहिये और सदन में आंकड़े पेश किये जाते कि इतने लोगों को हरिजनों की, भूमि पर पट्टाशिप का कब्जा दिलाया । हमारी सरकार ने तो बड़ी मुस्तैदी से कहा है कि जहां पर कब्जा नहीं हो रहा है, उनको दिलाया जायगा लेकिन आपके दल के लोगों और ऐसे लोगों का उसमें हाथ है जो प्रदेश की तरक्की नहीं चाहते हैं ।

यह भी कहा गया कि चूंकि लगान लगा दिया गया है इसलिये चकबन्दी नहीं होनी चाहिये । मैं तो कहती हूं कि चकबन्दी होनी चाहिये और उससे रकबा निकाल कर चक अलग-अलग करके और जिस भूमि को जबरदस्त लोगों ने कब्जा कर लिया है उनसे लेकर रास्ता निकाला जाय और शेष भूमि को गरीबों में बांटा जाय । यह हमारे किसानों की भी मांग है कि चकबन्दी अवश्य होनी चाहिये ।

यह सच है कि हमारे मन्त्री जी और सरकार की पूरी नीयत है और श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें भी स्पष्ट है कि 3 से 6 महीनों के अन्दर ऐसे लोगों को जो अनधिकृत कब्जा किये हैं, उनको सजा मिलनी चाहिये लेकिन इस कार्य को अच्छी तरह से करने की जिम्मेदारी अपोजीशन के माननीय सदस्यों की भी है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के केसेज को बतायें ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, माननीय मित्र सेन जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय राजस्व मंत्री जी हर साल बजट पास कराते हैं और रुपया खर्च करते हैं लेकिन उसका कोई परिणाम देखने में नहीं आया । उदाहरण के लिये भूमि आवंटन के कार्य को ही लिया जाये । श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार की दुहाई देने वाली उत्तर प्रदेश की यह सरकार हरिजनों की बड़ी हिमायती अपने को बताती है और कहती है कि हरिजनों का भला चाहने वाला उनसे ज्यादा कोई और नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में एक भी हरिजन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको मकान बनाने के लिये या खेती करने के लिये भूमि मिली हो । इस काम में 10 प्रतिशत भी सरकार सफल नहीं हुई है । मेरे जनपद में जो भूमि दी भी गयी वह या तो नदी में दे दी गयी है या ऐसी जगह दे दी गयी है जो कृषि योग्य नहीं है ।

कितने ही हरिजन परिवार तो ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि उनको जमीन कहां पर दी गयी है । कई बार हरिजन लोग मेरे साथ डेपुटेशन लेकर जिलाधीश के पास

गये और यह मांग की कि उनको यह बता दिया जाये कि जमीन कहां पर एलाट की गयी है, पर कोई सुनवायी नहीं हुई। ऐसे ऐसे हरिजन हमारे यहां मिलेंगे जो जमीन का लगान भी देते हैं, सिंचाई का कर भी देते हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि उनकी जमीन है कहां पर। आबादी की भूमि भी बांट तो दी गयी, रेडियो और अखबारों के माध्यम से उसकी घोषणा भी करा दी गयी, लेकिन कब्जा अभी तक नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात की जानकारी दे कि उसने कितने ऐसे लोगों से जो नाजायज कब्जा किये बैठे थे, उनके अधिकार से जमीन लेकर हरिजनों को दी जिनके नाम वह आवंटित की गयी थी।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में जीविका का एकमात्र साधन कृषि ही है और कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये सरकार उस पर कितना ध्यान देती है यह देखने की बात है। आज हमारे प्रदेश कितनी ही भूमि ऐसे पड़ी है जो खेती योग्य नहीं है, उसको खेती योग्य बनाया जा सकता है। मगर सरकार उस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को उस भूमि को खेती योग्य बनाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये था। आज कितनी ही भूमि हमारे प्रदेश में ऐसी पड़ी है जिसे विकसित करके खेती योग्य बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार उसके लिये सक्षम नहीं है एक तहसील में मुख्य अधिकारी तहसीलदार ही होता जो यह सब काम कर सकता है, पर उसको तो मंत्री लोगों की अगवानी करने, उनके लिये चाय, नास्ता, खाने पीने का ही इन्तजाम करने से फुरसत नहीं मिलती उसी में उसका सारा समय बरबाद होता है मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि आज इन मंत्रियों को जिलों में जाने से रोकें। अगर वहां के अधिकारी इन मंत्रियों के सत्कार और अगवानी वगैरह में लगे रहेंगे, तो वे अन्य कोई काम किसानों की भलाई के तथा प्रदेश की प्रगति के नहीं कर सकेंगे। मान्यवर, सीमेंट के बांटने का काम भी इन्होंने तहसीलों में दे रखा है।

(व्यवधान)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, ये राजस्व के बजट पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और माननीय राजमंगल पाण्डेय जी और रियासत हुसैन साहब बात कर रहे हैं जो यहां तक सुनाई पड़ रही है। मान्यवर, इस में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी, आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, लेकिन हमारे पास तक नहीं पहुंच रही है। लगता है, साउण्ड सिस्टम इम्पूर्व कर गया।

श्री राम गोविन्द—

मान्यवर, जिनको सीमेंट की आवश्यकता है, उनके प्रार्थना-पत्र साल-साल, दो-दो साल से लगे हुए हैं और उनको सीमेंट नहीं मिल रही है लेकिन जो वहां के नायब तहसीलदार, और तहसीलदार को घूस देने का काम करता है, उनको सीमेंट तुरन्त मिल जाती है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सीमेंट का काम वहां पर उनको न दिया जाय। सीमेंट का काम उनको दे देने के कारण, किसानों को जो सहायता का काम है, वह काम गौड़ हो गया है। मान्यवर, अब तो तमाम लूट-घसोट का काम जो है, वह तहसीलों में कर दिया गया है। तीन-तीन ए0 डी0 एम0 वगैरह की पोस्ट इन्होंने बना दिया है, जिससे वे लोग केवल अपना दफ्तर वहां पर बना कर बैठ गये हैं। लेकिन उनको जनता के काम से कोई मतलब ही नहीं है। इसलये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मांग करता हूं

[श्री राम गोविन्द]

कि यह जो इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के पद के लिये खर्च करने के लिये मांगा है, यदि यह पैसा उनके रहन-सहन पर खर्च होता है, तो उस पैसे का उपयोग यही है कि वे जनता के हित में जनता की भलाई के लिये काम करें । चकबन्दी एक महत्वपूर्ण विभाग है । आप भी मान्यवर जानते होंगे, आप भी खेती करते हैं । माननीय सदन के अधिकांश सदस्य जो कि यहां पर बैठे हैं, वे भी खेती करते हैं और वे सब जानते हैं मान्यवर, कि चकबन्दी जो है, वह इस समय लूटबंदी हो गयी है । मान्यवर, खेती के जो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, चकबन्दी से वे एक जगह पर हो जायेंगे और उनकी सिंचाई की व्यवस्था ताकि ठीक से हो सके और खेती की देखभाल अच्छी तरह से हो सके, खेल के मैदान की व्यवस्था हो सके और गांवों में आने-जाने के लिये रास्ते की व्यवस्था भी हो सके ।

लेकिन मान्यवर, होता बिलकुल इसका उल्टा है । जहां पर चकबन्दी हुई है, गांव का हर एक व्यक्ति 10–10, 15–15, 20–20, मुकदमें लड़ने का काम कर रहा है और चकबन्दी इकाई का चपरासी से लेकर डी0 डी0 सी0 तक केवल चक काटने का काम करते हैं । जो घूस देने में असमर्थ होता है, उसको नदी और बालू में चक मिलता है और घूस देने वालों को अच्छे-अच्छे चक दिये जाते हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि आप इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते । मान्यवर, आप एक आयोग का गठन करा दें, जो कि इस बात को देखे कि जब से चकबन्दी हुई है, वह चकबन्दी कितनी प्रतिशत सही हुई है और कितने ऐसे लोग है जो चकबन्दी में घूस देने के कारण उजड़ गये हैं । कितने ऐसे लोग है जो चकबन्दी अधिकारियों की लापरवाही के कारण घूस न दे पाने के खेती की जमीन से खत्म हो गये और उनका घर उजड़ गया । आज कितने ऐसे लोग खाने के लिये तरस रहे हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चकबन्दी विभाग पर कड़ी नजर माननीय मंत्री जी रखे और चकबन्दी के अधिकारियों को निर्देश दें, कि जिस सुविधा के लिये चकबन्दी कानून लागू किया गया है अगर उसके अनुसार चकबन्दी अधिकारी या कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं वह घूस लेकर उस काम को सही तरीके से करने के बजाय गलत कर रहे हैं, उनको दण्ड देंगे और एक आयोग बैठाकर पुनः चकबन्दी का काम दुबारा कराया जाय ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिन गांवों में चकबन्दी हो गयी है और वहां पर सड़क और नहरें पुनः बनाई जा रही है, उसमें जिस काश्तकार की जमीन नहर या सड़क में जाती है, भले ही उसको प्रतिकर देते हो लेकिन उसकी खेती की जमीन चली जाती है इसलिये मैं मांग करता हूं कि चकबन्दी जहां हो गई है और सड़क या नहर बनाने का काम कर रहे हैं वहां पुनः चकबन्दी कराने का काम करें, ताकि एक किसान को घाटा न हो । उसकी खेती समाप्त न हो जाय । इन शब्दों के साथ मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राज कुमार राय––

मान्यवर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय राजस्व मंत्री जी ने 70 करोड़ रुपये का बजट अनुदान संख्या 40, 41, 42, 65 के जो मांगा है । इस प्रदेश की विशालता और यहां की समस्याओं को देखते हुये, जिस तरह की जरूरतें पड़ती है यह बहुत ज्यादा नहीं है । मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं । लेकिन माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । सबसे पहले और प्राथमिक रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि राजस्व संहिता में एक रूपता नहीं है । शुरू शुरू में जब इस देश को आजादी मिली, संविधान में लैण्ड रिफार्म के लिये बहुत कुछ कहा गया और इस प्रदेश में जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट लाया गया और मान्यवर, उसमें यह कहा गया कि टीलर आफ दि लैण्ड शैल बी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ओनर आफ दि लैण्ड की व्यवस्था कायम होगी और जो गरीब दलित और शोषितों के लिये कुछ कर सकेंगे। जो जमीन पर दिन भर काम करता है लेकिन पेट भर रोटी नहीं पाता है।

मान्यवर, टीलर आफ दि लैण्ड शैल बी ओवर आफ दि लैण्ड की जो व्यवस्था है उसमें जो गड़बड़ी है जो अंकुश न होना चाहिये वह राजस्व विभाग लागू नहीं कर पा रहा है। हमारे राजस्व मंत्री जी एक बहुत ही गम्भीर स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनसे जब हम सदन में कुछ कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उसके बारे में कुछ होगी। माननीय सदस्य जो चुनकर आते हैं उनके क्षेत्र की प्रदेश की कुछ समस्यायों को लेकर वह आते हैं। अभी तो यह हमारा लोगों का पूर्वार्द्ध है उत्तरार्द्ध बाकी है, लेकिन कुछ परिणाम नजर नहीं आया। चाहे प्रश्न के जरिये से या लिखित निवेदन के जरिये या ऐसे अवसरों पर जब आप निवेदन करने का अवसर दे देते हैं। लेकिन फिर भी मान्यवर, मैं बेहतरी के लिये कुछ कहना चाहता हूं। देवरे क्षेत्र में जहां नदियों के कटाव होते हैं, एरोबियन जिसमें टेन्योर देते हैं।

मान्यवर, जमीन चली गयी, जमीन गांव सभा की घोषित हो गई, 10, 20, 50 वर्ष हो गये, 32–34 साल तक तो यह सरकार रही है। उसने चाहे हमारे राइट्स को इग्नोर किया हो लेकिन हम इस शासन से उम्मीद करते हैं कि एक बार यदि एलूवियन जो जमीन घोषित की गयी हो तो उसकी 5–10 साल में जांच करायें कि ऐसा तो नहीं है या नदी की धारा वहां से बदल गयी हो और वहां मिट्टी पड़ गयी हो और खेती हो रही हो और वह एलूवियन डिलूवियन हो गयी हो, तो ऐसे पुराने किसानों को यदि उनका कब्जा हो तो पूर्ववत् स्वतः उनके नाम दर्ज कर देना चाहिये।

मान्यवर, दूसरी दिक्कत है कि यू0 पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट आदि सब हैं लेकिन यदि एकरूपता के लिये जो समिति श्री यशपाल सिंह के समय में डेढ़ साल पहले बनायी गयी थी कि एक कानून एक देश में हो पैमाइश के लिये, लैण्ड रेकार्ड स और आपरेशन के लिये जो नहीं हो पा रहा है इसलिये मैं मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कुछ जल्दी करना चाहिये और राजस्व मंत्री से एकरूपता के लिये समयबद्ध आश्वासन होना चाहिये कि कितने दिनों में सिफारिशें आ जायेंगीं और वह कानून का रूप ले लेंगीं।

मान्यवर, इसके अलावा और विडम्बनायें हैं जिन पर दो मत नहीं हैं। जब सारे सदस्यों ने फैसला किया है कि गरीब को जमीन देंगे और ऐसे लोगों से जमीनें लेंगे जिनके पास जरूरत से ज्यादा है जिसके लिये सीलिंग ऐक्ट लागू किया और जमीन लिया और श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा के समय में उसमें पैनेल क्लाज जोड़ दिया कि पेनाल्टी भी ली जायेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो जमीनें सीलिंग से बचीं वह गरीब को यदि पट्टे से दी गयीं तो उसको प्रापर टेन्योर नहीं दिया गया कि किस खाते में आयेंगीं। जब राजस्व मंत्री आदेश जारी करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं कि ऐसे सीरदारों और भूमिधरों को जो नदी में बहे, कटे और बेघर हो गये हैं। इसलिये टेन्योर कायम होने से नतीजा है कि जो समाज का गरीब व्यक्ति था उसको जमीन तो दिया लेकिन उसके राहत के लिये कुछ नहीं आ पाते हैं। आदेश जाता है तो राजस्व विभाग के अधिकारी, जो टेक्निकल हैं उनको वह सुविधा नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिये। इसलिये शासन की जो निर्धारित नीति है उसके खिलाफ इसका असर पड़ता है। इसलिये गरीब आदमी को राहत मिलना चाहिये।

मान्यवर, जो जमीन आबादी से छूटती है जिसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जर, जमीन और जोरू–यह तीनों झगड़ों के जड़ होते हैं और जिसमें से जमीन का मामला तो सृष्टि से ही झगड़े की जड़ है और अब तक जमीन झगड़े को जड़ बनी हुई है जबकि बीसवीं शताब्दी समाप्त होने को है। इसलिये हरिजन आबादी के लिये जब जमीन छोड़े तो किस

[श्री राजकुमार राय]

व्यक्ति को कितनी और कहां जमीन दी जानी है इसका निर्धारण कर देना चाहिये अन्यथा यहां बैठकर हम माननीय सदस्य कैसे सोच सकते हैं कि अनडिसाइडेड जमीन पर झगड़ा नहीं होगा। इसलिये अगर आप हरिजन आबादी या सामान्य आबादी के लिये छोड़ते हैं किसी गांव की आवश्यकता के अनुरूप तो यह बता दिया जाना चाहिये कि कहां किसकी भूमि होगी। हरिजन आबादी में देखा गया है कि जो हरिजन मजबूत है किसी बड़े आदमी का कृपा पात्र है या अधिकारी है वह हरिजन के नाम पर सारी जमीन पर घर बना लेता है और जिसके लिये जमीन छोड़ी गयी है उसको जमीन नहीं मिल पाती है। कानून में इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे मूक कानून के रहते हुये कैसे भला हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाय और इसका अलग अलग वर्गीकरण कर दें कि कहां किसकी है इससे जो बहुत बड़ा झगड़ा है वह झगड़ा कम हो जायगा, खत्म हो जायगा।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान दें। राजस्व विभाग का सबसे बड़ा महकमा चकबन्दी है। अब इसका नाम लेने में भय लगता है। 20, 25 साल का अनुभव है, बहुत से गांवों में पिलर्स नहीं हैं जिससे पैमाइश में दिक्कत होती है। पिलर्स की व्यवस्था न होने के कारण गाव के गांव बीघों खिसक जाते हैं और जमीनों का निपटारा नहीं हो पाता है। मैं प्रार्थना करुंगा कि स्टोन पिलर्स की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि पैमाइश में दिक्कत न हो। माननीय राजस्व मंत्री जी और मान्यवर, आपके भी नालेज में होगा कि बहुत सी विडंबनायें, अनियमिततायें, विषमतायें चकबन्दी विभाग में है। तो इसका एक ही नतीजा निकलता है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर रेगुलर केसेज का निपटारा नहीं हुआ है। जैसा कि राम गोविन्द चौधरी ने कहा, सड़कें, पुल आदि के लिये जमीन ले ली गयी है तो ऐसी जगहों पर रि-कंसालीडेशन करना चाहिये। जहां पर अनियमिततायें ज्यादा नजर आयें वहां पर चकबन्दी कराने में क्या दिक्कत है।

चकबन्दी में कौन से गांव लिये जांय, अगर आपकी अनुमति हो तो, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे जनपद आजमगढ़ में घोसी तहसील में मेरी जाति के गांव सरखोरा, रोशनपुर, रसूलपुर, यह गांव अंग्रेजों के बनाये बंधे के नीचे बसे हैं। घूरपुर, दाऊदपुर जो नदी से 5, 6 मील की दूरी पर हैं। जब दरख्वास्तें पड़ीं, तो चकबन्दी दफ्तर बढ़ा दिया गया। यह कहा गया कि चकबन्दी अब हो रही है तब हो रही है। जब राजस्व मंत्री यशपाल सिंह जी थे तो मैंने भी दर्ख्वास्त दिया, उन्होंने कहा कि चकबन्दी कर दी जाय। एन0 बी0 लाल ने भी आदेश दिया कि डी0 डी0 सी0 देख लें लेकिन चकबन्दी हुयी है कि नहीं हुयी? क्योंकि मैंने इसी सदन के अन्दर कहा था कि जिन दो गावों—दाऊदपुर और घूरपुर, जिनका घाघरा नदी से प्रभावित होना बताया गया है, अगर वे वास्तव में प्रभावित हों, तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता हूं। घूरपुर का नाम गलत छप गया और दाऊदपुर का नोटीफाई कर दिया गया। एक विधान सभा का सदस्य अगर 2 साल तक लगातार जायज बात के लिये कहे तो राजस्व विभाग के एक कर्मचारी ने अगर लिख दिया कि नदी से प्रभावित है, तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। जबकि वास्तविकता यह है कि उस गांव में नदी से कोई वास्ता नहीं है।

कह दिया गया कि नदी से प्रभावित गांव है। यही नहीं, विधान सभा प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया। ऐसी चीजों में पहले कोई बड़ा अधिकारी जांच कर ले, अगर चकबन्दी होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो उसका कारण होना चाहिये। अगर कारण बताने में किसी ने गलती की हो, तो ऐसे अधिकारी को निश्चित रूप से दण्डित किया जाना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता था कि ऐसे गांवों में ऐसा कोई उच्च स्तर का अधिकारी रखा जाय कि क्या चकबन्दी होने लायक है? अगर होने लायक है तो हो जाय। लेकिन

यह कि फलां गांव नदी से प्रभावित है या और कोई इस तरह की बात है, तो यह नहीं होना चाहिये। मैं उस गांव में गया मैंने हल चलाया, तो मैं जानता हूं। वहां पर पिछले 100 साल से कभी बाढ़ नहीं आयी। लेकिन सारे विधान सभा के सदस्य ऐसा नहीं कर सकते।

इसीलिये मैं कह रहा था कि एक बड़ा अधिकारी होना चाहिये और सारे मामले की जांच करा लेनी चाहिये। उदाहरण के रूप से पनिश कर दिया जाय कि फलां आदमी ने फलां रिपोर्ट दी, जैसा इस्लामिक कण्ट्रीज में होता है। हम लोग विधान सभा के सदस्य हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते। चकबन्दी विभाग में ऐसे छोटे कर्मचारी अगर कुछ कह देते हैं, तो उनका फैसला हो जाता है। विधान सभा का सदस्य और संसद सदस्य या आप जैसे बड़े स्तर के लोग अगर कुछ कहते रहें तो कोई सुनने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं और मा0 राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री रामधनी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

जैसा मैंने देखा है कि राजस्व मंत्री जी ने जो यह बजट रखा है, वह पूंजीवादी व्यवस्था का बजट है। इस बजट में बड़े-बड़े लोगों का, बड़े-बड़े जमींदारों का और बड़े-बड़े अधिकारियों का ही कल्याण हो सकता है, छोटे-छोटे किसानों का छोटे-छोटे लोगों का, गरीबों का और सर्वहारा लोगों का इससे कतई कल्याण, होने वाला नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस बजट का घोर विरोध करता हूं और साथ ही साथ माननीय यादव जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने देखा है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में दो तरह की नीतियां हुआ करती हैं। एक नीति तो बड़े लोगों के लिये होती है और दूसरी नीति छोटे लोगों के लिये होती है। मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि इसी प्रदेश में जो बड़े-बड़े काश्तकार हैं, बड़े-बड़े जमींदार हैं,जो बड़ी-बड़ी संभावनाओं के लोग हैं, प्रति एकड़ उनकी लगान बहुत कम है और छोटे-छोटे किसानों की लगान प्रति एकड़ बहुत ज्यादा है। इसी प्रदेश में जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनकी लगान उनके अपेक्षा डेढ़ गुना और दुगनी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि माननीय राजस्व मंत्री जी एक समान, एक निगाह से प्रति एकड़ लगान रखने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस देश में स्वर्गीय डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो स्वप्न देखा था, उन्होंने कहा था कि जो देश के छोटे काश्तकार हैं उनकी लगान माफ होनी चाहिये। लेकिन आज 33–34 वर्षों के बाद भी उनका यह स्वप्न अधूरा ही रह गया। कांग्रेस के लोग बहुत दुहाई देते हैं कि हम समाज वादी रास्ते पर चल रहे हैं और आप समाजवादी नीतियों की बात करते हैं तो फिर आप छोटे-छोटे किसानों की लगान क्यों नहीं माफ करते ? आपको उनकी लगान माफ कर देनी चाहिये। चाहे वे एक एकड़ के काश्तकार हों और चाहे 4 एकड़ के काश्तकार हों, उनको सबसीडी के रूप में आपको मदद देनी चाहिये। जैसे उनको बीज देने की बात है, खाद देने की बात है, उनके लिये उसके दाम उनसे नहीं लेने चाहिये बल्कि ये चीजें उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करानी चाहिये।

हरिजनों की बात इस सदन में बहुत आती है। हरिजनों का कल्याण केवल शाब्दिक ढंग से कह देने से नहीं होता है बल्कि कुछ उनकी मदद करने से उनकी सहायता होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामधनी]

भूमि के आवंटन की बात बहुत आती है, मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि गांवों में आज तक वह जमीन बची है जो कि पैदावार नहीं दे सकती है या जो कि खराब है, उन्हीं का आवंटन होने जा रहा है। वह भी माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह आवंटन जो हुआ है वह केवल दिखावे के लिये हुआ है। अखबारों में, रेडियो पर, कागजों में खाली उसका जिक्र है। सभी रूप में आवंटन जब माना जायेगा जब कि उस जमीन पर गरीबों का, भूमिहीनों का काश्तकार का कब्जा हो जाय। बहुत सी जमीन तो ऐसी है जिसमें खती होती है। लेकिन उसे कागज में बाग के रूप में, पोखरी के रूप में, ताल के रूप में, जंगल के नाम से, सिंचाई की असुविधा दिखला कर टाल दिया है और उस जमीन पर आज भी खेती होती है और उनका आवंटन नहीं हो पाया है। उस भूमि का आवंटन नहीं हो रहा है परन्तु उस धरती पर खेती बराबर हो रही है। उसकी पूरी जांच करा कर आप देखें कि यदि वहां खेती न निकले। उस जमीन का आवंटन होना चाहिये और उसको खेती के रूप में कागजों में परिवर्तित करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सुझाव देना चाहता हूं। आवंटन में मैंने देखा है कि जो वास्तविक पात्र हैं जिनको जमीन मिलनी चाहिये, उनको नहीं दी जाती है चाहे राजनीतिक प्रेसर से या किसी और दबाव से, पैसे के बल पर और आवंटन उन लोगों को होता है जो राजनीतिक असर में होते हैं, पैसे के लेन-देन मे होते हैं।

चकबन्दी की बात है, पहले हुई थी लेकिन उसमें बहुत सी गल्तियां हैं। चकबन्दी इसलिये करायी गयी थी कि जो दूर-दूर के खेत हैं इकट्ठे हो जायें, लेकिन चाहे लालच में पड़ कर, दबाव में पड़ कर, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच चक बने और आज अनुभव है हर किसान का और वह महसूस कर रहा है कि चाहे खराब से खराब जमीन मिले, अच्छी से अच्छी मिले, लेकिन एक ही चक हो ताकि वह ट्रैक्टर से काम कर सके, पंपिंग सेट लगवा सके देख-रेख कर सकता है। दूसरी बात मान्यवर, जब चकबन्दी हुई तो न तो सार्वजनिक तौर से हरिजन बस्तियों में जमीन छोड़ी गई, न हरिजनों को निकलने के लिये सार्वजनिक तौर से चकरोड़ छोड़ी गयी, न खेलकूद के लिये जमीन छोड़ी गयी।

मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री से कहना चाहूंगा कि जहां चकबन्दी हुई है बहुत पहले और अगर ये त्रुटियां हैं तो वहां पुनः चकबन्दी करानी चाहिये। हरिजनों की अगर ये दुहाई देते हैं, उनके लिये काम करना है तो जो इधर-उधर जमीन छोड़ी गई है, नदियों के किनारे, बहुत दूर, तो उन्हें हरिजन बस्तियों के पास छोड़ना चाहिए इससे वह ज्यादा उपयोगी होगी।

मान्यवर, चकबन्दी ऐसे गांवों में भी करने की बात चलती है जहां नहीं होनी चाहिये, लोग नहीं चाहते जहां। जैसे सैदपुर तहसील में पटना गांव है, यह गंगा और गोमती के संगम पर बसा है लेकिन कुछ लोग अपने लालच में पड़ कर चकबन्दी चाहते हैं। इसकी राजस्व मंत्री जांच करायें और अगर वहां के लोग नहीं चाहते हैं तो नहीं होनी चाहिये।

मान्यवर, हरिजनों पर अत्याचार की बात आती है। मैंने देखा कि चाहे गाजीपुर हो, जौनपुर हो, वाराणसी हो, गांवो में बसे हुये हरिजन, जिनकी निजी जमीन नहीं है, गांव समाज, की है, बड़े-बड़े जमींदारों की है, दूसरे गांव की है, उन जमीनों पर हरिजनों की झोपड़ी है, घर हैं, तो मैं आपक माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए और जिस धरती पर गांवों में रहने वाले व्यक्तिगत झोपड़ी बना लिये हैं, उसी के नाम से वह जमीन होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप का आभार प्रकट करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी कृपा से मुझे राजस्व बजट पर अपने विचार प्रकट करने का जो अवसर मिला उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं यह जो हमारे

विरोध पक्ष के माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे ऐसा लगता है कि वे लोग राजस्व विभाग की जरूरतों को गंभीरता से महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर वे इसको महसूस करते तो कटौती का प्रस्ताव न रखकर उसका समर्थन करके इस बजट को निर्विरोध पास कराते। राजस्व विभाग में जमीन का सबसे महत्वपूर्ण मामला आता है। जमीन के प्रति इतना बड़ा मोह है लोगों को कि वह आसानी से जमीन को छोड़ना नहीं चाहते हैं और अगर जमीन के बारे में कोई विवाद खड़ा होता है तो चाहे वह विवाद कितना ही क्यों न बढ़ जाय, वह आसानी से हटते नहीं हैं। ऐसी स्थिति में यह कानून स्पष्ट रूप से बनाना चाहिये जिससे कि विवाद कम से कम हो। इस समय चकबन्दी चल रही है। यह बन्दोबस्त लगभग 100 वर्ष के बाद हो रहा है। अब ऐसी स्थिति गांव की जो सीमा निर्धारित की गई थी, पत्थर गाड़े गए थे संभवत: अब वह पत्थर किसी गांव में रह नहीं गए हैं, मिट गए हैं और यह धारणा रहती है लोगों की कि अगर यह निशान मिटा दिया जाय तो उसे ज्यादा जमीन मिल जायेगी, इसलिये जानबूझकर उस पत्थर के निशान को मिटा दिया जाता है।

अब किसी भी गांव में वह नहीं रह गया है। चकबन्दी के समय पर चकबन्दी कर्मचारी गांव में जाता है तो उसे वह पत्थर का निशान नहीं मिलता है और न ही वह उसको देखने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में वह करते यह हैं कि नक्शा सामने रखकर उसके हिसाब से गांव में सेक्टर निर्धारित करते हैं और यह नहीं देखते हैं कि वह जमीन वर्ग 3 की है, वर्ग 4 की है या किसी अन्य वर्ग की है बल्कि उस सेक्टर में 4–5 वर्ग की जमीनें आती हैं और जब वह चक बनाने लगते हैं तो इसको निर्धारित नहीं करते हैं और दूसरे वर्ग की जमीन दूसरे वर्ग में दे देते हैं जैसे कि वर्ग 3 की जमीन वर्ग 4 में और उसका नतीजा यह निकलता है कि जो नियम बना जमींदारी एवाल्यूशन ऐक्ट, उसमें यह है कि जो भूमिधरी होगा, जिसकी जमीन सरहमुहैमन है उसको वह जमीन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा न करके भूमिधरी की जमीन सीरदार पर राइट रखने वाले को दे दिया गया तो चूंकि लगान में फर्क पड़ता है, उसके अधिकार में फर्क पड़ता है इसलिए वह फर्क बराबर झगड़े और असन्तोष का कारण बना रहता है।

ऐसी स्थिति में कि यह असन्तोष पैदा न हो इसके लिए कोई इस तरह की स्पष्ट बात नहीं है कि अगर यह नहीं है तो गांवों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो चक बनाये जाते हैं उसमें कुछ तो जमीन भूमिधरों को दे दी जाती है और कुछ सीरदारी को दे दी जाती है। ऐसी स्थित में फर्क पड़ता है। इसके ऊपर सरकार को विचार करके गंभीरता से कोई निर्णय लेना चाहिए। अब जहां तक रह गया हरिजनों को जमीनें देने का मामला अब चकबन्दी की व्यवस्था खड़ी है। जिस समय चकबन्दी के लोग गांवों में जाते हैं तो वे वहां बैठते नहीं हैं और चक बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वे मालियत में गड़बड़ी करते हैं और उसके बाद झगड़ा खड़ा कर देते हैं। जब झगड़ा खड़ा कर देते हैं तब उनकी आमदनी का रास्ता खुल जाता है और उस पर भाव ताव होने लगता है। जब झगड़ा होता है इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि यह झगड़ा कभी खड़ा न होने पावे। जिसकी जैसी जमीन हो उसे वैसी ही जमीन मिलनी चाहिये। आज होता यह है कि एक नम्बर की जमीन दूसरे नम्बर को मिल जाती है और दूसरे नं0 की जमीन एक नं0 वाले को मिल जाती है। इस तरह से अच्छी जमीन वाले को तो खराब जमीन मिल जाती है और खराब जमीन वाले को अच्छी जमीन मिल जाती है। जमीन चूंकि उतनी ही रहती है, इसमें तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन मालियत में फर्क पड़ जाता है।

जहां तक हरिजनों को आबादी की जमीन देने का सवाल है, हरिजनों व कमजोर वर्ग के लोगों को आबादी की जमीन देने की व्यवस्था की एक नीति निर्धारित की गयी है और उसे

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री]

कृषि हेतु जमीन देने की एक नीति निर्धारित की गयी है। गांव समाज की जमीन तो चली गयी। वह बंटी नहीं और चालाक लोगों ने उसे ले लिया। सामान्य परपज के लिये जो जमीन बंटनी थी वह जमीन भी पट्टे पर उनको नहीं मिली। एक सुझाव आया कि चकबन्दी से जमीन कटौती करके जो निकले वह हरिजनों की आबादी के लिये दे दी जाय। सीलिंग से बची हुई जमीन को गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों को आबादी के लिये देने की बात थी।

लेकिन यह सरकार बड़े काश्तकारों को पहले ही संकेत कर देती है कि तुम्हारी कुछ जमीन निकलने जा रही है इसलिये सजग हो जाओ। वे पहले ही से पता लगा लेते हैं कि कौन सी नीति निर्धारित होगी। इतना मालूम हो जाने पर वे चुपके-चुपके अपना हिसाब-किताब बैठा लेते हैं। अगर सीलिंग से जमीन निकली भी तो वह गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाली नहीं है। चकबन्दी के सिलसिले में कहा गया है कि जो गरीब व भूमिहीन हरिजन हैं उनके लिये आबादी की जमीन देना निश्चित किया गया है। इसमें पहला काम यह होना चाहिये कि बस्ती से काफी दूर हटा कर उनको जमीन न दी जाय बल्कि बस्ती से दो तीन लट्ठा हटकर उसे जमीन दी जाय जहां वे आबाद हो सकें। इधर-उधर जमीन देने पर नाजायज तरीके से बड़े लोग कब्जा कर लेते हैं। इसलिये आबादी के लिये जो भी जमीन छोड़ी जाय वह बिलकुल बस्ती से सटी हुई छोड़ी जाय। अगर कटौती की जमीन किसी भूमिहीन को दी जाय तो वह उसके घर के आस-पास ही होनी चाहिये। अगर आबादी की जमीन दूर दी जाती है तो उसमें तमाम परेशानी खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में निवेदन के साथ मेरा कहना है कि अगर किसी कमजोर को जमीन देने की बात है तो उसके लिये जो नीति निर्धारित है उसके अनुसार जमीन मिलनी चाहिये। अगर चकबन्दी से छूट वाली जमीन गरीबों को दी जायेगी तो उसमें मुकदमेबाजी शुरू कर दी जायेगी। मुकदमे बाजी की वजह से गरीब आदमी तंग होता है, परेशान होता है।

आज आबादी की जमीन पर कितनी ही मुकदमेबाजी हो रही है। मेरा सुझाव है कि अगर इस तरह की जमीन गरीब हरिजनों के पास है तो उस पर मुकदमेंबाजी न होनी चाहिये, इसका उपाय सरकार को निकालना चाहिये। मेरे ही जिले में चन्दौली के परगना मझवार के ग्राम जरखोर में चकबन्दी व आबादी के लिये आबादी की जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और उस पर मुकदमेबाजी सालों से चल रही है। वह गांव 125 गरीब हरिजनों का है उनके पास सिवा दो चार लोगों को छोड़कर रहने के लिये कोई जमीन नहीं है। चकबन्दी वालों ने सब को आबादी में दिखला दिया जिससे यह झगड़ा पैदा हो गया और जिनके पास आबादी की जमीन नहीं है उनको जमीन नहीं मिल पा रही है। इस तरह से पूरा का पूरा गांव परेशान हो रहा है। मैंने इस संबंध में लिखकर माननीय मंत्री जी को भी दिया था। वहां के जिलाधिकारी को लिखा, उनसे कहे, हरिजन तंग और परेशान हो रहे हैं उनका कोई निर्धारण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात की याद दिलाते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि परगना जरवार ग्राम पखोर से सवा सौ हरिजन तंग और परेशान हैं मुकदमेबाजी से। इस प्रकार के और भी बहुत से केसेज हो सकते हैं। माननीय मंत्री जी आप के रहते हुए इनकी परेशानी दूर हो जानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राजस्व बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, आपने मुझे राजस्व बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह तो 70 करोड़ रुपया मांग रहे हैं बल्कि एक पैसा के लायक नहीं हैं क्योंकि 35 साल की आजादी के बाद दूसरे पैरा में लिखा हुआ है कि भूमिहीनों को जमीन देने जा रहे हैं। शर्म होनी चाहिये कि 35 साल के बाद भी रहने के लिए इनके राज्य में लोगों के पास जमीन नहीं है। इससे बढ़कर नपुंसक सरकार कौन सी हो सकती है? हिजड़ी, नपुंसक, दो ही शब्द हो सकते हैं, तीसरा शब्द कहने का हमें हक नहीं है। केवल नपुंसक। वेतन बजट मांगते हैं, खर्च करने का ढंग ज[illegible] नहीं हैं। राजस्व के·····

एक सदस्य––

व्यवस्था का प्रश्न है। नपुंसक जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है इसके संबंध में मुझे आपत्ति है····

श्री गौरी शंकर भैय्या––

माननीय उपाध्यक्ष जी, डाक्टरी जांच करा लें कि कितनी हिजड़ी और नपुंसक है कोई व्यवस्था दीजिएगा·····

श्री उपाध्यक्ष––

मैं आपको सुन नहीं पाया हूं·····

श्री श्याम लाल वाजपेयी––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने भी ललकारा है कि नपुंसकता का परीक्षण करा लिया जाय·····

श्री उपाध्यक्ष––

उसके लिए मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान काफी है····

श्री कुबेर भण्डारी––

मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 साल का समय बहुत लम्बा होता है, 35 साल के बाद जमीन दे रहे हैं। मैं सरदार नगर की बात कहता हूं। सरदार नगर के पास ही चौरी-चौरा जहां शहीदों को श्रद्धांजलि देने इंदिरा गांधी गई थीं। वहां बन्धु नगर में बाबू बन्धु सिंह की जमीन है जो एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे। उनकी जमीन जो अंग्रेजों के दलाल रहे मजीठिया उनको दे दी। उस नगर को अब सरदार नगर का नाम रखा गया है। पांच छः हजार एकड़ भूमि आज भी उसके कब्जे में है।

एक हरिजन जाति के मंत्री हैं, हरिजन नहीं हैं, हरिजन जाति के मंत्री जो मण्डल मंत्री हुए हैं गोरखपुर जाते रहते हैं। वहां मछली मारने जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं पता नहीं। गोरखपुर से 8–9 किलोमीटर पर उनका फार्म है। आज तक इस फार्म को नहीं देखा। भाषण हुआ था इस पर। लेकिन यह सरकार पूंजीपतियों से सांठ-गांठ किये है, भू-स्वामियों से सांठ-गांठ किये है। कांग्रेसियों ने हरिजनों के नाम पर जमीन इकट्ठी की है, जमीन की चोरी करते हैं। हरिजनों के नाम पर वोट बटोरने का इनका काम है। रोज चिल्लाते हैं कि हरिजनों को जमीन देने जा रहे हैं। कहीं हरिजन जमीन नहीं पा सकते आपके राज्य में।

मान्यवर, आप जानते हैं कि कल ही यहां पर गोपालपुर फार्म के संबंध में एक मामला उठा था और जो आपके मौजूदा मंत्री हैं उनके ज्ञान में यह बात है कि फर्जी लोगों ने पट्टे लिये और जिनको एक बार पट्टा मिल गया उनको दुबारा भी पट्टा दिया गया।

[श्री कुबेर भण्डारी]

एक तरफ तो आप कैंसिल कराने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह से पट्टे देते हैं। लेखपाल का जो इन्दराज करता है उसके बारे में मामला सीनियर कमिश्नर के पास जाता है, बोर्ड में जाता है और फिर हाई कोर्ट तक वह मामला फैसले के लिये जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो रेवेन्यू डिपाटमेंट है वह बेकार है, उसके ऊपर किया गया खर्चा बेकार है। आप बतायें कि आपने इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को खोलकर क्या किया है? चकबन्दी के बारे में कोई सवाल उठाया जाता है तो माननीय मंत्री जी के सामने जुडीशियरी की तलवार लटक जाती है।

मान्यवर, हमारे तहसील रामपुर वगह ग्राम के क्षेत्र में एक आदमी को 9 चेक दिये गये हैं जब कि वह नियम है कि तीसरे चेक से ज्यादा किसी को नहीं दिये जायेंगे। मैंने कई बार इस संबंध में आपको लिखा भी है लेकिन माननीय मंत्री जी ने वही जुडीशियरी की तलवार सामने लटका दी। जिसको लेखपाल उस जमीन को लिख देता है, उसको वह जमीन मिल जाती है और उसका कर उनसे वसूल किया जाता है। जो किसान गावों में अपना खून पसीना बहाता है उनसे यह वसूल करके आपके लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, और उसके चट्टे-बट्टे खाते हैं। इससे बढ़कर निकम्मी सरकार और क्या हो सकती है? इसके अलावा जो सहायता का पैसा आप गांवों में किसानों के लिये देते हैं उसे भी ये अधिकारी लूटकर खा जाते हैं और आपको यहां पर जब हम सवाल पूछते हैं तो वे आपसे यहां पर यह कहलवा देते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है।

आप माननीय गृह मंत्री को देखते ही हैं कि यहां पर हो हल्ला उनके ऊपर रोज हो जाता है परन्तु दी नहीं गई है। मान्यवर, सरकार किसानों को जोतबही देने की घोषणा की है। इस बिना पर लोगों की हत्या हो रही है, विधवा महिलाओं की हत्या हो रही है। इसलिये इनको एक पैसा भी नहीं देना चाहिए।.....

(व्यवधान)।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या दर्शक दीर्घा में बैठकर कोई व्यक्ति, माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, उसको अक्षरशः नोट कर सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी मंशा कौन सी दीर्घा से है?

श्री धरमपाल--

मेरे सामने ऊपर की दीर्घा जो है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आपको विदित ही है कि गवर्नर दीर्घा में पहली और दूसरी लाइन अधिकारियों के लिये है।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, सामने जो ऊपर की दर्शक दीर्घा है, उससे मेरा मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष--

वे सचिवालय के एक विभाग के व्यक्ति हैं। इसलिये आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कुबेर भण्डारी--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले के एक मंत्री हैं उनकी भाभी हैं रेवती रानी।

नौतार गांव में छितौनी बांध के पास जमीन है, लोगों की जमीन कट गयी और रक्षा मंत्री जी की भाभी रेवती रानी की जमीन पर से लोगों को बेदखल करके एक पुलिस के इंस्पेक्टर

जो वहां पर थानेदार रहा और अब सी0आई0डी0 विभाग में है उनके नाम एलाट कर दी गयी। इसी तरह से एक आदमी पोस्ट आफिस में काम करता है उसके नाम पर हजारों एकड़ जमीन का घपला है। तो सरदार मजेठिया के घर जाकर इंदिरा गांधी के नाम पर उनसे चंदा लेते हैं, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का ढोंग रच कर इतनी बड़ी जमीन हड़पे हुए हैं। हजारों रुपया उनसे चुरा लेते हैं। इंदिरा गांधी जब वहां गयी तो लोगों पर लाठी चार्ज किया और स्वतन्त्रता संग्राम के नाम पर शहीदों के नाम पर मजीठिया जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके घर जाकर ये चन्दा मांग रहे हैं।

*श्री लोकमणि शर्मा--

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसके संबंध में आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत अभारी हूं। मान्यवर, मुझे इसी बजट के संबंध में ही नहीं बल्कि पौने दो वर्ष से अपने माननीय विरोधी सदस्यों के प्रत्येक बजट पर विचार सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन्होंने एक विचित्र परम्परा अपनाई है और शायद उस विचित्र परम्परा के आप लोग आदी हो गये हैं। जिन आदर्शों और नीतियों के आधार पर पूज्य गांधी जी के चरणों में बैठ इस विशाल प्रदेश का निर्माण करने का कार्यक्रम हम बनाते हैं हमारे साथी उन सिद्धांतों का परित्याग कर अनर्गल और मिथ्या आलोचना यहां पर करते हैं। मेरे विचार से यह नीति सही नहीं है.....

एक सदस्य--

रेवेन्यू पर बोलिये।

श्री लोकमणि शर्मा--

यह राजस्व पर ही है। जो हमें महात्मा गांधी जी ने मार्ग-दर्शन दिया था उसको यह भुला दिये और अनर्गल और मिथ्या बातें इस राजस्व के बजट के बारे में कर रहे हैं यह कहते हैं चकबन्दी नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, जब किसी वृक्ष में पीपल के वृक्ष में जब गर्त पड़ जाती है तो क्या हम उस पीपल के वृक्ष को काट देते हैं? इसी प्रकार अगर किन्हीं योजनाओं में, या हरिजनों की कल्याण की किसी योजना में कोई गलती किसी अधिकारी द्वारा हो जाती है तो उसको दूर करने के सुझाव देने के बदले ताकि वह गलती दूर हो उसे समाप्त करने की बात करते हैं। मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे राजस्व मंत्री जी जो बजट लाये हैं उसका हम समर्थन क्यों कर रहे हैं? हमारी जितनी भी समाजवाद की योजनाओं के कार्यक्रम हैं वह इस बजट के अंदर समायोजित हैं और उन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ते आये हैं और अगर हमारे माननीय सदस्यगण अपने कर्तव्य का निर्वहन करते; तो हम अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गये होते लेकिन यह भटक रहे हैं अपने उन सिद्धांतों और नीतियों से। हम यहां पर राजनीतिक मंदिर में महात्मा गांधी के चरणों में बैठे हैं इसके दो पहिये हैं एक तो सत्ता पक्ष और दूसरा विरोध पक्ष तो जब दोनों पहिये ठीक हों तो सही काम होता है। लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 30, 32 सालों से हम एक ही पहिये से समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं और एक पहिया अपंगु पड़ा हुआ है क्योंकि वह कोई ऐसा सुझाव नहीं देता है जिससे हम आगे बढ़ते।

मान्यवर, जैसा कि हमारा यह बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें सारी योजनाएं हैं। हमारे माननीय बन्धु गरीबों के बारे में क्या क्या राग अलापते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लोकमणि शर्मा]

में जहां लोकदल का बाहुल्य है, यह लोग गरीबों पर तरह तरह के अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनको वोट तक नहीं डालने देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जहां पर कथनी और करनी में इतना अन्तर है और हम गांधी जी के सिद्धांत के उपासक बने, तो यह चीज अच्छी नहीं है।

इस बजट में सारी चीजों का उल्लेख है और यह भी उल्लेख है कि गत वर्ष में हम कितना आगे बढ़े और आने वाले साल में कितना आगे बढ़ेंगे। उसमें गरीबों की रक्षा का भी उल्लेख है और यह भी है कि किसी भी अनुसूचित व्यक्ति को जिसके पास तीन सही एक बटा आठ एकड़ भूमि होगी, उस भूमि को सवर्ण को बेचने का अधिकार नहीं होगा। 3 1/8 एकड़ से कम भूमि उसके पास रहेगी तो उसको बेचने या आवंटन का अधिकार नहीं होगा और यदि उस पर कहीं सबल आदमी ने कब्जा कर लिया है तो उसके दोषी व्यक्ति को 6 महीने की सजा और 1,000 रुपये तक का अर्थ-दंड देने का प्राविधान कर दिया गया है।

इसके अलावा उन्हीं के लिए अनुसूचित जाति, आदिम जाति के व्यक्ति की भूमि का विक्रय, दान बंधक पत्र या पट्टे द्वारा दूसरे वर्ग के व्यक्ति को संक्रमण पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। गरीबों की भूमि की रक्षा हो सके इसलिए यह किया गया है। इसके अलावा जो हमारे उद्योग हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए जिलाधीशों को यह अधिकार दिया गया है कि वह जमीन का पुनर्ग्रहण भी कर सकते हैं। गरीबों को आवास हतु भूमि प्रदान करने के लिए जो सर्वे कराया गया है, उसके अनुसार 14,77,486 पात्र व्यक्तियों में से 14,23,978 व्यक्तियों को आवास स्थलों का आबंटन अब तक हो चुका है। आगे भी पुनः सर्वेक्षण कराकर उन्हें आवास स्थल प्रदान करने की चेष्टा की जा रही है। जहां तक चकबन्दी की बात है, यह तो वह चीज है जिसको शायद ही कोई ऐसा किसान हो जो न चाहता हो, अन्यथा सभी लोग चाहते हैं इसमें भ्रष्टाचार का मामला है, जो कि ठीक है। वह भ्रष्टाचार रग-रग में व्याप्त हो गया है। उसके बारे में मैं दृढ़ विश्वास से कहना चाहता हूं कि यदि इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है तो सबसे पहले, जिस तरह से हमने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था, सिर पर कफन बांध कर त्याग और बलिदान का आधार लेकर इसको दूर करने के लिए लड़ाई लड़ने का हम सबको मिलकर पूरा प्रयास करना चाहये। सबसे पहले हमने जो प्रतीज्ञा की है, उसको पूरा करने में लग जायं तो भ्रष्टाचार में हम कमी ला सकते हैं। चकबन्दी में जैसी शिकायत आई हैं, मंत्री जी ने ऐसे आंकड़े दर्शाये हैं कि 285 आदमी गत वर्ष इस विभाग में भ्रष्टाचार के अपराध में भ्रष्ट पाकर दंडित किये गये हैं।

जहां तक सीलिंग की भूमि का प्रश्न है, उसका जो गरीबों के लिये आबंटन हुआ है, उसमें भी 85 लाख व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है और आगे भी इसको करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मैं विशेष लम्बी चौड़ी बात न कहकर अपने माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने कर्तव्य को समझें, विचार करके विचारपूर्वक इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। इसलिए विचार करके विचार बनाकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और संकुचित नीतियों से ऊपर उठकर, यदि देश में समाजवाद लाना है, हमें इसका अवश्य समर्थन करना चाहिए। मैं एक निवेदन और कर दूं, मुझे एक प्राचीन बात याद आ गई।

उठो त्याग दें द्वेष, एक ही सबके मत हो,
सीख ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हों,
सुख सम्पत्ति शांति भारत में भर दें,
अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पण कर दें,
भारत की उन्नत सिद्धि से, हम सबका कल्याण है,
दृढ़ समझो इस सिद्धांत को हम शरीर यह प्राण है।

*श्री गौरीशंकर भैय्या––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राजस्व विभाग की मांगों के संबंध में मुझे जो समय दिया इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। माननीय यादव जी, जो फैजाबाद जनपद के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जो कटौती का प्रताव प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अनुदान संख्या 40 में राजस्व विभाग के जिला प्रशासन के लिये 12,96,88,000 रुपये की मांग पेश की है। इसके बाद अनुदान संख्या 41 में राजस्व विभाग में दैवी आपदाओं के कारण सहायता के लिए 10,18,86,000 रुपये की मांग पेश की है अनुदान संख्या 42 में राजस्व विभाग ने राजस्व परिषद् जो कि एक सफेद हाथी है और इस प्रदेश का बेकार खाता है, उसको चलाने के लिये 46, 47, 34, 000 रुपये की मांग की है और इसी प्रकार से अनुदान संख्या 65में सहायता और पुनर्वासन विभाग के लिए 78,99,000 रुपयों की मांग की है। इस प्रकार कुल मिलाकर इन्होंने 70,42,07,000 रुपये की सदन में मांग की है।

मैं उनकी ओर से जो पुस्तिका लोगों को वितरित की गयी है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारे साथी सत्ता पक्ष के और विपक्ष के इस संबंध में बोल रहे थे। उन्होंने चर्चा की कि हमने बहुत दौड़ मारी है कि हरिजनों और गिरिजनों को जमीन एलाट करने के लिये कानून बनाये हैं।

मान्यवर, एक कानून उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 बना था, दूसरा अनुसूचित आदिम जातियों के भूमिधर या आसामी द्वारा अपनी जाति से भिन्न जाति के व्यक्ति के पक्ष में विक्रय दान, बंधक या पट्टे द्वारा भूमि के संक्रमण पर पूर्ण प्रतिबन्ध के संबंध में था। इसके बाद अनुसूचित जाति के भूमिधर आसामी द्वारा गैर जाति के व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण की अनुज्ञा के संबंध में था। उसके बाद अनुसूचित आदिम जातियों के खातेदारों को संरक्षण देने के संबंध में है। इस प्रकार से इन्होंने 6 कानून बनाये। लेकिन इतने कानून बनाने के बावजूद भी, सत्तापक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों के कहने पर ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे कानून अव्यवहारिक हो गये हैं और उनको जमीन देनी चाहिए थी, उनको उस रीति से नहीं प्राप्त हुयी है जैसा कि कानूनों में अमली जामा पहनाने का प्रयास किया गया। जो भूमि आवास स्थलों के लिए आवंटित करते आ रहे हैं, इनके नये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान से ऐसा लगा कि उसका कुर्ता उठाकर इस पर लगा दिया और इसी प्रकार से 24 सूत्री प्रोग्राम को किसी न किसी रूप में जोड़ते जा रहे हैं।

चकबन्दी का जहां तक सवाल है यह सब के पहले का मामला है। प्रदेश में चकबन्दी करने का काम वर्ष 1954 में प्रारम्भ किया गया था लेकिन आज तक केवल 155 तहसीलों को ही इस काम के लिए चुना गया और इन तहसीलों में भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें चकबन्दी का फीता गया ही नहीं। इनका कहना था कि 5–10 वर्ष में चकबन्दी का काम पूरा करेंगे लेकिन इन्ही के आंकड़ों के अनुसार केवल 155 तहसील मात्र ली गयी इससे साफ जाहिर हैं कि हर साल जो बजट पेश करके सदन की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, उसका क्या औचित्य है ? आप केवल वेतन देने का ही काम करते हैं। उसमें आप भ्रष्टाचार की आमदनी को शामिल नहीं करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस विभाग को इतनी बड़ी रकम दी जायें।

मान्यवर, शिकायतों के बारे में यह बताया गया है कि पिछले वर्ष 3732 शिकायतें प्रदेश भर में प्राप्त हुई चकबन्दी विभाग में, और उसमें से 3366 लोगों को यह सार्टिफिकेट दे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर भैय्या]

दिया गया कि वे ईमानदार हैं, और केवल 285 मामलों में, जिनमें कि लोग सी0 ओ0 साहब को घूस नहीं दे पाये। कार्यवाही की गयी, जिन 3366 लोगों ने पैसा खिला दिया उनके बारे में लिख दिया कि कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अब मैं जिला प्रशासन पर आता हूं। इसके अन्तर्गत कलेक्टर, एस0 डी0 एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल आदि आते हैं। एक दो अधिकारी की बात मैं नहीं करता, ईमानदार होंगे, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन, कलेक्टर से लेकर लेखपाल तक करप्ट हो गया है। और इसी जिला प्रशासन को चलाने के लिये यह 12 करोड़ 96 लाख रुपये हमसे मांग रहे हैं। यह इनको नहीं मिलना चाहिये। यह रुपया आप बचा सकते हैं आसानी से अगर आप तहसील को लेखपाल के नाम नीलाम कर दीजिये, जिले को कलेक्टर के नाम नीलाम कर दीजिये, वे अपना काम चला लेंगे।

(व्यवधान)

आज लेखपाल तो यहां तक कहता है कि हम जो कुछ अपनी कलम से लिख देते हैं उसको काटने की ताकत राज्यपाल तक में नहीं है। इस प्रदेश में मान्यवर, दो पाल हैं-- एक तो लेखपाल और दूसरा राज्यपाल। लेखपाल कहता है कि इन दोनों के बीच में आप लोग यानी मंत्री और एम0 एल0 ए0 वगैरह कहां से आ गये। वह हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। इस तरह से आज यह प्रशासन कुन्ठित होता जा रहा है।

मान्यवर, यह मन्त्री लोग इनसे काम क्या-क्या लेते हैं? जब मंत्री जाते हैं तो डाक बंगले में ठहरते हैं। उनके ठहरने से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था यह प्रशासन करता है। वसूली का काम कलेक्टर करता है, कोई जांच का काम हो, वह करता है, कोई वितरण का मामला हो वह भी कलेक्टर करता है। माननीय राजस्व मंत्री जी भी जाते होंगे। यह मंत्री लोग जब जाते हैं तो तहसीलदार इनके लिये अच्छे से अच्छा खाने-पीने का इन्तजाम करता है, यह लोग पूरी, कचौड़ी, मुर्गा, दारू आदि सब खाते पीते हैं। जब चलने लगते हैं तो कहते हैं कि बिल लाओ और मान्यवर, सवा रुपये या डेढ़ रुपये का बिल, मंत्री जी के सामनें लाकर रख दिया जाता है। (हंसी) डाक बंगले में उनको पूरी सुख सुविधा, ऐशो आराम तक का प्रबन्ध एक तहसीलदार करता है। तो श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वह संबंधित विभाग के लोगों में कर दिया जाय, वह तो अपने विभाग में घूस ले ही रहें हैं, तहसीलदार और लेखपाल से यह चीज हटा दीजिए क्योंकि तहसीलदार लेखपाल से लेता है और लेखपाल जनता से लेता है। अब श्रीमन्, दूसरी चीज पर मैं आना चाहता हूं। अनुदान संख्या 41, जिसमें राजस्व विभाग का दैवी आपत्तियों, पर घटनाओं आदि पर खर्च होता है। कहीं आग लग गयी, डकैती हो गयी, तो इनको मान्यवर, कुछ देने का अधिकार है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर विभाग की जानकारी उनको है। इनके पास टैक्निशियन हैं। एक आदमी की झोपड़ी बाढ़ में बह गयी, एक आदमी का मकान आग लगने से जल गया।

आप उसको सब्सीडी के नाम पर 100 रुपया दे देते हैं। उसमें वह न लकड़ी खरीद सकता है, न पतिया खरीद सकता है, तो आप दैवी आपदाओं में 100 रुपया सहायता का काम जो करते हैं, वह बहुत कम होता है किसी के मर जाने पर डेढ़-दो सौ रुपया आप दे देते हैं, तो उससे वह कफन के लिये खर्च करेगा या उसकी क्रिया-कर्म में खर्च करेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आप सहायता करते हैं. बाढ़ों के संबंध में बड़ी चर्चा होती है, जब बाढ़ आती है, तो हर साल आप देखते हैं कि करोड़ों रुपये की नाव आप भाड़े पर लेते हैं। गोरखपुर की नाव पीलभीत चली जाती हैं।

अब नाव में जितना रुपया आप खर्च करते हैं, हमने जनता राज्य में भी मांग किया था और आज भी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि बिहार में सरकार नाव खरीद कर मल्लाहों को चलाने के लिए दे देती है और जब बाढ़ आती है, तो वह नावें लगा ली जाती हैं। यहां पर तो हर साल कागज पर नाव चलवा लेते हैं। दो नाव चलती हैं, 8 दिखा दी जाती हैं और जो 6 नावें हैं, उसका पैसा लेखपाल साहब और अन्य

अधिकारियों के पास पहुंच जा रहा है। मंत्री जी के पास न आता होगा। लेकिन वहां के लोगों के पास पहुंच जाता है।

(व्यवधान)

श्री फखरे आलाम--

मान्यवर, हमारा कटौती का प्रस्ताव है। हम लोगों को मौका मिलना चाहिये।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, एक सफेद हाथी है, सरकार ने जो इस विभाग को खोल रखा है, जिसका नाम है राजस्व परिषद्। राजस्व परिषद् को चलाने के लिये आप जो हैं 46 करोड़, 47 लाख, 34 हजार रुपया दे रहे हैं, जबकि इनके फैसलों की कोई वकत नहीं है, सारे लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो इस रुपये का बचाव कर लेना चाहिये। अन्त में मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि चकबन्दी के बारे में राम गोविन्द चौधरी जी यहां पर बैठे हुये हैं, इनके गांव गोसाईपुर की चकबन्दी कर लें। वहां की चकबन्दी नहीं हुई है। श्रीमन्, राजस्व विभाग में चकबन्दी को जो मूल्यांकन करने का अधिकार, चक एलाट करने का अधिकार, मुकदमों के निस्तारण का अधिकार, मालियत लगाने का अधिकार दिया है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। अगर एक रुपया की मालियत की जमीन है, घूस अगर उसको दे दिया जाय, तो वह 10 रुपये की मालियत बना देते हैं और अगर 10 रुपये की मालियत की जमीन है, तो पैसा मत दीजिए तो एक पैसे का बना देते हैं यानि ऊसर और बंजर लिख देते हैं। एक चीज की ओर आपका ध्यान और आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, चकबन्दी बहुत से गांवों की कर ली गयी है लेकिन धारा 52 का प्रकाशन नहीं हो रहा है। मान्यवर, सरकारी रेकार्ड के अनुसार 53 हजार 136 गांवों की चकबन्दी की गयी है और धारा 52 का प्रकाशन केवल 16 हजार 444 गांवों का ही हुआ है। मान्यवर, चकबन्दी के अन्दर गांवों को ले लिया जाता है और उसके बाद फिर उस गांव में जमीन की बिक्री या खरीद नहीं की जा सकती है। बैंकों से किसान ऋण नहीं ले सकता है, किसान ट्यूबवेल लगाने के लिये ऋण नहीं ले सकता है, ट्रैक्टर के ऋण नहीं ले सकता है। धारा 52 का प्रकाशन आप नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, धारा 52 का प्रकाशन न होने के कारण 10-10, 5-5 वर्ष से किसान ट्रैक्टर, ट्यूबवैल लगाने के लिये लोन नहीं ले पा रहा है। मकान बनाने के लिये या अन्य विकास के कार्य के लिये वह बैंक से ऋण नहीं ले सकता है। वह अपनी जमीन को बैंकों में बन्धक के रूप में नहीं रख पा रहा है। किसान की जमीन चकबन्दी में लटकी हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसको देखें और जहां पर धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है वहां धारा 52 का प्रकशन कराने का कष्ट करें। मान्यवर, एक बात मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। एक लड़का सड़क पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, उसको लोग पकड़ कर उसके बाप के पास ले गये तो देखा उसका बाप चरपाई पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, तो वे लोग दोनों को पकड़ कर गांव के मुखिया के पास ले गये तो देखा कि गांव का मुखिया छत पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपके गांव की बात है ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, यह भ्रष्टाचार की हालत है, राजस्व विभाग में है। लेखपाल को पकड़ कर तहसीलदार के पास ले जांय तो वह चौकी पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है और दोनों को पकड़ कर अगर कलेक्टर के पास ले जायं तो कलेक्टर छत पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा है।

[श्री गौरी शंकर भैय्या]

घूस ले और घूस देकर छूट जाय । जो भ्रष्टाचार का सवाल पैदा करते हैं उसको एक पैसा अनुदान नहीं देना चाहिये । छोड़ दीजिये घूस के जरिये वह काम करें । मान्यवर, जनता राज्य की बात करते हैं मैं कहना चाहता हूं चौधरी चरण की बात करते हैं मान्यवर, जनता राज्य में पासबुक बनाने का जैसे बैंकों में पासबुक होती है, कृषि और राजस्व से संबंधित पास बुक बनाने को था । मान्यवर, विशेषज्ञों ने समय-समय यह सुझाव दिया है । मान्यवर, जिसके पास जितनी जमीन हो, जो खसरा और खतौनी में फंसाया है लेखपाल के जरिये, उसके पास कितनी जमीन है, कितनी किस तरह की है, कितना ऋण लिया है, कितना लगान दे रहा है, सब उस पासबुक में दर्ज होना चाहिये । मान्यवर, किसान साल में एक बार कृषि बैंक या राजस्व बैंक में अपना कागजात दुरुस्त करा लें और लेखपाल के जाल से उसको छूट मिल जाय । इन शब्दों के साथ जो बोलने का अवसर आपने दिया आपको धन्यवाद देता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, हमारी तरफ का कटौती का प्रस्ताव है विरोध पक्ष में हमारी पार्टी नम्बर 2 पर है । हमको मौका मिलना चाहिये । आप हमेशा हमारी मदद करते रहे हैं, मगर क्या बात है आज मौका नहीं मिल पा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

हम आपको नम्बर एक पर मानते हैं । आप विराजे । आप उम्र के लिहाज से नम्बर एक पर हैं ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मेरे बाल धूप में सफेद हुए हैं वैसे सीनियर और नं0 एक पर तो आप ही हैं ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राजस्व विभाग के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, यह बात निर्विवाद है कि कांग्रेस सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दुबारा जब देश की बागडोर संभाली तो देश और प्रदेश के अन्दर व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, हमारे दोस्तों के कारनामों से उसमें सुधार और परिवर्तन लाया गया और गति लाई गयी है । रोने के लिये तो बहुत कुछ है मा0 सदस्यों के पास और रोना उनकी इस बात पर है कि उनके करम इतने खराब थे कि आज यहां से वहां पहुंच गये । इस पर मैं अपनी हमदर्दी जाहिर करता हूं और अपनी भावनाओं को उनसे सम्बद्ध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव के समर्थन के साथ कुछ बातें कहते हैं जिनकी ओर मैं मंत्री जी और विभाग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है । इस संबंध में मैंने आपसे एक बार कहा था और आज सदन में भी कह रहा हूं कि अभी भूमि आबंटन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है । और न असानी से समाप्त होने वाली है । ऐसा क्यों मान्यवर, पट्टा होता है और उसके बाद नायब तहसीलदार की संस्तुति नहीं होने पाती, कि दरख्वास्त पड़ जाती है, गल्तियां होती हैं जिसकी दुबारा जांच होती है । इस प्रकार यह लम्बी प्रक्रिया है, इस पर रोक कैसे लगायें । इस पर गम्भीरता से देखने की बात है ।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरी तहसील में पचासों गांव ऐसे हैं जहां पट्टों की प्रक्रिया आज भी पूरी नहीं हुई है । यह एक बड़ी समस्या है प्रधान, लेखपाल और गांव के राजनीति का प्रभाव इस पर पड़ता है अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं हम और सभी इसके लिये रोते हैं कहते हैं लेकिन उसकी जिम्मेदारी किस पर है, हम पर या सरकार पर । इसके सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा । लेकिन पट्टों की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहता हूं कि 1980 में मेरा इसी विधान सभा से सवाल था कि क्या गांव मजीसा में

हरिजनों की आबादी का क्या पट्टा हो गया ? और जवाब आया कि वहां हरिजन और नट आपस में लड़ रहे थे, इसलिये पट्टे की प्रक्रिया नहीं हुई, जबकि वास्तविकता यह थी कि जो जमीन चकबन्दी में निकली थी उसको बाद में बड़े काश्तकारों के चक काट दिया गया। इसलिये आज भी उस हरिजन आबादी के लिये जमीन चकबन्दी में नहीं छोड़ी गयी ।

इसलिये मैं आज सदन के अन्दर पूछना चाहता हूं कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना जवाब जो सरकारी अधिकारियों द्वारा दिया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि सदन में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में मजाक करना और सदन के समय को बरबाद करना एवं आपको झूठ साबित करना ठीक नहीं है। यह प्रश्न आपके सामन है। इस संबंध में मैंने आपको लिख कर भी दिया है कि वह एक गम्भीर प्रश्न है। तो उन्होंने लिखा कि 16–10–75 के प्रस्ताव में निर्णय लिया गया है कि धारा 52 के प्रकाशन के बाद पट्टा किया जायेगा। लेकिन जब जमीन है ही नहीं तो पट्टा किसका करेंगे क्योंकि जमीन तो बड़े काश्तकारों के लिये चक में चली गयी है।

मान्यवर, 10 दिन पहले इसी संबंध में हरिजनों का मुकदमा जो दायर था खारिज कर दिया गया जबकि नियमतः उनको जमीन मिलनी चाहिये। यह एक मिसाल नहीं है। ऐसी अनेकों मिसाल हैं हरिजनों के लिए छोड़ी गयी हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी फैजाबाद गये थे, मैं इत्तफाक से उनसे फैजाबाद में नहीं मिल सका। मैंने उसको टेलीफोन से बताया कि ग्राम खालिसपुर था। हाफिजपुर खटौली में जमीन को चक आउट किया गया एक हरिजन के नाम। मौके पर वह 10 बिसवें जमीन आबादी बीच में मौजूद है। मान्यवर, आप ही बतायें, यह कौन सा औचित्य था कि 10 बिसवे जमीन को हरिजन आबादी के बीच में छोड़ दी गयी। वहां के एस० ओ० सी० ने तसलीम किया कि गड़बड़ी है लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हुआ है।

इसी प्रकार मेरी तहसील अकबरपुर में अखईपुर सिसानी गांव का मामला है। यह मामला प्रीतम सिंह, एस० डी० एम० के जमाने से चल रहा है कि वहां पर सीलिंग की जमीन निकाली गयी जिसका पट्टा दे दिया गया लेकिन वह जमीन पुनः खातेदार को चली गयी और तब से लेकर मैं आज तक लड़ रहा हूं। इस संबंध में मैंने बीसों पत्र लिखे हैं, एस० डी० एम० को भी लिखा है। एस० डी० एम० ने तसलीम किया था कि आपकी बात सही है लेकिन वह जमीन आज तक नहीं मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल कानून बना दिया जाय तो उससे गाड़ी चलने वाली नहीं है। गाड़ी तब चलेगी जब उन कानूनों पर अमल सही तरीके से होगा।

अगर कानूनों पर अमल नहीं हो रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि यह शासन तंत्र ऐसा तंत्र है जो किसी का वफादार नहीं है। हम जब इधर चले आते हैं तो हमारी दुहाई देते हैं, जब हम उधर चले जाते हैं तो आपकी दुहाई देते हैं शासन तंत्र को किसी का वफादार बनना ही होगा यह उसी तरीके से है जैसे बाजारु औरत, जिसकी सत्ता होती है उसकी जोरु बनकर शासन तंत्र काम करता है। वफादारी इसमें नहीं है। हमारे जो सिद्धान्त हैं, हमारी जो नीतियां हैं, हम देश की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, शासन तंत्र की आस्था इसमें नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से यदि शासन चलता रहेगा और कानून बनते रहेंगे तो सफलता नहीं मिल सकती है। एक कहावत है––

आदत धरम की, बहू बेटी शरम की,
दूकानदारी नरम की, बनियाई नरमकी,
हाकिमी गरम की,

मान्यवर, अगर इस तरह गरमी से काम नहीं किया जायगा तो यह व्यवस्था चलने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें देखना होगा कि जिस ढांचे से हम काम

[श्री प्रियदर्शी जेतली]

कराना चाहते हैं हम जिन वसूलों और सिद्धान्तों पर देश को उतारना चाहते हैं उनको उतारने के लिये जो हमारा ढांचा है वह बहुत पुराना है। तो प्रश्न इस बात का है कि इसी ढांचे को हम चलायेंगे या इसमें परिवर्तन करेंगे।

मैंने कहा था कि अच्छे एडमिनेस्ट्रेशन के लिये जरुरत इस बात की है कि एरिया आफ आपरेशन छोटा किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि तहसील बीकापुर 425 गांवों की तहसील है और अकबरपुर 908 गांवों की तहसील है जिसकी आबादी 60 लाख की है। दोनों में एक-एक परगना अधिकारी बैठा हुआ है तो दोनों से एक समान रिजल्ट आप चाहते हैं तो वह सम्भव नहीं हो सकता है। आपको एरिया छोटा करना पड़ेगा। आपको नयी तहसील बनानी पड़ेगी अगर नयी तहसील नहीं बनाते हैंतो एक एडीशनल तहसीलदार दीजिए। मेरे अकबरपुर में 1,200 मुकदमें 122(बी) के दर्ज हैं। यह बात मैंने पहले भी कही थी। मैंने उस समय भी आपसे कहा था और मुख्य मंत्री से कहा था, जिस तहसील में इतने मुकदमें हों उस तहसील के तहसीलदार से आप काम ले रहे हैं लैण्ड रेवेन्यू का, भूमि सुधार का, काम ले रहे हैं विभिन्न विभाग की वसूलियों का, इसके अलावा बाढ़ का काम, सूखे का काम, तहसील को एक वेस्ट पेपर बास्केट बना दिया गया है।

अगर इस तरह से चलेंगे, इस ढांचे में परिवर्तन की बात नहीं सोचेंगे तो याद रखिए जनता ने हमको जो विश्वास दिया है यह इसी प्रकार समाप्त हो जायगा 77 में धोखे की टट्टी में जो नसबन्दी के नाम पर आ गये थे, उनको उठाकर फेंक दिया है। मैं कभी-कभी कह दिया करता हूं कि यह तो नसबन्दी के बदले आये थे और चले गये लेकिन हमारी पार्टी कमिटेड पार्टी रही है। यह कमिटमेन्ट एक दिन की कोई बात नहीं है, यह घटनाओं के एक क्रम से बना है। जब जनता ने इन्दिरा गांधी के हाथों में बागडोर दी है तो हमारा दायित्व है हमको देखना होगा कि सारा काम अगर सही तरीके से धरती पर नहीं उतरता तो जनता विश्वास खो देगी। वर्तमान ढांचे में अगर मौलिक परिवर्तन नहीं किये जायेंगे तो इस तरह नहीं चलेगा।

दूसरी तरफ यह निर्विवाद बात है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थ व्यवस्था है। हम भूमि सुधार की बात कहते हैं और कर भी रहे हैं। सवा तीन एकड़ तक के काश्तकार को जेड0 आर0 ए0 ने लैण्डलेस माना है आपने तो "लैण्ड लेस" जो आपने लिखा है तो उसकी परिवर्तन की आवश्यकता है। जीरो बिस्वा से लेकर सवा तीन एकड़ तक के काश्तकार को एक कैटेगरी में रखा गया है। जब पट्टा होता है तो जो भूमिहीन है या जिसके पास एक बिस्वे से लेकर सवा तीन एकड़ तक की काश्त है, वह एक समान जरुरत इस बात की है कि उसके अन्दर परिवर्तन किया जाय। एक बिस्वे से लेकर डेढ़ एकड़ तक की एक कैटेगरी कर दी जाय और जब ये सब पट्टे पा जायं, तब उसके ऊपर अगर इसी प्रकार चलते रहे तो समस्या का सही समाधान नहीं हो सकेगा। अब सवाल बटती हुई जमीन का है मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं जैसा कि उत्तर प्रदेश में 1385 फसली में कुल खातेदारों की संख्या 2.7300272 थी जिसमें 2,30,44,312 खातेदार सवा छः एकड़ से नीचे हैं कहने का तात्पर्य है कि मुल्क की बढ़ती हुई आबादी और बंटते हुए खेत, यह इस देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा देंगे इसमें कोई शक नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

इसकी भी नसबन्दी करा दी जाय।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, आप तो उसी के बदौलत आये हैं तो आप तो ऐसी बात कहेंगे ही।

तो मैं यह नहीं कहता कि भूमि आवंटित न हो, लेकिन हमको इसबात पर फिर भी गौर करना है कि प्रदेश के आंकड़ों को देखा जाय तो पता चलेगा कि प्रदेश का आबादी इस देश की

भूमि स्वयं सील कर रही है । यहां की बढ़ती हुई आबादी एक समस्या है । वह दिन दूर नहीं कि यदि ऐसे ही आबादी बढ़ती जायेगी तो प्रदेश के अन्दर मकान बागान मे खेतों मे बनायें जायेंगे यह एक बड़ी भारी समस्या हमारे सामने खड़ी होने जा रही है ।

आखिर में एक बात मैं और कहनाचाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात बहुत की जाती है । हम सब भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करते तो हैं पर करते क्या हैं ? मैं अपने सभी सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हम सब लगे हैं लोगों को ठीक करने में । लेकिन गिनती 100 से नहीं शुरु होती है, शून्य से शुरु होती है । यदि ईमानदारी से सारे सम्मानित विधायक यह मान लें और इस बात की कसम खा लें कि हम किसी गलत आदमी को पैरवी नहीं करेंगे चाहे वह अपना सगा रिश्तेदार हो क्यों न हो तो भारी तबदीली हो सकती है ? यदि यह नहीं होगा तो भ्रष्टाचार कभी दूर नहीं हो सकता है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने नेतृत्व में जिन बातों की ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है, उस ओर अवश्य ध्यान देंगे और अपने विभाग में चुस्ती लायेंगे ।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ––

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं शुक्रगुजार हूं कि जो आपने मुझे माननीय मित्र सेन यादव द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । हमारे साथियों ने बहुत सी बातें की, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि आज जो राजस्व मंत्री जी बजट पास कराने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग उस जिले से चुन कर आये हैं जो कि अभी पिछली बार को बाढ़ में तबाह हो गया, बरबाद हो गया । मान्यवर, हमारी कांस्टीच्युन्सी वही कांस्टीच्युन्सी है जहां से श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी तथा श्रीमती कमला साहनी जी की जो कांस्टीच्युन्सी है । जिनके रास्ते कट गये थे, कोई रास्ता नहीं रह गया था आने-जाने के लिये, लेकिन इस प्रशासन की नालायकी कि न तो वहां पर नाव दी जा सकी और न किसी चीज का वितरण व्यवस्था ही वहां की जा सकी । मैं पूछता हूं कि आखिर इसके क्या कारण थे ? भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक है कि ये बैठी हैं इनसे पूछ लीजिए । यह सत्ता पक्ष की एम0 एल0 ए0 हैं, वहां नौगढ़ तहसील में इनके विरुद्ध नारे लगाये गये, जुलूस निकाला गया और इनका पुतला वहां पर जलाया गया ।

श्रीमन्, हम लोगों की तरफ घर गिराये जाने की लिस्ट अभी तक नहीं बनी । परन्तु मैं कहता हूं कि 31 मार्च की रात में लाखों–लाख रुपया ट्रेजरी से निकाल लिया जायेगा और लेखपालों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा, उनके माध्यम से वह रुपया बांटा जायेगा । 31 मार्च को सारा रुपया निकाला जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बात पर पाबन्दी लगाइये नहीं तो यह सारा रुपया बह जायेगा, बरबाद हो जायेगा ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर बार बाढ़ आती है । तो जब यह समस्या है तो नावों की व्यवस्था क्यों नहीं कर ली जाती ? फैजाबाद, बहराइच, गोण्डा, बलिया, आजमगढ़ में बाढ़ आती है तब नाव मंगाने चलते हैं और वायरलेस से सूचना देते हैं तो पता चलता है कि रास्ता कटगया, नाव नहीं आ सकती । इसके अभाव में हम लोग मारे जाते हैं और अगर आ जाती है तो जो ट्रक उसे लेकर आती है वह 10–10 दिन तक वहीं रुकी रहती है रास्ता न होने के कारण और उसका पैसा देना पड़ता है ।इसलिए मेरा सुझाव है कि हर तहसील हेडक्वार्टर पर, एक तहसील में कितना रुपया खर्च कर रहे हैं ? स्वैच्छिक संस्थाओं को आप चाहें तो सबसिडी देकर, वह नाव बना कर रखें ताकि जरुरत पर काम चल जाये और यह मसला दूर हो ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ]

हमारे जिले में चकबन्दी शुरु करायी गयी है। पूरी तहसील का नोटीफिकेशन हो गया। शारदा नहर परियोजना निकाल रहे हैं, उसके बन्धे बनाये जा रहे हैं, नहर वाले गांवों की खोदाई का काम शुरु कर रहे हैं, इससे जनता परेशान है। मैं कहना चाहता हूं कि जो नोटीफिकेशन किया है, पूरी तहसील में करा दें। गांव की सामूहिक जमीन काटी जाय चाहे जो परसेन्टेज हो। दूसरा सुझाव है मान्यवर,.....

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी मंशा है कि जो नहर खोदें वह सार्वजनिक जमीन पर खोदें ?

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

जी हां। दूसरा सुझाव है, हरिजनों की बड़ी दुहाई देते हैं। जहां चकबन्दी हो रही है, क्यों नहीं कह देते कि हरिजनों के लिए जमीन निकाल लें जो आपने पट्टे किये थे, आप देखें, कितने मुंसिफ के यहां मुकदमें चल रहे हैं एक भी जमीन पर हरिजनों को कब्जा नहीं मिल सका, झगड़े, मारपीट जरूर हुये हैं। बस्ती जिले में आप गये थे, आपने कहा नेशनल सीड कारपोरेशन की तरफ से सबसिडी पर गेहूं की व्यवस्था की है। लेकिन बस्ती में 19 क्वींटल गेहूं दूसरों के हाथ में बेचा गया। मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ में सरकारी रिप्रजेन्टेटिव आये थे, असलियत यह है कि गोरखपुर की एक कम्पनी है, सीड कम्पनी, वह आये थे, तीन सौ रुपये देकर सारा का सारा उठा ले गये और एक लाख रुपया वहां के अफसरों ने ले लिया और किसानों को एक छटांक नहीं दिया गया। आपने कहा था कि बाढ़ से पीड़ित गांव हैं जो, वे पाट कर ऊंचे किये जायेंगे। अभी आपसे (इस समय 3 बजकर 43 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पाठासीन हुए) कोई काम शुरू नहीं कराया। आप यह कह कर आये थे कि जो घर गिर गये हैं बसाये जायेंगे। उनकी कोई योजना है ? तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार है वह एक सामान्य बात हो गई उसको मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन सुझाव है कि चकबन्दी हो रही है। छोटे-छोटे किसानों को एक जगह करवा दें ताकि आप ट्यूबवैल लगवा सकें और सुविधायें और काम कर सकें जिससे फायदा हो। जो उनका काम्पैक्ट एरिया हो सके, उनके लिए अधिक सुविधायें हो सकें।

डुमरियागंज मेरी तहसील है और वहां 2-4 गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी करवायी थी लेकिन धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ और उन गांवों से नहरें फिर निकाली जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि आप वहां प्रकाशन करवा दें। उन गांवों की चकबन्दी को खत्म करके सामूहिक चकबन्दी कर दें जिससे गांव उजड़ने न पावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री दूधनाथ राजभर--

आपने मुझको राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ तथ्यों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। वैसे मुझे भरोसा है कि माननीय मंत्री जी जिनके जिम्मे इतनी जिम्मेदारी का विभाग सौंपा गया है बहुत ही सुलझे हुए मंत्री हैं और जिस ढंग से विभाग के हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं उसमें मूलभूत परिवर्तन होगा, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। मान्यवर, 1975-76 में भूमि के आवंटन का एक दौर चला था और उसमें भूमि का आवंटन ऐसे लोगों को दिया गया जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं थी।

जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे उनको खेती करना तो आता था लेकिन उसके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों को जमीनें आवंटित की गई और वह जमीन इस तरह की थी जो गांव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभा की निकली हुई जमीन थी या सीलिंग से निकली हुई जमीन थी लेकिन आज तक उन भूमिहीन काश्तकारों को उन जमीनों का कब्जा नहीं मिला और 77 में जो तब्दीली हो गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, उनमें बड़े लोगों ने आवंटित भूमि पर कब्जा कर लिया और उस सिलसिले में आज भी मुकदमें चल रहे हैं। मैं चूंकि वकील हूं और मुझे कचहरी का बड़ा अच्छा अनुभव है, मैं यही देख रहा हूं कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जो आवंटित भूमि दी थी उसके सम्बन्ध में मुकदमें हैं।

मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी को और अपनी सरकार को कि जो मंशा थी हमारी वह मंशा धूमिल हो रही है और गरीब बेसहारा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, खाने को नहीं है उसको अगर कहीं जमीन दी गई तो उसके ऊपर 198 का मुकदमा चल रहा है और वह गरीब बेसहारा हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को जो जमीन आवंटित है उस पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से चकबन्दी के बारे में कहना चाहूंगा कि चक रोड हर गांव में बनाई गई और चकरोड इसलिए बनाई गई कि लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। काश्तकार अपने बैल ले जायेंगे लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी गांव में कोई भी चक रोड नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि स्पेशल तरीके का कानून बना कर स्पेशल तरीके से वहां चकरोड्स छोड़े जाएं जिससे मौके पर रहने वाले लोग उसका सही इस्तेमाल कर सकें।

दूसरी बात यह है कि राजस्व विभाग का काम परगनाधिकारी से लेकर तहसीलदार और लेखपाल के द्वारा किया जाता है। मेरी यह निश्चित जानकारी है कि परगनाधिकारी डिवीजन के अन्दर एक बड़ा हाकिम होता है, उसका मालिक होता है और उसे डिवीजन के अन्दर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसे कानून व्यवस्था का काम करना पड़ता है। वसूली का काम करना पड़ता है, विकास सम्बन्धी सारे काम करने पड़ते हैं। उसे गांव तक पहुंचना पड़ता है, मौके पर जाकर जांच पड़ताल करनी पड़ती है। उसे माल के मुकदमों का फैसला करने के लिये कोर्ट में भी बैठना पड़ता है। कोर्ट में ही अगर उसे यह सूचना मिलती है कि फलां एरिया में अव्यवस्था है तो उसे भाग कर मौके पर जाना पड़ता है और इस तरह से अगर उसके पास सौ केस हैं तो वादी-प्रतिवादी दोनों पक्ष मिला कर दो सौ लोगों को उस दिन कचहरी से वापस लौटना पड़ता है। इसलिये इस सम्बन्ध में सुझाव है कि मुकदमों के निस्तारण के लिये शासन की तरफ से राजस्व अधिकारी के नाम से एक पद सृजित करना चाहिये जो 10 बजे से 5 बजे तक बैठकर सारे मुकदमों का निस्तारण करे। लाएण्ड आर्डर की व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, वसूली की व्यवस्था उसके जिम्मे न रहे वह सिर्फ मुकदमों का निस्तारण करे।

तीसरा सुझाव यह है कि इस विभाग में जिसके ऊपर प्रदेश का बहुत बड़ा दारोमदार है उस विभाग का सबसे छोटा अधिकारी लेखपाल है जो गांवों में रहता है। मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और माननीय सदन के बीच में कहना चाहता हूं कि जिस लेखपाल को आप सबसे छोटा अधिकारी कहते हैं वह सबसे बड़ा घिनौना काम करता है। उसके चलते सारी मुकदमेबाजी, यहां की छोटी अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चलती जा रही है। वह लेखपाल का लगाया हुआ ही झगड़ा होता है। इसलिये लेखपाल के ऊपर आपको कड़ी निगाह रखनी है जिससे वह सभी माने में अपने दायित्व का निर्वहन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे मेरी निश्चित समझदारी है कि बहुत सारे मुकदमें कम होंगे कोई झगड़ा फसाद नहीं हो पायेगा। चकबन्दी का काम समाप्त होने पर भी गांव

[श्री दूधनाथ राजभर]

के चन्द-चालाक दलाल किस्म के लोग लेखपाल से चकबन्दी के रेकार्ड्स में फर्जी तौर पर गलत अमलदरामद करा लेते हैं। छोटे काश्तकारों का नाम खारिज करा कर फर्जी तरीके से दूसरा नाम चढ़वा लेते हैं। इस प्रकार प्रदेश क अन्दर अनेक जिलों में हजारों केस इस तरह के हैं। इन सब बातों की तरफ कड़ी नजर रखनी होगी ताकि हमारे गरीब काश्तकार जिनकी जिम्मेदारी आपन उसे दी है, चुस्ती से काम करे तभी सारी समस्यायें दूर हो सकती हैं। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा पेश अनुदान का मैं समर्थन करता हूं।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व सम्बन्धी जिस बजट पर माननीय मित्र सेन जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, राजस्व विभाग की तरफ से जो प्रगति पुस्तिका छपी है उसको अगर आप देखें तो उसे देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगे कि इस पुस्तिका में आंकड़ों के अतिरिक्त कोई नयी बात दिखलायी नहीं देती है। ये जो आंकड़े हैं भी, वे भी मनगढ़न्त हैं। चकबन्दी के सिलसिले में, कुछ प्रगति के सिलसिले में जो आंकड़े दर्शाये गये हैं उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं। इस पुस्तिका में छपा है कि बुलन्दशहर से लेकर अन्य 20 जिलों में चकबन्दी योजना का काम प्रायः समाप्त हो चुका है। इसमें बाराबंकी जिला भी है। माननीय मंत्री जी भी बाराबंकी जिले के कई बार लोक सभा के सदस्य भी रहे हैं और वहां की स्थिति से वाकिफ हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बाराबंकी के लिये लिखा गया है कि वहां चकबन्दी का काम प्रायः समाप्त हो चुका है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, और माननीय मंत्री जी स्वयं भी जानते हैं और इस सम्बन्ध में मैं उनसे मिल भी चुका हूं। बाराबंकी जिले में किन्तुर एक गांव है जिसमें चकबन्दी ऐक्ट की दफा 20 के तहत कार्यवाही की गयी है और सन् 75 में इस गांव का नोटिफिकेशन हुआ। उसके बाद से चक तराशी नहीं हुआ जिसकी वजह से वहां पर किसान चिन्तित हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गलत आंकड़े दिये गये हैं कि बीस जिलों में काम पूरा कर दिया है इसी तरह के आंकड़े दिये जाते रहेंगे तो देश का सत्यानाश हो जायगा। दूसरी चीज चकबन्दी के सिलसिले में जिले के बारे में कहना चाहता हूं। बाराबंकी जिले में 68 गांवों का जिन में परगना मोहम्मदपुर, भिटौली, रामनगर, बंदो सराय आदि हैं नये सिरे से चकबन्दी करने के लिए भेजा गया है। ये गांव कमिश्नर साहब के यहां से सितम्बर 81 में इलाहाबाद भेजे गये थे। तब से ले कर आज तक इन गांवों का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। सबसे विचित्र बात यह है कि इस विभाग की कितनी लापरवाही है कि जून 81 से 5 सहायक चकबन्दी अधिकारी, 6 पेशकार, 32 चपरासी, 32 लेखपाल, 5 चकबन्दीकर्ता, इस प्रकार से हर महीने इनके ऊपर प्रति माह 55,000 रु0 सरकार का खर्च हो रहा है लेकिन इनके लिए कोई काम काज नहीं है।

ये चकबन्दी कर्मचारी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। लगभग 5-6 लाख रुपया अब तक खर्च हो चुका है। लेकिन यह प्रशासन अन्धा और बहरा दोनों है। यदि कहा जाता है तो इसके अधिकारी और विभाग के मंत्री और सरकार सुनती भी नहीं है। साथ ही साथ इनको आंख से दिखलाई भी नहीं देता है कि क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्व विभाग इस चीज को देखे। हमारे राजस्व राज्य मंत्री मौके पर गये थे। आप भी जानते हैं वहां पर क्या हाल है? कितनी अकर्मण्यता है? इस सिलसिले में कार्यवाही करने की जरूरत है।

साथ ही साथ, मान्यवर, इस पुस्तिका में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से पीड़ित लोगों के राहत के सिलसिले में बहुत कुछ बखान किया गया है। इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले बाराबंकी में और फैजाबाद में एक नदी मढ़हा है। यह नदी हर साल

बरसात में भर जाती है। नतीजा यह होता है कि सैकड़ों गांव बराबर पानी के नसेब में रहते हैं। हमारे क्षेत्र में सधारपुर, जो फैजाबाद के बार्डर में हैं, मांगीचांदपुर, रसूलपुर, बैतोली ऐसे गांव हैं जहां बरसात के दिनों में जन-जीवन तबाह हो जाता है। वहां जिलाधिकारी, ए0 डी0 एम0 कोई भी अधिकारी नहीं है जो बरसात के मौके पर वहां न गया हो। सबने देखा और इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर यहां के लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जायगी तो लोग भूखे मर जायेंगे क्योंकि अगली रबी की फसल बोई नहीं गई।

मौके पर इन लोगों ने आश्वासन वहां के आवाम को दिया। वहां के लोगों की जिन्दगी के लिए सरकार अपनी ओर से अनाज वगैरह की व्यवस्था करेगी, कोई क्रेश प्रोग्राम चलाया जायगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं किया गया। इस सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार की दिक्कतें हैं, लोगों को खाने पीने की समस्या है, रबी फसल नहीं बोई गई है, वहां पर खासतौर से सहायता के लिए निर्देश दें।

साथ ही साथ यहां पर गृह अनुदान का सवाल आया है। सदन में बैठ कर माननीय मंत्री जी बार-बार घोषणा कर देते हैं कि चारों तरफ प्रदेश में राम राज्य है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि गृह अनुदान के नाम पर लोगों को खास सहायता नहीं मिली। पता नहीं क्यों इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुस्ती के साथ अपनी जिन्दगी काट रहे हैं और उन्हें इस जन-मानस की चिन्ता क्यों नहीं है? साथ ही साथ मान्यवर, जो गांव गोमती, घाघरा, कल्याणी में हर साल बरसात में डूब जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, ऐसे घरों के लिए शासन ने कोई योजना नहीं बताई कि हम क्या करेंगे और हम कैसे लोगों को उस पर बसायेंगे ताकि जो उनकी हमेशा की समस्या, जल-भराव की समस्या है, वह दूर हो सके। इस पुस्तिका में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं आशा करता था कि इस पुस्तिका में उसके निदान के लिये अवश्य कुछ दिया गया होगा। खर्चा तो आपने अवश्य इसके जरिये मांगा है लेकिन उसका सदुपयोग किस तरह से होगा इसके बारे में आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। जन सेवा का जो सवाल है उसके सिलसिले में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि 150 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जायेगा, पर कुछ भी किसी को नहीं दिया गया है।

मैं बाराबंकी जिले के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वहां शारदा सहायक परियोजना की एक नहर समानान्तर शाखा दरियाबाद है जो कि फतेहपुर तहसील राम सनेही घाट पर है। वहां पर 2,735 हेक्टेयर जमीन हमेशा इन दोनों शाखाओं के नसेब में है और उसका नतीजा यह हुआ कि 5–6 साल से वहां के किसानों को अन्न के एक दाने का भी दर्शन नहीं हुआ है जब कि वहां पर बराबर लगान वसूल किया जा रहा है। जो लोग लगान नहीं दे रहे हैं उनको तरह-तरह की यातनायें आपके विभाग वाले उनको दे रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह नसेब का इलाका है और नहर की दो समानान्तर शाखाओं के बीच है जब तक इस 2,735 हेक्टेयर जमीन की जो समस्या है उसका निराकरण नहीं किया जायेगा तब तक के लिए मैं मांग करता हूं कि वहां के किसानों से लगान वसूल नहीं किया जाना चाहिए जो कि आज सरकार कर रही है।

सीलिंग के बारे में बड़ी व्याख्या की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक सीलिंग का सवाल है और उसके सम्बन्ध में जो कानून बना है उसका पालन नहीं हो रहा है, वह मात्र किताबों में अंकित है। सीलिंग में जो जमीन सरकार को मिली है वह सबसे रद्दी और घटिया किस्म की है। हमारे जिले में वहां पर जो रजवाड़े और सामन्त

[श्री प्रदीप कुमार यादव]

लोग भूतपूर्व जमींदार थे, उन्होंने अपने कुत्तों और बिल्ली के नाम पर पट्टा करवा लिया था। मान्यवर, अगर आप देखें तो उनके नाम पर कहीं पता नहीं मिलेगा। इस तरह से लोगों ने अपनी जमीन को सुरक्षित करने के लिये फर्जी पट्टे किये हैं और उन्हीं के अनुसार यह सरकार यहां पर आंकड़े भी प्रस्तुत करती है। इसीलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में एक आयोग की स्थापना की जाय, जो इस बात की जांच करे कि आया जो पट्टे भूतपूर्व जमींदारों, रजवाड़ों और उनके रिस्तेदारों के नाम किये गये थे वे सामने आ जाएं। इस तरह से एक आयोग का गठन करके आप दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर सकते हैं।

मान्यवर, रेवेन्यू बोर्ड के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह बोर्ड एक प्रकार से सरकार के लोगों और उसके अधिकारियों को पालने पोसने का एक संगठन बना हुआ है जिससे जनता का हित कदापि नहीं हो सकता है। इस बोर्ड को खतम करके सरकार जनता की गाढ़ी कमाई की अच्छी खासी रकम बचा सकती है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मित्रसेन जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

*श्रीमती कमला साहनी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने राजस्व बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। मान्यवर, राजस्व विभाग ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करती हूं और साथ-साथ कुछ सुझाव भी रखना चाहती हूं। मान्यवर, राजस्व का अधिकांश हिस्सा देहातों में तहसीलों के माध्यम से खर्च होता है और हम सब जानते हैं कि हिन्दुस्तान की और इस प्रदेश की 85 प्रतिशत से अधिक जनता देहात में रहती है और उन्हीं देहात के लोगों और गरीबों के लिये बजट का पैसा खर्च होता है।

मान्यवर, लेकिन उन लोगों के द्वारा जिनके हाथ में यह मद खर्च करने के लिए जाती है, गरीबों के हित में खर्च करने के लए जाती हैं उनके द्वारा इसका कितना दुरुपयोग होता है यह हम सब जानते हैं। मान्यवर, गांधी जी कहा करते थे कि हिन्दुस्तान का उत्थान तब तक नहीं सम्भव है जब तक कि हिन्दुस्तान के देहातों का उत्थान न हो। हमारी माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 20 सूत्री कार्यक्रम गांवों के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए और उनके उत्थान के लिए बनाया लेकिन उसे कार्यान्वित करने की भी जिम्मेदारी अधिकांशतः तहसीलों के लोगों पर जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात गरीबों को पट्टा देने की है तो उस पट्टे के नाम पर कितना शोषण गरीबों का हुआ और कितना हो रहा है यह हम सब जानते हैं। तो उस पट्टे के नाम पर कितना शोषण गरीबों का हुआ और कितना हो रहा है यह हम सब जानते हैं।

लेखपालों ने मनमाने ढंग से जमीनों की कीमत वसूली और जिसे चाहा उसे पट्टा दिया और उसमें आज भी कुछ बचा है तो उन गरीबों को कब्जा नहीं मिला है शासन के जोरों से हाथ पैर मारने के बाद भी उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसे पट्टेदारों को जिनको अभी तक कब्जा नहीं मिल पाया है कब्जा दिलाने का प्रयास करें और साथ ही साथ जो भूमि बेकार पड़ी हुई है उसकी भी व्यवस्था करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी तहसील की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। जब बाढ़ आती है, जब सूखा आता है सबसे ज्यादा प्रकोप हमारे यहां होता है और लोग आंसू बहाकर इस विपत्ति को निहारते हैं और हमारे तहसील के अधिकारी और कर्मचारी दिवाली और ईद मनाते हैं। अभी पिछली बारनौगढ़ तहसील में भयंकर बाढ़

---

*[illegible] ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आई पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा भयंकर बाढ़ आई। उस समय सेशन चल रहा था लेकिन मैं अपने क्षेत्र में गयी और गांव गांव घूमी। वहां पर पता चला कि इतनी भयंकर बाढ़ के बावजूद कोई सहायता सामग्री नहीं बांटी गयी। मैंने तहसीलदार महोदय से पूछा कि मान्यवर, क्यों अभी तक कोई सहायता नहीं बंटी न नमक बंटा न सलाई बंटी तो उन्होंने कहा कि नमक, चना और दियासलाई बंटवा दी है। मैंने कहा मेरे साथ चल कर सिर्फ दो गांव में बता दीजिए तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर कटे पर नमक भी छिड़क देते तो हमें तसल्ली हो जाती। फिर मैंने कलेक्टर को बुलवाया और उनके साथ गांवों का दौरा किया तो कोई भी गांव ऐसा नहीं मिला, जहां सहायता पहुंचाई गयी हो, या चना बांटा गया था। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत करा देना चाहती हूं कि कागज पर चने की खरीद दर्ज हो गयी और उसका वितरण भी हो गया। तो इस तरह से लाखों रुपये का घोटाला हुआ। मैंने 30 सितम्बर को भूरे लाल जी को इसकी सूचना दी और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी दी। उन्होंने रेडियोग्राम द्वारा जिले में फौरन सहायता सामग्री भिजवाई, लेकिन उसके बावजूद भी सहायता सामग्री नहीं बांटी गयी। चूंकि मैंने इसका भण्डाफोड़ किया था तो दो अक्तूबर को मेरा पुतला निकाला गया और गन्दी-गन्दी गालियां दी गयी मेरे तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगाये गये (व्यवधान)।

एक सदस्य--

इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती कमला साहनी--

उन नारों के बाद मेरे पुतले को जलाने का प्रयास किया गया लेकिन कुछ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने पुतले को लेकर आग बुझा दी और आज भी वह पुतला रखा हुआ है, उसकी टेपरिकार्डिंग रखी हुई है। इसके बाद मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भूरे लाल जी को और गौतम जी को इस मामले की जांच करने के लिए हैलीकाप्टर द्वारा वहां भेजा और सही तथ्यों की जानकारी उनको हो गयी। तो उन्होंने तमाम लोगों और विधायकों के सामने 17 लोगों को सस्पेंड करने के आदेश दिये। मैंने सोचा चलो 17 लोग सस्पेंड होंगे तो कुछ लोगों के कान पर जूं रेंगेगे और गरीबों के आंसू कुछ सूखेंगे लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति सस्पेंड हुआ और एक का ट्रांसफर हुआ। हमको लगता है सारे मामले को रफा दफा कर दिया गया है।

मान्यवर, दुख होता है मुझे जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं। वहां की जनता मुझसे पूछती है कि उस मामले में क्या हुआ ? जिसने हमारे हिस्से का चना खा लिया, नमक खा लिया और सब कुछ हड़प लिए, उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या हो रहा है ? तो मुझसे न 'नहीं' कहते बनता है और न 'हां' कहते बनता है, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष की सदस्या हूं। तो मैं मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस मामले में वह शीघ्रता करें ताकि जनता हमारी सरकार को और हमें न कोसें। इसके अतिरिक्त मैंने मुख्य मंत्री जी से कई बार निवेदन किया कि वह क्या कर रहे हैं मैं यह जानना चाहूंगी और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि उन्होंने इस बारे में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किया इसकी सूचना वह हमें दें। मैं एक बात की ओर और माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरा जिला बहुत बड़ा जिला है--आबादी और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से। वहां जब बाढ़ आती है सड़कें पट जाती हैं, तो हमारा मुख्यालय से सम्बन्ध बिलकुल कट जाता है और मुख्यालय आने में बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए

[श्रीमती कमला साहनी]

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि उत्तरांचल में एक नये जिले को रूप देने के लिए नौगढ़ को एक नया जिला वह बनाने की कृपा करें, ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। इसके साथ मैं इसका समर्थन करती हूं और जो आपने समय दिया उसके लिए आपकी आभारी हूं। ..... (व्यवधान)

(मित्रसेन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मुझे आप सिर्फ पांच मिनट सुन लीजिए, पर्वतीय क्षेत्र का कोई नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, अब यह समाप्त होने वाला है..... (व्यवधान) अब जो बोलें वह लिखा नहीं जाएगा।

श्री धरमपाल—

हमारे दल का अभी तक कोई सदस्य नहीं बोला है, इसलिए आप हमको मौका दीजिए।

श्री मित्रसेन—

मेरे कटौती के प्रस्ताव पर कम से कम पक्ष और विपक्ष से माननीय सदस्यों ने जो भाग लिया, उस पर पहले मैं सभी को धन्यवाद अदा करूंगा और उनके मूल्यवान सुझावों पर आशा है कि मंत्री जी और हमारी सरकार अवश्य विचार करेगी। इन्हीं शिकायतों के साथ, मैं दो-तीन बातें और मंत्री जी के कान तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने यह भी जिक्र किया था कि कुछ सरकारी अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने भूमि की चोरी की है। राम अभिलाख लेखपाल, एक अमीन और तीसरे प्रधान हैं जिन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन की चोरी की है। यह सारा मेरे पास है, इसे मैं मंत्री जी को दे रहा हूं। मेरे कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा से यह स्पष्ट हो गया है सबने यह साबित कर दिया है कि सरकार की सारी नीतियां भूमि सम्बन्धी फेल रही हैं और सरकार का पूरा विभाग असफल रहा है। अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के विषय में, मेरे सुझावों के विषय में मंत्री जी ने कुछ कहा नहीं है।

मैंने यह मांग की थी कि क्या यह सरकार इस प्रदेश की भूमि व्यवस्था में जो असमानता है, उसको दूर करने के लिए कोई नया सिद्धान्त अपनाएगी। मैं यह भी चाहता हूं कि यह सरकार प्रदेश की भूमि को सरकारी भूमि घोषित करके फिर से वितरण की व्यवस्था अपनावे। इस पर कोई जवाब नहीं मिला। हमने जो जो सवाल उठाए हैं उनके बारे में मंत्री जी द्वारा कोई जवाब नहीं मिला है। इसके साथ ही वह विशारद कमेटी की रिपोर्ट को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और न वह अन्य सदस्यों के सुझावों को स्वीकार कर रहे हैं न नई राजस्व संहिता के बारे में वह कुछ बता रहे हैं और माननीय मंत्री जी ने तो कुछ अपने विचार व्यक्त ही नहीं किए हैं। केवल एक छोटी सी पुस्तक पेश कर दी जिसमें इस साल के आंकड़े हैं। अतः कटौती का प्रस्ताव एवं अपने सुझावों को रखते हुए सदन से चाहूंगा कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बैजनाथ कुरील—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्रसेन जी ने आज सविस्तार भाषण दिया और उसमें यह सिद्ध करने की कोशिश की, कि शासन की ओर से भूमि सुधार करने का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है और न उसमें कोई प्रगति ही हुयी है। मान्यवर, आप भी जानते हैं और माननीय सदन के सारे माननीय सदस्य भी जानते हैं कि भूमि सुधार का काम हमारे

प्रदेश में बहुत पहले से आरम्भ हुआ था और हमारी पार्टी का कमिटेड प्रोग्राम था कि यदि हमको आजादी प्राप्त हो जायेगी, तो हम सबसे पहले किसान के ऊपर जो बोझे हैं, उनको तोड़ेंगे और आजादी के मिलते ही हमारे यहां पर जमींदारी और ताल्लुकेदारी का खातमा हुआ और बहुत से इस प्रकार के जो इन्टरमीडिटरी हैं, उनकी व्यवस्था को समाप्त किया गया ।

उधर बैठे हुए माननीय सदस्य इसके पक्ष में नहीं थे बल्कि इसके विरोध में । फिर धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़े और जिनके पास बहुत असीमित भूमि थी उसको सीमित करने का प्रयत्न किया गया । पहले जो सीलिंग लगायी थी वह 40 और 80 एकड़ की थी लेकिन पता चला कि उससे भी अधिक जमींन नहीं मिलेगी । फिर उसमें परीक्षण करके 18 एकड़ सिंचित और 27 एकड़ असिंचित भूमि रखी गयी और कुछ जगहों पर उससे भी ज्यादा रखी गयी । तो यह सिलसिला बराबर चल रहा है । आज भी हमारे सामने जितने भूमि सुधार हुए हैं उनका लाभ किसानों को कितना मिला, कितना नहीं मिला और जितना मिलना चाहिए था उससे कम मिला उसका अंकन कराने का हमने निश्चय किया है । इसके लिए एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है और इसके लिए लैण्ड रिफार्म्स एग्रोकल्चर के नाम से एक योजना तैयार की गयी है । इसका काम एक गिरि संस्थान, लखनऊ और गोबिन्द बल्लभ संस्थान, इलाहाबाद को सौंपा गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भूमि सुधार की ओर कोई कदम हुआ या नहीं ?

माननीय मित्रसेन जी ने एक बात पर बहुत जोर दिया है । व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे सहमत हूं लेकिन उन्होंने यह कहा है कि क्या शासन पूरी जमीन को लेकर फिर से सभी लोगों में वितरित करेगा । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनको जितनी पार्टियां हैं, उनके जितने सहयोगी हैं, उनसे वे पूछ लें कि क्या वे उनकी राय से सहमत हैं और अगर उनके पक्ष में बैठे हुए सभी लोग सहमत हों कि सारी जमीन को लेकर एक चादर में बांध कर फिर से बांट दें तो मैं भी अपनी पार्टी में प्रयत्न करूंगा और उनसे कहूंगा कि इसको स्वीकार कर लें ।

दूसरी बात चकबन्दी के बारे में कही गयी । चकबन्दी भूमि सुधार का बहुत बड़ा अंग है । 1953 के ऐक्ट के तहत 1954 में यह अन्दाजा लगाया गया था कि 146 लाख हेक्टेयर भूमि से ऊपर चकबन्दी करेंगे । 31 दिसम्बर, 1981 तक 145.52 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर चकबन्दी हो गयी है तो प्रायः एक तौर से पूरी हो गयी है । इसलिए हमने प्रायः कहा है क्योंकि कहीं एक दो जगह पर नहीं हो पायी है । इसलिए इसको मैंने शत प्रतिशत नहीं कहा है । तो प्रायः जो कहा गया उसका तात्पर्य यही है कि कहीं-कहीं पर कुछ काम रह गया है ।

यह कहा गया कि चकबन्दी बहुत खराब है । मैं कैसे मान लूं कि खराब है ? दूसरे प्रदेशों से जब लोग हमारे यहां आये तो वे चकबन्दी के काम को देखकर दंग रह गये । वे कहने लगे कि हम लोग तो इसे शुरू भी नहीं कर पाये हैं । उन्होंने हमारे इस काम की बड़ी सराहना की है । बिहार, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों के राजस्व मंत्री जब आये तो उन्होंने हमारे इस काम की बड़ी तारीफ की ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इतने वर्षों हो गये अभी यह काम पूरा नहीं हो पाया है मेरी समझ में नहीं आता कि उनके सोचने का ढंग क्या है एक दिन में तो सारे गांव में और सभी खेतों में चकबन्दी होना सम्भव नहीं है । यह एक क्रमबद्ध कार्यक्रम है और समय से और क्रम से यह काम होना है । मैंने देखा कि जब एक तरफ विरोध पक्ष से यह कहा जा रहा था कि चकबन्दी बहुत खराब है, वहीं उधर से ही एक माननीय सदस्य ने मुझसे कहा कि हमारे गांव में भी चकबन्दी करा दीजिए । (हंसी) अब मैं कैसे मानूं कि यह खराब है ।

[श्री बैजनाथ कुरील]

स्वेच्छा से भी चकबन्दी का काम हो रहा है। इसमें गांव के लोग आपस में बैठकर सब तय कर लेते हैं। हमारे अधिकारी और कर्मचारी उसी के अनुसार केवल लिखा पढ़ी का काम करते हैं। जैसा वे तय करते हैं उसी हिसाब से नक्शे आदि बनाते हैं। स्वेच्छा से चकबन्दी के काम में एक गांव में काम जल्दी हो जाता है। ऐसे करीब 250 गांवों में स्वेच्छा से चकबन्दी का काम हो चुका है जिसमें 48,728 एकड़ में जमीन इन्वाल्व्ड है।

इसके अलावा हमने चकबन्दी ऐक्ट में समय-समय पर संशोधन भी किये। पहले ऐक्ट में कुछ कमियां थीं। उनको दूर करने के लिये उसमें संशोधन भी किये जाते रहे हैं आबादी के लिये, नालियों के लिये, चकों आदि के लिये, रास्तों के लिये, पहले ऐक्ट में व्यवस्था नहीं थी जमीन छोड़ने की, मैंने बाद में इसके लिये भी ऐक्ट में संशोधन करके व्यवस्था की। इन सबके बाद चकबन्दी बहुत ही पापुलर होती जा रही है। इसमें लोगों ने दिलचस्पी ली है। शुरू में लोग समझते नहीं थे। कुछ जिलों में यह काम रह गया है। वहां भी यह किया जायेगा।

सीलिंग की जमीन के बारे में भी कहा गया कि जमीन निकली नहीं या बंटी नहीं, बात गलत है। यह हो सकता है कि कहीं कोई गलती हो गयी हो, पर कुछ हुआ ही नहीं ऐसा कहना गलत है। गांव समाज की 6 लाख 22 हजार हैक्टेयर भूमि बांटी गयी। सीलिंग की जमीन भी बांटी गयी। आवास के लिये लोगों को जमीन दी गयी। कहीं-कहीं दिक्कतें हैं, उनको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसे दूर करेंगे। आप लोगों की भी है--चाहे इधर बैठे हुए माननीय सदस्य हों या उधर बैठे हुए हों। जो निर्बल लोग हैं, जिनको सताया गया है, जो कमजोर हैं, जिनके नाम पट्टे हो गये हैं, उनको कब्जा दिलाना हमारा फर्ज है कि हमारा वोट कम हो जायगा और रामदीन के गिरोह के पास ज्यादा वोट तो नहीं है, यद्यपि वह ऐसा नहीं समझता। तो उसमें सब लोग शामिल हैं, सबको सहयोग देना चाहिए। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं अपने स्तर से, माननीय सदस्यगण से मैं पूरा सहयोग चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस नेक काम में जो लोग असहाय हैं, हमारे देश में आर्थिक असमानता है, इसको मैं स्वीकार करता हूं।

आप भी स्वीकार करते हैं। किसी के पास नौकरी भी है, बिजनेस भी है, जो साधन-हीन हैं, उनके पास भी कुछ जाना चाहिए और जब उनके पास जाने की बात है, तो कुछ न कुछ अड़ंगा लग जाता है। कौन सी आफत आई थी कि 90 हजार लोगों के ऊपर मुकदमें दायर हो गये थे? किसने दायर करा दिया था और जब हम आये, उन 90 हजार पट्टों को वापस लिया है, अवैध करार किया है। सैकड़ों दिन उनको दौड़ना पड़ रहा था। यह क्या हरिजन-हरिजन कहने से कुछ हो सकता है? हरिजन अच्छी तरह से समझ गया है आपकी बोली, आपकी वाणी, आपकी भाषा तीन वर्षों में समझ गया है। उन दिनों हमारे राय बरेली में छिन गयी। राय बरेली के नाक के नीचे लतापुर गांव में धान की खेती दो वर्ष तक किया था, 77 में जब वह गये, तो कहा कि खेत में पैर रखेंगे, तो पैर काट देंगे, तुम्हारी महतारी हार गयी। यह लब्ज था मान्यवर। इसमें रोक लगी है नहीं तो यह काम और आगे बढ़ गया होता।

मान्यवर, जहां तक रास्ते का काम है, वह काम किया गया, ऐसा नहीं है कि रास्ते का काम नहीं हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा कि कोई 100 रुपये दिये हो, 200 रुपया दे दिये हो, घर बनाने के लिए। घर कहां से बन जायगा। किसी की क्षति हो जाती है, खेती तबाह हो गयी है, तो उसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन वह एक फौरी सहायता होती है। तो यह उसका उद्देश्य है। उससे कोई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती। अब नाव वगैरह की जो बात है। नाव वगैरह राहत कामों में लगायी जाती हैं। वहां पर लोगों को निकाल कर लाया जाता है। बसाया जाता है। वह स्थान बनाये गये पशुओं को निकाल,

गया, आदमियों को निकाला गया। यह सब काम हुए राहत के और जो कुछ सम्भव था, बांटा गया। अभी तक बहुत से जिलों में पैसा पड़ा हुआ है, अभी बंटा नहीं हम चाहते हैं कि वह बंट जाय। अब इस काम में प्रगति लाई जा रही है। हमारे जेतली साहब ने कहा था पट्टों के सम्बन्ध में, और उन्होंने कहा कि यह ऐसी अनियमितता है कि तीन सही एक बटा आठ एकड़ के लोगों को भूमिहीन मान लिया गया। ऐसा नहीं है, इसमें प्रायरटी लिस्ट है। उसमें भूमिहीन खेतिहर मजदूर पहली प्रायरटी पर है उसके बाद और प्रायरटी है। उस गांव उस आदमी को भी दिया जा सकता है जिसके पास पहले से जमीन हो लेकिन कुल मिलाकर जो पहले से जमीन है और जो बाद में दी गयी तीन सही एक बटा आठ एकड़ से अधिक नहीं होगी। जिसके पास पहले से जमीन है उसको रखा जा सकता है लेकिन वह आखिरी प्रायरटी पर है। उसे भूमिहीन माना गया है ऐसा नहीं है।

कुछ गलतफहमी है कहीं कहीं। श्रीमती कमला साहनी जी ने अपने यहां की बात कहीं इसकी जांच मुख्यमंत्री जी के आदेश से कराई गई थी और उसके तहत जिसके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश थे कर दी गई। जिन लोगों की और वह चाहती हों जांच कराना जांच हो जायेगी हमें बता दें। दूसरी बात कही गई तहसील के भवन के बारे में। 145 तहसीलों के लिये पैसा स्वीकृत हुआ है धीरे-धीरे करके वह बनेगी ताकि हमारे एस0 डी0 ओ0 वहां रह सकें और सी0 ओ0 वहां रह सकें। उनके लियें आवास की व्यवस्था की जा रही है। शासन की नीति विकेन्द्रीयकरण की है। जिला स्तर से हटकर तहसील हेडक्वार्टर पर लोग रहें ताकि लोगों का सम्पर्क अच्छा रहे और उनका काम ठीक से हों सके यह पूरा प्रयास जारी है।

एक बात राजस्व संहिता के बारे में कही गई को काफी दिन से पड़ा है। वह प्रवर समिति के सामने है और वह एक बड़ा विधेयक है, उसमें 238 धारायें है उस पर 50 बैठकें हो चुकी है और अब वह करीब करीब पूरा होने को है उसमें 26 कानून भूमि सम्बन्धी एक साथ मिल जायेगी और फिर जैसा राजकुमार राय ने सुझाव दिया उसके अनुरूप यह यह कानून एक साथ हो जायेंगे और दिक्कत नहीं पड़ेगी। एक बात भूमिधरो और आसामी के संबंध में संकठा प्रसाद जी ने कहा। आज वह बात नहीं रह गई है। अब दो चीज है एक भूमिधरी और आसामी भूमिधरी में कुछ लोग ऐसे है जिनको ट्रान्सफरेबुल राइट्स है और कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रान्सफरेबुल राइट्स नहीं है। अब दो ही नौबत रह गई है।

कुबेरी भण्डारी ने भी जमीन के बारे में कुछ कहा, शर्मा जी ने कहा कि क्या-क्या काम हुआ है? गौरी शंकर भैय्या ने कहा कि 55 तहसील ली गई है चकबन्दी में यह बहुत कम तहसील है। मान्यवर, इसकी वजह यह है कि पहाड़ पर चकबन्दी नहीं करा रहे है। इसलिये लोग समझ रहे हैं कि कम है ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक वसूली की बात है मित्रसेन यादव ने कहा कि वसूली कम हुई है। मान्यवर, पिछले दिनों मौसम खराब होने के कारण सूखा, बाढ और ओले के कारण बहुत सी वसूली स्थगित कर दी गई थी। तो स्पष्ट आदेश हुये हैं कि चालू मांग ली जायेगी लेकिन जहां 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां पर जो पिछला बकाया है वह 6 किश्तों में लिया जायेगा जहां 50 प्रतिशत से कम नुकसान हुआ है खेती में वहां 3 किश्तों में वसूली की जायेगी जहां पर 12 आने के ऊपर नुकसान हुआ वहां पूरा माफ किया गया है, जहां 10 आने से 12 आने का नुकसान वहां 10 आने की छूट, जहां 8-10 आने का नुकसान वहां से 5-6 आने की छूट दी गयी है। इसलिये इस संबंधमे जिलाधिकारियों को पहले से ही आदेश दे दिये जाते है कि कितनी वसूली की जानी है। मान्यवर, साथ ही भी स्पष्ट आदेश

[श्री बैजनाथ कुरील]

है कि 31 मार्च, 82 तक कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी। कुछ लोगों को पकड़ा गया है लेकिन फिर मैं उसको सुनिश्चित करुंगा कि इस तरह नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, जोतबहियों के संबंध में 1970 –75 तक काम हुआ था और बांटी गयीं 45,01,325 बहियां। लेकिन उसके बाद इसमें सुझाव आये हैं कि फोटो होना चाहिये उसने क्या कर्जा लिया है और क्या उसकी आय है तो इन सुझावों को देखते हुये उनको बनाकर बांटा जायेगा।

मान्यवर, डाक बंगलों में जाने और ठहरने की बात है। तो यह अवसर उधर के लोगों को मिल चुका है। मान्यवर, सुना है कि एक साहेब थे उनका एक मुर्गे से काम नहीं चलता था, वह कहना यहां उचित नहीं मालूम पड़ता कि कौन क्या खाता है? लेकिन काम के लिये नहीं लोग जाते हैं और ठहरते हैं और वह अपना बिल देते हैं। यह जरुर है कि कम बिल बनाकर दे दें, यदि जानकारी में माननीय सदस्य की हो कि बिल ज्यादा है तो उसको बतायें तो हम मान लेंगे और वापस करायेंगे।

मान्यवर, जो निर्बल वर्ग के लोगों को पट्टे दिये हुये हैं उस पर जो अतिक्रमण और जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, तो ऐसे लोगों के लिये कानून बना है लेकिन उसका कहां तक पालन हुआ है यह देखने की बात है। मान्यवर, उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा 198 (क) के अन्तर्गत माह अक्तूबर, 1981 तक 5,919 मामले प्रकाश में आये जिनमें से 1,187 मामले अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हैं। इनमें से 3,018 मामले में कब्जा दिया गया तथा 2,382 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और 514 मामले न्यायालय में भेजे गये। इस तरह से इसमें प्रगति हुई है और काम हो रहा है। आदिवासी और थारू भी हैं उनके लिये भी कानून बने हैं कि बहुत सी जमीन पड़ी थी उसको नियमित करने के लिये आदेश हुये हैं, उसका रेकार्ड आपरेशन और सर्वेक्षण हो रहा है। मिर्जापुर और जौनसार भावर में जो क्षेत्र हैं तो उनका नियमितीकरण हो रहा है। उनका कोई रिकार्ड नहीं है तो 3 1/8 एकड़ तक के बारे में आदेश कि उसका नियमितीकरण कर दिया गया जाय बाकी जो जमीन बचेगी उसका सेटिलमेंट होगा सीलिंग की जमीनों के बारे मे कहना चाहता हूं कि माह दिसम्बर, 1981 तक प्रदेश में 232664 एकड़ जमीन बांटी गयी है। यह 189324 लोगों को बांटी गयी है इसमें से 139718 अनु0 जाति अनु0 जनजाति के लोगों को 1,38,001 एकड़ भूमि बांटी गयी है 1890 एकड़ भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है जिसके वितरण के संबंध में तो यह कुछ काम हुआ है। मंगल देव विशारद कमेटी रिपार्ट का जिक्र आया है। तो वह बड़ी इम्पारटेंट रिपोर्ट है। उसमें 172 संस्तुतियां थीं जिसमें से 130 संस्तुतियां स्वीकार कर ली गयी हैं और 30 अस्वीकार कर दी गयी है। 12 ऐसी संस्तुतियां थीं जिनके ऊपर मुकदमों की कार्यवाही हो रही थी तो 12 में से एक फाइनल हो गयी है और 11 रह गयी हैं। 30 जो अस्वीकृत हो गयीं हैं वहा जनरल नेचर की थीं। तो हमने उस रिपोर्ट को बहुत महत्व दिया है। आप देखें कि 172 में से 130 स्वीकार हो गयीं हैं और 12 पर कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, गृह अनुदान के बारे में मैं बता चुका हूं कि पैसा बांटा गया है जितना पिछले साल बांटा गया है उतना नहीं है। पिछले साल केन्द्रीय सरकार से हमको अधिक मिला था। इस बार उतना नहीं मिला है, लेकिन 10 करोड़ 80 लाख रुपये डिस्पोजल पर है उसके अन्दर काम कर रहे है मान्यवर, 14 माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया उनका मैं आभारी हूं उन्होंने किसी न किसी रूप में चाहे क्रिटीसाइज ही किया है लेकिन कुछ न कुछ सुझाव दिये हैं। कुछ सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है उनका मैं परीक्षण कराकर कार्यवाही कराऊंगा।

*श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, दो स्पष्टीकरण दे दें। जो लगान की छूट वगैरह है तो जो मुल्तवी कर दी गयी है वह तो किसान को देना ही है लेकिन जो रेमिशन का एमाउंट है तो क्या इस बात के स्पष्ट आदेश जारी करेंगे कि वह रुपया जब तक जमाबंदी मुकर्रर न हो जाय, तब तक वसूलियाबी न की जाय ? दूसरी चीज यह है कि जो हरिजनों तथा निर्बल वर्ग को पट्टे दिये गये हैं तो उनमें क्या कोई अवधि मुकर्रर करने की व्यवस्था करेंगे कि 1 साल में या दो साल में अधिकारी कब्जा दिला दें ? अगर नहीं दिला पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही आप करेंगे ?

श्री बैजनाथ कुरील––

मान्यवर, रेमिशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूं स्पष्ट आदेश हैं कि जहां पर नुकसान 75 फीसदी , 60 फीसदी, 50 फीसदी हुआ है वहां पर कलेक्टर्स को आदेश हैं उन क्षेत्रों की वसूली नहीं करायेंगे, मैंने फिर भी यह कहा कि अगर हो रही है तो इसको सुनिश्चित कर लेंगे। फिर से आदेश करा दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन––

मान्यवर, दूसरा स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो पट्टे हैं, जो निर्बल वर्ग के लोगों को हरिजनों को दिये गये हैं, उनके कब्जे में आपके अधिकारी और कर्मचारी एक-एक दो–दो साल तक दिक्कत करते हैं।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिए ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,96,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41-राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,18,86,000 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42--राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 46,47,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65-सहायता और पुनर्वासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 78,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

(4 बजकर 50 मिनट)

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनमे से 6 सूचनाएं जिनमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री कुबेर भण्डारी, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री रियासत हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री अकबर हुसैन की दिनांक 16-2-82 को मेरठ में स्थानीय धनियापुल के निकट पुलिस द्वारा गोली चलाने से एक बालिका की मृत्यु के संबंध में है, उसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। शेष 4 सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वक्तव्य के लिये कौन सी तिथि निश्चित की है, यह बतला दें।

श्री अध्यक्ष ---

26 तारीख तक तो वक्तव्य लगे हुए हैं, मंत्री जी कौन सी तिथि आप दे रहे हैं ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राम रतन सिंह)--

27 तारीख को दे देंगे, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष---

27 तारीख को इस पर वक्तव्य के लिये निश्चित हो गयी है।

ग्राम काशीपुर, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में पांच व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग चार वर्ष पूर्व थाना पुरकाजी, जनपद मुजफ्फरनगर में धर्मपाल का डकैती का एक सक्रिय गिरोह था। वर्ष 1978 में डकैतों के आपसी मनमुटाव के कारण धर्मपाल की हत्या कर दी गयी। धर्मपाल की कथित पत्नी उसकी मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई मोती गूजर के साथ पत्नी के रुप में रहने लगी। मोती ने भी अपना एक गिरोह बनाया और आसपास के इलाकों में सक्रिय हो गया। वर्ष 1981 में मोती जेल भेजा गया तथा उसकी अनुपस्थिति में उसके साथ पत्नी के रूप में रह रही महिला ग्राम गोधना के शमशेर नामक व्यक्ति के साथ किसी अन्य स्थान पर चली गई।

मोती ने जेल से जमानत पर छूटने के बाद उस महिला की तलाश की, जिसे ग्राम गोधना में दोनों सम्प्रदायों में कुछ मास पूर्व तनाव दृष्टिगोचर हुआ। इसे जिला प्रशासन ने तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करके तत्काल समाप्त कर दिया।

अब तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मोती गूजर अपनी तथा कथित पत्नी की तलाश में मानसिक रूप से इस तथ्य से पीड़ित रहा कि एक ओझा उसे भगा ले गया। इसी मानसिक स्थिति से प्रेरित होकर दिनांक 31-1-82 को मोती गूजर ने अपने दो सहयोगियों के साथ ग्राम समरती के पास एक व्यक्ति की हत्या की। तत्पश्चात् उसी दिन ग्राम काशीपुर में उसने दो अन्य व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या कर दी तथा एक व्यक्ति एवं एक महिला को घायल कर दिया। इन व्यक्तियों से मोती गूजर की कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं थी।

उपरोक्त घटना के सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण करके प्रभावी कार्यवाही की गई। जिला अधिकारी द्वारा दोनों सम्प्रदाय के लोगों की संयुक्त बैठक भी की गई तथा सुरक्षा की दृष्टि से पी0ए0सी0/नागरिक पुलिस की तैनाती आवश्यकतानुसार कर दी गई। इस घटना के परिपेक्ष्य में क्षेत्र के पांच गांवों में अस्थायी चौकियां भी खोल दी गयीं हैं। यह कहना सत्य नहीं है कि घटना के पूर्व प्रशासन अथवा किसी भी व्यक्ति को उक्त घटना घटित किये जाने का आभास अथवा जानकारी थी या किसी ने इस आशय की सूचना दी थी। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई साम्प्रदायिक तनाव अथवा भय का वातावरण नहीं है।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जिस गम्भीर घटना को छोटा बनाकर पेश किया है मैं उस ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :---

जिसमें, उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राम गोधना में दोनों सम्प्रदायों में कुछ मास पूर्व तनाव दृष्टिगोचर हुआ जिससे जिला प्रशासन ने तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करके तत्काल

[श्री हुकम सिंह—]

समाप्त कर दिया और अन्तिम पैरा में कहती हैं कि प्रशासन को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो मान्यवर, कितना बड़ा विरोधाभास है इनके वक्तव्य में और जान-बूझ कर इन मृतकों और घायलों के नाम छिपाये गये हैं। तो मान्यवर, क्या यह सही है कि खुद सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने मुजफ्फर नगर के, सरकार और केन्द्र को प्रतिवेदन किया जिसके ऊपर तमाम मुसलमानों के दस्तखत थे कि जिला प्रशासन वहां का, खास तौर से पुलिस अधीक्षक मुसलमानों की भावना भड़का रहे हैं और अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जिसकी जांच आई0जी0 तथा माननीय शुक्ला तथा माननीय हबीबुल्लाह द्वारा करायी गयी, इसके अतिरिक्त जो मंडलीय मंत्री हैं, माननीय नकवी ने जांच की और जांच के बाद इन सारे तथ्यों को सही मानकर के सरकार से संस्तुति की कि पुलिस अधीक्षक को वहां से हटा दिया जाये। क्या यह सही है; यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गांव और काशीपुर और उसके आस-पास के क्षेत्र के अल्पसंख्यकों ने जिला प्रशासन को जानकारी दी कि स्वयं पुलिस अधीक्षक का संरक्षण मोती को प्राप्त है? और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय विधायक ने कई प्रश्न एक साथ पूछे हैं। एक तो नाम नहीं बताये गये हैं, तो मान्यवर, अगर नाम जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूं—एक हैं श्री शराफत पुत्र झोझा, दूसरे इरफान पुत्र झोझा, दोनों काशीपुर के हैं और इनकी हत्या हुई और दूसरे जो घायल हुए—इरफान पुत्र मौलाबख्श झोझा और श्रीमती विरमा देवी, पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी काशीपुर यह घायल हुए है। और एक मान्यवर, इजाज, पुत्र झबरा झोझा, निवासी तेजलहेड़ा थाना पुरकाजी की भी हत्या हुई है। अब मान्यवर, इन्होंने कहा कि पहले पैराग्राफ में लिखा है कि तनाव था, तो वह ठीक हो गया और शांति हो गई और उसके बाद एकाएक जो घटना हुई, इसके पहले कोई वहां पर तनाव नहीं था। यह तो एकाएक हो गई। यह जो घटना हुई है एक महिला की है और जब उसने हमला किया तो उसके शब्द थे कि मेरी औरत को भगाने वालों को गांव में ठहरने का मजा चखाता हूं। यह कह कर गोली दागी गई थी। यह व्यक्तिगत मामला था इसमें तनाव की बात नहीं थी। जब यह घटना हुई तो वहां के लोग परेशान हुए और चिन्ता हुई और मान्यवर, पूरी तरह से उसकी व्यवस्था की गई। माननीय हुकम सिंह जी को इसकी चिन्ता है, हमें भी कम चिन्ता नहीं है। हमारा तो यह काम ही है कि वहां जो हुआ है, इसमें हत्यारों को सजा दें और किसी प्रकार से आगे ऐसी घटना न हो इसकी कार्यवाही की जाये और वह हमने कर दी।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दो बातें कहीं लेकिन उन्होंने प्रभावशाली कदम क्या उठाया इसके बारे में नहीं लिखा। एप्रीहेंशन आफ ब्रीच आफ पीस वहां था, झगड़े का अंदेशा पैदा हुआ था, तो क्या आपने इस अंदेशे को कण्ट्रोल करने के लिये 107/116 की कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

दूसरा जो प्रश्न यह है कि जो तीन मर्डर हुए, तो क्या उनका मुकदमा 302 या 307 का रजिस्टर हुआ और यदि नहीं रजिस्टर हुआ, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो आपने पूछा कि 302 और 307 का मुकदमा कायम हुआ कि नहीं तो वह कायम हो गया और दूसरा जो आपने पूछा कि क्या व्यवस्था की गई तो . . . .

श्री रियासत हुसैन---

मेरा प्रश्न यह था कि 107/116 की कार्यवाही की गई या नहीं की गई ? अपने स्टेटमेंट में आपने कहा कि आदेश था तो प्रभावी कार्यवाही 107/116 की गई या नहीं और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई और दूसरा सवाल मेरा 302 का था, वह आपने बता दिया ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, 107/116 जब वहां पर कोई दंगा फसाद हो तो लगाया जाय । जब वहां पर शांति है तो गांव वालों को क्यों परेशान करें, वह तो वैसे ही परेशान हैं ।

श्री हुकम सिंह---

जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि गांव वालों ने खासतौर से अल्पसंख्यकों ने यह जानकारी दी थी कि मोती को संरक्षण प्राप्त है जिससे तमाम लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है तो क्या इस बात की कोई जांच कराई गई और यदि नहीं कराई गई, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ---

मान्यवर, मा0 हुकम सिंह जी का नाम ही ऐसा है जिसमें कि हुकुम लगा हुआ है तो जब मा0 सदस्य तथ्य सामने लाये हैं और विवेचना अभी जारी है उसके विषय में कोई शिकायत तो अभी नहीं आई लेकिन उसको भी देख लिया जायेगा ।

श्री नकली सिंह---

मैं जानना चाहूंगा कि ग्राम समरती के पास जो आदमी मारा गया वह अपने गांव से किस समय उठाया गया और किस वक्त मारा गया और उसके बाद जो काशीपुर में लोग मारे गये हैं वह किस समय मारे गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, एक तो जो मरा है, शराफत और दूसरा इरफान, ये तो काशीपुर में मारे गए और समरती में एक आदमी मारा गया साढ़े चार बजे । साढ़े चार बजे समरती की घटना है और पांच बजे के बाद काशीपुर की घटना है ।

श्री नकली सिंह---

जो समरती में आदमी मारा गया था वह कहां का रहने वाला था और कहां से किस समय उठाया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, उठाया कहीं से नहीं गया । वह वहां पर था वहां से मारा गया है ।

श्री नकली सिंह---

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वह आदमी तेड़जनहेरा से उठाया गया और उसके दो-ढाई घंटे बाद समरती के जंगल में मारा गया और इस दो-ढाई घंटे के बीच में गांव वालों

[श्री नकली सिंह--]

पुलिस को सूचित कर दिया था। जो यह इजाज नामक व्यक्ति गांव मे मार दिया गया था, क्या मेरी जानकारी को सही मानकर माननीया मंत्री जी उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगी जिसने सूचना पाकर भी ऐसी बड़ी घटना होने दी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, विवेचना जारी है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को, पक्ष और विपक्ष दोनों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि घटना की विवेचना के विषय में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, चाहे वह मोती हो, या जो पुलिस अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

माननीया गृह मन्त्री ने खुद अपने वक्तव्य में कहा है कि अप्रेहेंशन आफ ब्रीच की आशंका थी एक महीना पहले ही से वहां खतरा था, तो उसके लिये 107/116 को कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने अभी पढ़कर सुनाया कि वहां कम्युनल लड़ाई को कोई बात नहीं थी, जाहिर है कि यह व्यक्तिगत मामला था। अब आप ही मुझे प्रेरणा देते हैं बोलने के लिये तो मैं मजबूर हूं। आप सामने बैठे हैं, जबान खुल जाती है। वहां पर कई सामान्य मीटिंग्स हुई, हमारे जिलाधिकारी ने मीटिंग किया, हमारे पुलिस अधीक्षक को मीटिंग हुई, हमारे मंडलीय मंत्री मुजफ्फरनगर, माननीय विद्याभूषण जी ने भी मीटिंग किया और सब लोगों ने कहा कि बिल्कुल शांति है और सबने पूरी तरीके से कम्युनल हारमोनी मैनटेन करने का वादा किया और आश्वासन भी दिया। इस बात से जाहिर है कि वहां के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो पुलिस का इन्तजाम किया गया।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मेरा यह सवाल नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि मोती जब जेल से जमानत पर छूट कर आया, उसके बाद उसने उस महिला की तलाश की। जैसा कि आपने कहा है ग्राम गोधना में कुछ मास पूर्व ही तनाव दृष्टिगोचर हुआ जिस पर जिला प्रशासन ने तत्परता से प्रशासकीय कार्यवाही करके तत्काल उसे समाप्त कर दिया, तो इसके बाद 107/116 की कार्यवाही हुई या नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि जब कुछ माह पहले यह ज्ञात हुआ कि वहां कुछ तनाव है जिसके ऊपर तत्काल तत्परता से प्रशासनिक कार्यवाही करके तनाव को समाप्त कर दिया गया, तो इस पर फिर 107/116 की कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वहां शांति थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न था, जितना हो सका आपने सवाल पूछ लिया। अब कृपया आप बैठ जायं। श्रीराम स्वरूप जी, आप भी बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक, दिनांक 3 फरवरी, 81 को विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधान सभा ने उसे 24-2-81 की बैठक में पारित कर दिया था। तत्पश्चात वह विधेयक 2 मार्च, 81 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की मेज पर रखा गया था। विधान परिषद् ने उक्त विधेयक को अपनी 3 मार्च, 81 की बैठक में वहां पर अपनी प्रवर समिति को सन्दर्भित कर दिया था। उक्त विधेयक में कुछ संशोधन किये गये हैं, मामूली संशोधन हैं। मान्यवर, 122 (ख), 157 (क), 198 (क) और 211 एक नई धारा जोड़ी गई है बेदखली के लिये जिसमें जो समरी ट्रायल होगी उसके लिये व्यवस्था की गई है और यह जो निर्बल वर्ग की भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं लोग अनधिकृत उनको हटाने के लिये स्पेशल कोर्ट भी बनाने की बात की गई है। तो यह जो संशोधन हुए हैं वे शासन की नीति के अनुरूप हैं और निर्बल वर्ग के लोगों के भौमिक अधिकारों की सुरक्षा के हित में हैं। ये पारित करने योग्य हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सदन इसे पारित करे।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह पहले जो प्रोविजन्स थे उनके ऊपर यह महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट है और उम्मीद है कि अनधिकृत काबिज लोग जमीन पर हैं तथा और जो अनियमितताये हैं, वे इस विधेयक के माध्यम से काफी हद तक दूर होंगे।

इसमें चंद बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा माननीय मंत्री महोदय का। एक तो यह है कि जो रिवीजन का प्राविजन आपने किया है उसके बाद फिर सूट का भी प्राविजन कर दिया है। एक रेगुलर सूट दायर हो जायगी। वास्तव में वह प्रक्रिया बहुत लम्बी हो जायगी। उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए। 122 (ब) और 198.....

श्री बैजनाथ कुरील—

मान्यवर, यही तो किया गया है .....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल प्रताप सिंह —

सूट फाइल कर सकते हैं, रेगुलर सूट भी फाइल कर सकते हैं। यह जो हमारे पास अंग्रेजी वर्जन है इसमें है। दूसरी बात रिवीजन करने के लिये यह भी प्राविजन हो जाना चाहिए कि वह कुछ डेमेजेज जमा करे तब रिवीजन करे। दो बातें जरूरी ऐसी हैं जिसके लिए यह जरूरी है कि वह हो जायं। तीसरी बात यह है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उन्होंने जमीन ट्रांसफर की, गैर लोगों के हक में वह शून्य हो गई। वह उन्हीं को लौट जानी चाहिए बजाय कि वह ग्राम समाज को हो जाय। इस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, यह ध्यान रखें कि मात्र संशोधनों पर बोलना है .....

श्री लाल प्रताप सिंह—

संशोधनों पर ही कह रहा हूं। तो इन तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ जो संशोधन माननीय विधान परिषद् से आये हैं वह उचित संशोधन है, उचित संशोधन किये गये हैं और उनका मैं समर्थन करता हूं और यह पूरे ऐक्ट का मैं समर्थन करता हूं इन्हीं सुझावों के साथ ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप उत्तर देंगे या मैं प्रश्न रखूं.....

(कोई उत्तर न आने पर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उप खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड (3) रख दिया जाय —

"(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे व्यक्ति पर उस नोटिस के तामील के दिनांक से तीन मास से अनधिक बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा असिस्टेंट कलेक्टर इस निमित्त बढ़ाने की अनुमति दे, कारण न बताये या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय तो असिस्टेंट कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि क्षति, दुर्विनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उप खंड (4–ग), (4–घ) तथा (4–ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उप खंड (4–ग), (4–घ) तथा (4–ङ) रख दिये जायं—

"(4–ग) धारा 333 या धारा 333–क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(एक) इस धारा के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4–क) और (4–घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा,

(दो) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4–घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा,

(4–घ) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति के संबंध में असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति में अपने द्वारा अभ्यर्थित अधिकार को स्थापित करने के लिये सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

(4–ङ) असिस्टेंट कलेक्टर के किसी आदेश के विरुद्ध कोई ऐसा वाद जो उपधारा (4–घ) में निर्दिष्ट है, दायर नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (4–घ) के अधीन कलेक्टर को पुनरीक्षण के लिये आवेदन कर दिया गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–3

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड 3 रख दिया जाय—

"3—मूल अधिनियम की धारा 157–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् —

धारा 157–क का प्रतिस्थापन

अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबंध

157–क–(1) धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर या असामी को कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का न हो, विक्रय, पट्टा, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा सक्रमित करने का अधिकार न होगा,

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर द्वारा ऐसा अनुमोदन नहीं किया जायेगा यदि संक्रमणकर्ता उस धारा के अधीन आवेदन-पत्र क दिनांक को उत्तर प्रदेश में 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि धृत करता हो या उक्त दिनांक को संक्रमणकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे संक्रमण के पश्चात् 1.26 हेक्टेयर से कम हो जाने की संभावना हो।

(2) नियत रीति से उस निमित्त आवेदन-पत्र दिये जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी नियत की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—4

धारा
—ख,
ा का
जाना

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 के स्थान पर निम्नलिखित खंड 4 रख दिया जाय—

"4—मूल अधिनियम की धारा 157—क के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

157—ख—धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी को कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा या अन्यथा संक्रमित करने का अधिकार न होगा।

अनुसूचित आदिम जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबन्ध

157—ग—अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर या असामी धारा 157—क और 157—ख में निहित किसी बात के होते हुए भी धारा 152 की उपधारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में अपनी जोत या उसके भाग को कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है।

कतिपय परिस्थितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा जोत को बंधक रखना।

स्पष्टीकरण:—इस अध्याय में, पद "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों" का क्रमश: तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन उत्तर प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—10

8—क
ोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 10 रख दिया जाय—

"10—मूल अधिनियम की धारा 158—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

(1) जहां धारा 195 या 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय, और प्रदेशनग्रहीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन है, वहां असिस्टेंट कलेक्टर प्रदेशनग्रहीता के आवेदन-पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुन: अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्ध-दोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रहीता को दिया जाय।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उक्त भूमि पर अध्यासन है जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है; और

(ख) प्रदेशनग्रहीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरकारी तौर पर बेदखल कर सकता है, और प्रदेशनग्रहीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायेगी।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त दोष मुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श स अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकतीहै जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होगा।"

इसमें थोड़ी छापे की एक गलती हो गयी है। जहां पर ऊपर 158–क है उसके स्थान पर, यदि सदन सहमत हो तो 198–क होना चाहिये, उसे तदनुसार सुधार लिया जाय।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—14

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 के उपखंड (2) की तीसरी पंक्ति में शब्द "तीन' के स्थान पर शब्द "दो" तथा शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 के उपखंड (4) की द्वितीय पंक्ति के अन्त में विराम के स्थान पर कामा कर दिया जाय तथा आगे शब्द, अंक एवं विराम "और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।" बढ़ा दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 14 के उपखंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप खंड (5) बढ़ा दिया जाय---

"(5) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है खण्ड 14 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 14-क बढ़ा दिया जाय, अर्थात्---

रा 229-घ संशोधन

"14-क---मूल अधिनियम की धारा 229-घ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्---

(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 122-ख की उपधारा 4-घ के अधीन दायर किये गये वाद पर लागू नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--20

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड संख्या 20 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 20 रख दिया जाय, अर्थात्---

"(20) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 48 में---

(1) उपधारा (1) में शब्द, "प्राधिकारी द्वारा दी गयी" के पश्चात् शब्द "अन्तर्वर्ती आज्ञा से भिन्न" रख दिये जायेंगे,

(2) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के अनुरूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जायगा, अर्थात्---

स्पष्टीकरण (2)---इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "अन्तर्वर्ती आज्ञा" का तात्पर्य किसी मामले या कार्यवाही के संबंध में ऐसे आदेश से है जो उस मामले या कार्यवाही में उत्पन्न होने

वाले या उसके संपार्श्विक किसी विषय को निर्णीत करते हुए भी उस मामले या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करने का प्रभाव नहीं रखता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—22

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 (दो) के (6-ख) की तृतीय पंक्ति में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "दो" व शब्द "छः" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 (दो) के (6-ख) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्ध दोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षति-पूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 (दो) के (6-च) के स्थान पर निम्नलिखित (6-च) रख दिया जाय, अर्थात्—

"(6-च) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (6-ख) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञय तथा अजमानती होगा और उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 22 (दो) के (6-च) के पश्चात् निम्नलिखित (6-छ) बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"(6-छ) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट के श्रेणी से अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मैजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—28

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 28 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड 28 रख दिया जाय, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18, सन् 1981 निरसन और अपवाद

"28—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।"

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा तथा संशोधित अध्याय दो, तीन, चार, पांच, छः और सात में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उन अधिनियमों के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—1

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 के उप खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड (2) रख दिया जाय—

"(2) धारा 9, अट्ठारह अगस्त, 1980 को प्रवृत्ति समझी जायेगी, धारा 19 पहली जुलाई 1976 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2 से 7 और 12 से 14 और 27, तीन जून, 1981 को प्रवृत्ति समझी जायगी तथा धारा 8, 10, 11, 15 से 18 और 20 से 26, दस नवम्बर, 1980 को प्रवृत्ति समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजनाथ कुरील—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों से सहमत है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय राजस्व मंत्री जी इस सदन में एक ऐसा प्रगतिशील विधेयक पेश जिसको इसका महत्व समझते हुए हमने सर्व सम्मति से पारित किया है परन्तु मुझे इस बात का दुःख है, अफसोस है कि जब इस विधेयक को इसी सदन में प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्ताव किया गया था तो उसे उसी समय मान लते तो ये सारी चीजें प्रवर समिति के द्वारा आती तो अच्छा होता। भविष्य में इसी तरह से समझकर जैसा कि यह प्रगतिशील और हरिजनों और निर्बल वर्गों से सम्बन्धित है और जिसका हमने खुले दिमाग से समर्थन किया है, यदि आप हमारी बात सुनते और इसे उसी समय प्रवर

समिति में भेज देते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन भविष्य में आप ध्यान रखें कि कोई भी प्रगतिशील विधेयक हो और उन पर जो प्रवर समिति के सुझाव हों उनको आप तुरन्त मान लिया करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

(अब हम उठते हैं और 23 तारीख को 11 बजे फिर बैठेंगे।)

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर मंगलवार, 23 फरवरी, 1982 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
17 फरवरी, 1982।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी (क)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर।)

उदय बहादुर सिंह, ठेकेदार का दिनांक 19-8-80 के शिकायती-पत्र पर जांच आख्या

क्रमांक	आरोप	अधिशासी अभियन्ता की जांच आख्या
1	विनम्र प्रार्थना यह है कि प्रार्थी ने आपकी सेवा में दिनांक 6 जुलाई, 1980 को एक शिकायती-पत्र दिया था खेद के साथ पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि अभी तक उस शिकायती-पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है। जूनियर इन्जीनियर गंगा सेवक वर्मा व सहायक अभियन्ता द्वारा ठेकेदारी से कराये गये कार्य के लिये वर्क आर्डर तक नहीं दिया जाता है।	अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को आरोप की पुष्टि में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु खण्डीय कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बुलाया गया। ठेकेदार 17-9-80 को खण्डीय कार्यालय में उपस्थित भी हुआ किन्तु अपने आरोप की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका अतएव ठेकेदार द्वारा विभाग पर आरोपित आरोप निराधार पाया गया।
2	आपकी सेवा में पुनः स्पष्ट रूप से स्मरण कराना चाहता हूं कि उक्त अधिकारियों द्वारा एक रजिस्टर बनाया गया है जिसमें सभी ठेकेदारों से सादे पन्नों पर तीन स्थानों पर (ऊपर, नीचे, बीच में) हस्ताक्षर करा लेते हैं और सबूत के तौर पर कोई कागज नहीं देते हैं।	जांच में ऐसा कोई रजिस्टर नहीं पाया गया है जिस पर सादे पन्नों में ठेकेदारों से हस्ताक्षर कराये जाते हों। आरोप निराधार है।
3	जब किसी ठेकेदार को उसके द्वारा कराये गये कार्य के धन के भुगतान में बिलम्बन अथवा भुगतान नहीं किया जाता है तो वह अधीक्षण अभियंता तथा मुख्य अभियन्ता से शिकायत करता है। इस पर यह अधिकारीगण कार्यादेश की रसीद तथा संख्या मांगते हैं। जो ठेकेदारों के पास होना असम्भव होता है क्योंकि वे लोग ठेकेदारों को कार्यादेश की प्रति रसीद अथवा कोई सबूत नहीं देते हैं। इस प्रकार जूनियर इन्जीनियर व सहायक अभियन्ता मिलकर लाखों रुपयों का गोलमाल करते हैं।	ठेकेदार द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों की कार्यादेश प्रति सदैव ठेकेदारों को दी जाती है जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर कार्यादेश पुस्तिका पर लिये जाते हैं। आरोप असत्य एवं निराधार है।

अनुवाद विधान सभा

4	उपरोक्त अनियमितता व भ्रष्टाचार ऐसा होने के कारण जूनियर इन्जीनियर व सहायक अभियन्ता लगातार ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के लिए पैसे को किसी दूसरे ठेकेदारों के नाम से निकाल कर आपस में बांट कर खा लेते हैं क्योंकि इस कार्य के लिये इन्होंने कुछ ठेकेदारों को फंसा रखा है। जिससे इनके रेकार्ड की कार्यवाही पूरी हो जाती है।	जांच में आरोप निराधार पाया गया।
5	इसके अतिरिक्त इन लोगों की एक चाल और है जब कोई ठेकेदार अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता से शिकायत करता है और यह लोग फंसने लगते हैं तो उस ठेकेदार की चापलूसी करके उसे आश्वस्त कर देते हैं कि उसका फंसा पैसा अगले कार्य में निकलवा देंगे। इसके बदले में उससे लिखित रूप में ले लेते हैं कि शिकायत मैंने नहीं की है किसी अन्य ने की होगी शिकायत-पत्र पर हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं।	ठेकेदार इस आरोप के सम्बन्ध में कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोप असत्य एवं निराधार है।
6	अतः आपसे प्रार्थना है कि उक्त अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों तथा रिकार्ड की आकस्मिक जांच अवश्य करायें जिससे रिकार्ड में कटिंग आदि अनियमितताओं व हजारों रुपये के गोलमाल का मामला प्रकाश में आ सकता है।	अभिलेखों की जांच करायी गयी जिसमें कोई कटिंग अनियमित तौर पर नहीं पायी गयी। आवश्यक सबूत के अभाव में आरोप निराधार पाया गया।
7	इन अधिकारियों ने मार्च, 80 तक की एम0 बी0 पर कुछ स्थानों पर वास्तविकता को मिटाने के लिये सिगरेट से जलाकर तथा स्याही मिटाने वाली रबर से मिटाकर कई स्थानों में एम0 बी0 पर व अन्य रिकार्ड में हेरा-फेरी की गयी है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसकी आकस्मिक जांच के आदेश अवश्य दें जिससे सही तथ्य प्रकाश में आ सकें।	माप पुस्तिकाओं में वास्तविकता मिटाने हेतु जलाने व हेरा-फेरी का कोई भी तथ्य नहीं मिला। आरोप निराधार है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रमांक	आरोप	अधिशासी अभियन्ता की जांच आख्या
8	श्रीमन् जी, प्रार्थी से दिसम्बर, 79 से मार्च, 80 तक (फाइनल होने तक) निम्नलिखित कार्य लिया गया। (1) 35 मील से 36 मील तक (शारदा नहर की) सिल्ट सफाई। (2) 33 मील से 6 फर्लांग तक (शारदा नहर की) सिल्ट सफाई। (3) बिहार माइनर 0 मील से 1 मील 4 फर्लांग तक सफाई। (4) लोदीपुर माइनर 0 से 1 मील तक सफाई। (5) 36 मील से 35 मील के बीच ग्राम गोरा पुल के 8 फाटक बन्द किये गये, का कार्य कराया गया।	क्रमांक 1 व 2, पुरवा ब्रांच के ठेका सफाई एवं स्पर बनाने में मिट्टी के कार्य से सम्बन्धित कार्य तथा उसका देय भुगतान किया जा चुका है। क्रमांक 3 एवं 4 के कार्य का देय भुगतान किया जा चुका है। क्रमांक 5 पर कोई कार्य नहीं किया गया।
	उपरोक्त कार्य का मात्र भुगतान रु0 4,592 मात्र दिया गया और लगभग 12,000 रु0 अवशेष है। कृपया जांच कराकर मेरा अवशेष धन मुझे प्रदान करने का कष्ट करें।	ठेकेदार का कोई भुगतान अवशेष नहीं है। इस सम्बन्ध में ठेकेदार ने वर्ष 79-80 में फारवर्ड भी दिया कि उसका कोई भुगतान शेष नहीं है। आरोप निराधार।

(ह0) हरि कुमार सहाय,
अधिशासी अभियन्ता,
उन्नाव खण्ड, शारदा नहर,
उन्नाव।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28 पर)

श्री राम आसरे वर्मा के अतारांकित प्रश्न सं0 24 के उत्तर में सन्दर्भित संलग्नक

संलग्नक—क

क्रम-सं0	पत्रांक	दिनांक	अधिकारी का नाम जिसे पत्र सम्बोधित हो	पत्र का विषय
1	2	3	4	5
1	..	1–3–1967	अध्यक्ष एवं सचिव आदि, आश्रम टाइप स्कूल, प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ ।	1964–65 की सम्परीक्षा आख्या
2	..	5–5–1968	तदेव	1965–66 की सम्परीक्षा आख्या
3	..	19–9–1968	तदेव	1966–77 की सम्परीक्षा आख्या
4	..	24–9–1969	तदेव	1967–68 की सम्परीक्षा आख्या
5	4967	24–11–1970	तदेव	1968–69 की सम्परीक्षा आख्या
6	5710	11–1–1973	तदेव	1969–70 की सम्परीक्षा आख्या
7	5705	11–1–1973	तदेव	1970–71 की सम्परीक्षा आख्या
8	1424	30–2–1973	तदेव	1971–72 की सम्परीक्षा आख्या
9	4286 (1)	30–12–1975	तदेव	1972–73 एवं 1973–74 की सम्परीक्षा आख्या
10	329	15–9–1976	तदेव	1974–75 की सम्परीक्षा आख्या
11	151	31–8–1976	तदेव	1975–76 की सम्परीक्षा आख्या
12	177	10–6–1980	तदेव	1978–79 की सम्परीक्षा आख्या

1	2	3	4	5
13	576	2-12-1980	अध्यक्ष, आश्रम टाइप स्कूल, प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ एवं प्रतिलिपि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।	पुरानी सम्परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण एवं अनुपालन कार्यवाही के संबंध में ।
14	575	18-12-1980	अध्यक्ष एवं सचिव आदि आश्रम टाइप स्कूल, प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ ।	1979-80 की सम्परीक्षा आख्या
15	769 (क)	7-2-1981	प्रधानाचार्य आश्रम टाइप स्कूल, प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ ।	पुरानी सम्परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण सम्परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में
16	292	26-8-1981	अध्यक्ष एवं सचिव आदि, आश्रम टाइप स्कूल, प्रगति आश्रम बालागंज, लखनऊ ।	1976-77 तथा 1980-81 तथा 1977-78 की सम्परीक्षा आख्यायें ।
17	191	24-8-1981	तदैव	
18	475	18-9-1981	अध्यक्ष, आश्रम टाइप स्कूल, प्रगति आश्रम, बालागंज, लखनऊ ।	पुरानी सम्परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण एवं अनुपालन कार्यवाही के सम्बन्ध में ।
19	475 (1)	18-9-1981	निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ ।	तदैव

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित ।

(ह0) महेश चन्द्र,

अनुभाग अधिकारी,

वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-3

उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(ह0) उ0 ना0 पाण्डे, 3-11-81

वरिष्ठ लेखा परीक्षक अधीक्षक,

स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0,

इलाहाबाद ।

संलग्नक (ख)

क्रम-सं0	वर्ष	संपरीक्षण आख्या के अनुच्छेद	अमान्य / अनियमित भुगतान की राशि	विवरण
1	1976–77 एवं 1980–81		8.40	श्री सतुआ को 4–12–76 से 4–1–77 तक 32 दिन के स्थान पर 33 दिन का भुगतान।
2	1979–80	7(2)	117.15	अध्यक्ष के कानपुर कार्यालय के लिए किया गया डाक व्यय विद्यालय के कोष से वहन किया जाना अनियमित था।
3	1979–80	10	60.00	विद्यालय कोष से अध्यक्ष के जलपान हेतु भुगतान किया गया था जो अनियमित था।
4	1978–79	7	100.00	बिल का वास्तविक धनराशि से अधिक भुगतान किये जाने के कारण भुगतान अमान्य था।
5	1977–78	7	976.00	श्री सूरजमल गौतम को स्वीकृत अवधि के उपरान्त से 3 माह का 326 रु0 प्रतिमाह की दर से अनियमित / अधिक भुगतान।
6	1975–76	5 (क)	1,446.86	अनावर्तक अनुदान की अवशेष धनराशि राजकीय कोषागार में वापस जमा न किया जाना तथा इसका रोके रखना धन का दुरुपयोग था।
7	1975–76	5 (ख)	3,405.66	
8	1975–76	9	3,990.00	श्रीमती शिवपति सक्सेना गृह माता को 114 माह तक रु0 35 प्रतिमाह की दर से अनियमित महंगाई भत्ते का भुगतान किया गया था जो अमान्य था।
9	1974–75	5	2,500.00	अतिरिक्त भत्तों के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति न होने पर भी उसका भुगतान किया गया था, जो अनियमित था।
10	1974–75	52.1	14,886.00	कु0 कुसुम सक्सेना को दिनांक 1–7–70 से 25–11–77 तक वेतनादि का अनियमित भुगतान किया गया था जो अमान्य था।

क्रम-सं०	वर्ष	संपरीक्षण आख्या के अनुच्छेद	अमान्य/अनियमित भुगतान की राशि	विवरण
11	1974–75	6.14	11,928.00	श्री हरिशंकर श्रीवास्तव को दिनांक 1–9–72 से 31–3–76 तक अनियमित वेतन का भुगतान किया गया था जो अमान्य था।
12	1970–71	6(क)	1,042.75	भुगतान प्रमाणक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रहने के कारण व्यय का औचित्य नहीं सिद्ध हो सका, अतएव यह भुगतान अमान्य था।
13	1969–70	6(स)	91.95	अध्यक्ष के कानपुर से लखनऊ, आकर प्रगति आश्रम के निरीक्षण के सम्बन्ध में किया गया था, जो अनुदान का दुरुपयोग था।
14	1969–70	(4)	26,420.20	अनुदान का उपभोग निर्धारित प्रयोजनों पर किया गया था जो अनुदान का दुरुपयोग था।
15	1969–70	6(ख)	750.00	बिल जो आल-इण्डिया क्राइम प्रिवेशन सोसाइटी लखनऊ, के लिए किये गये कार्य से सम्बन्धित था वह प्रगति आश्रम पर भारित किया गया था अतएव वह व्यय अनियमित था।
16	1968–69	3 टिप्पणी (तीन)	2,000.00	अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध निरोधक समिति से विद्यालय संचालन हेतु जो ऋण लिया गया था उससे अधिक धनराशि का ऋण की वापसी को भुगतान किया गया था जो अमान्य एवं अनियमित था।
17	1968–69	5(क)	2,685.01	पार्श्वांकित धनराशि के मूल्य का सामान श्रीमती एस० कमल, अधीक्षिका द्वारा आश्रम से लेकर वापस नहीं किया गया था जो अनियमित था इस राशि की अधीक्षिका से वापसी ली जानी चाहिए थी।
18	1967–68	6(2)	54.45	जाज टेबुल वाच का क्रय विद्यालय के लिए पूंजीगत व्यय होने के कारण अमान्य था।

क्रम-सं0	वर्ष	संपरीक्षण आख्या के अनुच्छेद	अमान्य/अनियमित भुगतान की राशि	विवरण
19	1967-68	6(2)	47.88	अध्यक्ष के निजी मोटर हेतु पेट्रोल का क्रय किया गया था जो अनियमित था ।
20	1961-62	4(बी)	2,251.94	अनावर्तक अनुदान से अधिक पूंजीगत व्यय अनुरक्षण निधि से किया गया था जो अनियमित था ।
21	1961-62	4(सी):2	3,640.00	बची हुई अनुदान की धनराशि जिसे शासन को वापस कर दिया जाना चाहिये था वह वापस नहीं की गयी थी, यह अनियमित था ।
22	1961-62	4(सी):2	400.00	श्री रामेश्वर दयाल सोसाइटी के सदस्य को अनावर्तक अनुदान से अनियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया गया था, जो अमान्य था ।
23	1961-62	6(ई)	1,233.78	लैट्रीन निर्माण पर किया गया पूंजीगत व्यय अनुरक्षण निधि से किया जाना अमान्य था ।
			80,040.09	

(ह0) अपठित, 5-9-81

अतिरिक्त सहायक परीक्षक (मु0)
स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0,
इलाहाबाद ।

संलग्नक 'ग'

वर्ष				धनराशि
1959–60	..	..	..	574.00
1960–61	..	..	..	564.07
1961–62	..	..	..	258.84
1962–63	..	..	..	656.41
1963–64	..	..	..	746.55
1964–65	..	..	..	990.06
1965–66	..	..	..	844.24
1966–67	..	..	..	855.29
1967–68	..	..	..	1,018.20
1968–69	..	..	..	1,183.77
1969–70	..	..	..	912.09
1970–71	..	..	..	1,061.94
1971–72	..	..	..	1,029.94
1972–73	..	..	..	1,218.04
1973–74	..	..	..	1,287.83
1974–75	..	..	..	1,851.17
1975–76	..	..	..	2,422.50
1976–77	..	..	..	2,328.05
1977–78	..	..	..	2,245.80
1978–79	..	..	..	2,763.41
1979–80	..	..	..	2,643.10
1980–81	..	..	..	4,789.50
		योग	..	32,244.78

(ह0) अपठनीय, 5-9-81
अतिरिक्त सहायक परीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0,
इलाहाबाद ।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 21 वि0सभा–30-7-83–(1578)–1983–813 (प्रो0) ।

संसद पुस्तकालय सभा